मंगलवार,
२४ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, २४ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केनिया

***२२७. श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केनिया में आ बसे यूरोपीय लोगों द्वारा केनिया के उपनिवेश में लोगों के आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान नीति को बदलने का कोई प्रयत्न किया गया है जिसके कारण भारतीयों के विरुद्ध कानूनी रूप से भेदभाव किया जा सकता है या भारतीयों के आप्रवासन को रोका जा सकता है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार का प्रयत्न किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) समाचारपत्रों में लेखों द्वारा और आकर बसे हुए यूरोपीयों की सभाओं में संकल्पों द्वारा ।

श्री एस० एन० दास : क्या केनिया में यूरोपीय लोग अपनी आप्रवासन की नीति में यूरोपीय महाद्वीप के लोगों को, जो कि राष्ट्रमंडल के नागरिक भी नहीं है, अधिमान देने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निश्चय ही । वे यूरोपीयों के प्रवेश को अधिमान देते हैं । यह तो मैं नहीं कह सकता कि ये यूरोपीय राष्ट्रमंडल के नागरिक होते हैं या नहीं, परन्तु मैं समझता हूं कि एशियाइयों के मुकाबले में यूरोपवासियों को ही अधिमान देते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि केनिया विधान-मंडल के बहुत से यूरोपीय सदस्यों ने एक वक्तव्य द्वारा यह सुझाव दिया है कि विशेष रूप से पूर्व से होने वाले आप्रवासन पर ऐसा नियन्त्रण रखा जाये जिससे कि केनिया की सभ्यता का पाश्चात्य स्वरूप बना रहे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या कुछ दिन पूर्व हुए प्रधान मंत्री सम्मेलन में राष्ट्रमंडल में भारतीय नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । इस प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई । भारतीय

नागरिकता के प्रश्न पर निश्चय करना पूर्ण रूप भारतीय संसद् का दायित्व है, किसी सम्मेलन आदि का नहीं ।

मैं एक बात और बता दूं । कोई तीन चार वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया सिद्धान्त यह था कि भारत प्रत्येक राष्ट्रमंडल देश के सम्बन्ध में पारस्परिकता के आधार पर निश्चय करेगा । उदाहरण के लिये, दक्षिणी अफ्रीका के साथ हमारे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । कुछ अन्य देश हमें कुछ विशेषाधिकार देते हैं और हम भी उन्हें कुछ विशेषाधिकार देते हैं अतः यह बात तो प्रत्येक देश पर निर्भर करती है ।

तार (केबिल)

*२२८. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ में देश की मांगों को पूरा करने के लिये ज़मीन के अन्दर पड़ने वाले कुल कितनी लम्बाई के तारों की ज़रूरत पड़ेगी ?

(ख) इस मांग की पूर्ति किस स्रोत से की जायेगी ?

(ग) कितनी प्रतिशत मांग आन्तरिक उत्पादन से पूरी हो जायेगी और कितनी प्रतिशत अन्यत्र खरीदे गये तार से ?

(घ) क्या तारों के लिये किसी डच तार निर्माता सार्थ को कोई आर्डर दिया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग ६०० मील ।

(ख) संयुक्त राजतंत्र, जर्मनी, हौलैण्ड डैनमार्क और जापान से आयात करके ।

(ग) इस समय देश में इसका उत्पादन नहीं हो रहा है ।

(घ) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : यह संविदा किस प्रकार की गई है ; टैंडर मांग कर या निजी तरीके से ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कोई एक संविदा नहीं थी । यदि सूचना दी जाये तो मैं प्रत्येक टैंडर के सम्बन्ध में ब्यौरा इकट्ठा कर सकता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि यह एक ही संविदा नहीं थी तो क्या इन तारों के क्रय के लिये सब संविदायें एक ही सार्थ के साथ की गई थीं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि आयात जर्मनी, हौलैण्ड, डैनमार्क, जापान तथा संयुक्त राजतंत्र से किया गया है ; सम्भवतः इन सब देशों में सार्थ अलग अलग हैं

सरदार हुक्म सिंह : हाल में डच सार्थ को जो आर्डर दिया गया है वह कितने मूल्य का है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह आर्डर २६५ मील लम्बे तार के लिये दिया गया है जिसका मूल्य ७८,३९,३७१ रुपये है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह संविदा विशेष टैंडर द्वारा की गई थी या बातचीत द्वारा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह विषय मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यदि अलग सूचना दी जाये तो मैं पूरा ब्यौरा दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

सरदार हुक्म सिंह : यह विषय मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं आपका निर्णय चाहता हूं, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपना निर्णय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता क्योंकि अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

फिल्में

*२३०. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में जनवरी से सितम्बर तक कितनी संस्थाओं को प्रदर्शन के लिये सरकार द्वारा निर्मित फ़िल्में प्रदान की गई ; तथा

(ख) १९५३ में सरकार का फ़िल्मों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सन् १९५३ में जनवरी से सितम्बर तक फ़िल्म्स डिवीज़न, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय से क्रमशः १८१, ४८९ और २७ संस्थाओं को फ़िल्में प्राप्त हुईं ।

(ख) लागत के हिसाब के अभाव में फ़िल्मों के निर्माण पर हुए व्यय के अलग अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ; हां, प्रलेखीय तथा समाचार फ़िल्मों पर लागत का अनुमान क्रमशः १०,००० रुपये से २५,००० रुपये तक और लगभग १०,००० रुपये लगाया जाता है ।

सेठ गोविन्द दास : जिन संस्थाओं ने इन फ़िल्मों को मंगाया, प्रदर्शन के लिये क्या वे सब इसी देश की हैं या इस देश के बाहर की हैं ?

डा० केसकर : जिन संस्थाओं ने इस मिनिस्ट्री से फ़िल्म मंगाया वे संस्थायें इसी देश की हैं । अधिकांश जो विदेशों से फ़िल्म्स मंगाती हैं वे विदेश विभाग से मंगाती हैं ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो फ़िल्म्स यहां पर बनाये गये, वह किन किन भाषाओं में बने ?

डा० केसकर : इस के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : इधर सितम्बर से जनवरी तक इन फ़िल्मों पर जो खर्च हुआ वह इस के पहले जो खर्च हुआ था उससे कुछ ज्यादा था, या कम था या उतना ही था ?

डा० केसकर : खर्च में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जैसा मैं ने अपने उत्तर में कहा, हर एक फिल्म का खर्च कोई एकसा नहीं होता क्योंकि फिल्म्स के लिये कई जगह जाना पड़ता है और फोटो लेना पड़ता है । इस लिये हर फिल्म का खर्च अलग होता है । लेकिन इस का ऐवरेज निकाला जाता है जो कि मैं ने अभी आप को बताया ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा तथा सार्वजनिक संस्थाओं को किन शर्तों पर यह फिल्म उधार दी जाती हैं ?

डा० केसकर : ठीक ठीक दाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कम दाम पर सार्वजनिक और शिक्षा संस्थाओं को यह फिल्में दी जाती हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन फ़िल्मों का वितरण भारत के समस्त राज्यों में समान रूप से किया जाता है ?

डा० केसकर : यह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह चीज़ मांग पर निर्भर करती है । हम फ़िल्में वितरित नहीं करते । प्रश्न वितरण का नहीं है बल्कि यह है कि कौन इन्हें लेना चाहते हैं । स्वभावतः कुछ क्षेत्रों में तथा कुछ संस्थाओं में इनकी अधिक मांग होती है, परन्तु यह बताने के लिये कि सब से अधिक मांग किस क्षेत्र में है, मुझे इस विषय का अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

उत्तर पूर्वी सीमांत एजेन्सी

*२३१. **श्री अमजद अली :** क्या **प्रधान मंत्री** तारांकित प्रश्न संख्या १३७२ के १७ सितम्बर, १९५३ को दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में पारपत्र प्रणाली को जारी रखने का है ; तथा

(ख) क्या वास्तविक सामाजिक कार्यकर्त्ता उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में सरलता के साथ प्रवेश कर सकते हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) जी हां ।

(ख) वैसे तो वास्तविक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सदैव स्वागत किया जायेगा, परन्तु प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा और इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि वे कौन से क्षेत्रों में जाना चाहते हैं । वहां संचार सम्बन्धी कठिनाइयां भी विद्यमान हैं और प्रायः विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं ।

श्री अमजद अली : उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि आसाम की उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में पारपत्र प्रणाली सब से पहले कब और किस प्रयोजन विशेष के लिये लागू की गई थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पारपात्र प्रणाली शुरू में १८७३ में चालू की गई थी और यह अधिकांश पहाड़ी भाग पर लागू होती थी, मैदानी क्षेत्र पर नहीं । उस समय उसका प्रयोजन क्या था, इस सम्बन्ध में तो मैं इस समय सिवाय इसके कुछ और नहीं कह सकता कि शायद तत्कालीन सरकार का इरादा लोगों को वहां न जाने देने का होगा । परन्तु अब यह कितने ही कारणों से जारी है । माननीय सदस्यगण जानते होंगे कि अभी हाल ही में वहां एक दुखद घटना हो चुकी है । यह एक मिश्रित क्षेत्र है—कुछ क्षेत्र अप्रशासित हैं और कुछ अर्द्धप्रशासित । जहां तक अन्दरूनी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारा सामान्य नियम यह है कि किसी विदेशी को वहां विशेष अनुमति के बिना न जाने दिया जाये । भारतीय सामान्य रूप से वहां जा सकते हैं, परन्तु पारपत्र ले लेने के बाद ही ।

श्री अमजद अली : पृथक्करण की यह नीति आसाम की उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में वर्तमान गड़बड़ के लिये कहां तक उत्तरदायी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अमजद अली : मेरा निर्देश इस बात की ओर है कि सामान्यतया लोगों को वहां नहीं जाने दिया जाता और वह क्षेत्र अलग-अलग कर दिया गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस क्षेत्र विशेष में कुछ गड़बड़ थी । मुझे इसमें सन्देह है कि वहां कोई व्यक्ति गया भी है । यह इलाका सामान्य यात्रियों की पहुंच के बिल्कुल बाहर है । मैं तो यह कहूंगा कि जिन क्षेत्रों में पारपत्र प्रणाली चालू नहीं है वहां दुर्भाग्य से गड़बड़ कहीं अधिक हुई है ।

श्रीमती खोंगमेन : क्या अब राज्यों के विधान मंडल या संसद् का कोई सदस्य बिना पारपत्र लिये वहां जा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्हें पारपत्र सहर्ष दे दिया जायेगा । परन्तु प्रश्न केवल पारपत्र देने मात्र का नहीं है बल्कि लोगों के इन क्षेत्रों में जाने से सम्बन्धित अन्य प्रबन्ध करने का है । यदि अब

न किये जायें तो उनका वहां जाना ही मुश्किल हो जायेगा ।

श्री अमजद अली : क्या सरकार को इस क्षेत्र का प्रशासन आसाम राज्य को हस्तान्तरित करने में कोई कठिनाई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कठिनाई तो कोई नहीं है, परन्तु ऐसा करना उचित या वांछनीय नहीं है ।

लंका में भारतीय

*२३२. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका के प्रधान मंत्री लंका में बसने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये भारत आ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि लंका सरकार ने अप्रावासन तथा उत्प्रवासन (संशोधन) विधेयक को पुनः पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है; तथा

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही बात चीत जारी करने के लिये कुछ कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ग) लंका के प्रधान मंत्री को यह आमंत्रण दिया गया है कि वह भारत आकर उस बातचीत को पुनः जारी करें जो मैं ने उनके पूर्वाधिकारी श्री डडले-सेना नायक के साथ लंदन में की थी, परन्तु अभी उनके दिल्ली आने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) विधेयक लंका सरकार के बिचाराधीन है । यह लंका की संसद् में पुनः पुरःस्थापित नहीं हुआ है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : इस विधेयक की पुरःस्थापना से कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता ।

श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : सरकार ने इस विधेयक के तब तक पुरःस्थापित न किये जाने के लिये जब तक कि दोनों प्रधान मंत्रियों की वार्ता समाप्त न होजायें, क्या पग उठाये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निःसन्देह, हम इस विषय पर लंका सरकार से निरन्तर सम्पर्क रखते आये हैं और हमने उसे यह भी जतलाया है कि यह भारतीयों के लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और हानिदायक होगा ।

श्री राधा रमण : हमारे प्रधान मंत्री ने लंका सरकार से इस विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में, जिनका निर्देश उन से किया गया क्या सुझाव दिये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा पत्र ७ या ८ फुलस्केप कागजों में था, अतः अब वे सब बातें बताना कठिन है ।

मोटर कारें

*२३३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में आयात की गई कारों में कितनी कारें सरकारी प्रयोग के लिये थीं तथा कितनी प्राइवेट व्यापार के लिये थीं ?

(ख) सरकार अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिये पर्याप्त संख्या में तैयार किये गये मोटर कारों के देशीयइंजनों को कब प्राप्त करने की आशा करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं ।

(ख) यह उद्योग कब आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, इसका अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं भारतीय निर्माताओं के त्रिवर्षीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्माताओं को अपने कार्यक्रम पेश करने के लिये कहा गया है । कुछेक ने तो पेश किये हैं तथा कुछेक ने नहीं किये हैं । हम इस वर्ष में ही सभी कार्यक्रम प्राप्त करने की आशा करते हैं ।

श्रीमती ए० काले : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि कितनी फर्मों ने अपने कार्यक्रम पेश किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसे कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं फर्मों को अपने कार्यक्रम पेश करने के लिये कहा गया है तथा मेरा विश्वास है कि उन में से तीन ने अपने कार्यक्रम भेजे हैं तथा दो ने अभी नहीं भेजे हैं । मुझे आशा है कि उनके कार्यक्रम भी इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही प्राप्त होंगे ।

श्री **नानादास** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि आयात की गई मोटर कारों के सम्बन्ध में ठीक ठीक सूचना देने में क्या कुछ कठिनाइयां हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिस तरह से हम अपना हिसाब किताब रखते हैं उस में सरकारी प्रयोग तथा प्राइवेट व्यापार के लिये आयात की गई कारों की अलग अलग संख्या नहीं दी जाती है ।

सरदार हुक्म सिंह : हिन्दुस्तान मोटर्स' ने इंजन बनाने के लिये १९५० में अपना संयंत्र स्थापित किया है । क्या उन्होंने 'हिन्दुस्तान' कारों के लिये इंजनों का उत्पादन एक ऐसे स्तर पर लाया है जो कि उनके लिए पर्याप्त होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अन्तिम सूचना ,जो कि मुझे इस वर्ष के आरम्भ में दी गई है, यह थी कि वह इंजनों के २७ प्रतिशत पुर्जे यहां ही तैयार करते हैं । मैं समझता हूं कि १९५४ के मध्य तक वह ६६ प्रतिशत पुर्जे तैयार कर सकेंगे ।

तेल साफ करने के कारखाने

*२३६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे द्वीप में तेल साफ करने के प्रस्थापित कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य पूरा हुआ है ;

(ख) यदि हुआ है तो इस उद्देश्य के लिये कितना सीमेन्ट तथा इस्पात काम में लाया गया है ;

(ग) इसे निकटतम बन्दरगाह के साथ मिलाने के सम्बन्ध में क्या सड़कें बनाने तथा रेलवे लाइनें बिछाने का काम हाथ में लिया गया है ; तथा

(घ) जलप्रदाय के लिये क्या कुछ व्यवस्था की जायेगी ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (घ) तक : सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४**]

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य रेलवे साइडिंग, जो इस समय वहां बनाई जा रही हैं, का खर्चा कौन उठायेगा ?

श्री **(आर० जी० दुबे** : मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय यह खर्चा उठायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विद्युत अधिष्ठापन कार्य हाथ में लेने के लिये किसी कम्पनी ने अपनी सेवाएं पेश की हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन फैक्टरियों के चालू होने के बाद कितने विदेशी विनिमय की बचत होगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मुझे खेद है कि मैं यह आंकड़े निश्चित रूप से नहीं दे सकता हूं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि यदि किसी फैक्टरी को नई अथवा पुरानी रेलवे साइडिंग की आवश्यकता हो, तो क्या इसकी लागत वह फर्म स्वयं अदा करती है तथा क्या रेल विभाग यह खर्चा नहीं उठाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : इसके दो पहलू हैं । एक मुख्य साइडिंग है जो कि कुरला से बनाई जायेगी तथा ट्राम्बे में समाप्त होगी — इस की लागत रेल मंत्रालय उठायेगा । इसके इलावा इसके साथ मिल जाने वाली अन्य लाइनें हैं जिनका खर्चा सम्बन्धी फर्में उठायेंगी।

झडग्राम में सामुदायिक परियोजना

* २३७. श्री **एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में झडग्राम के सामुदायिक परियोजन क्षेत्रों में कार्यप्रगति की स्थिति क्या है ; तथा

(ख) क्या इस सिलसिले में स्थानीय संसद् सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों का सहयोग तथा परामर्श प्राप्त किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या १५]**

(ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है तथा इसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् क्या इसके उदघाटन समारोह पर संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को भी निमंत्रण दिया गया था ?

श्री हाथी : मुझे इसके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं ।

श्री **एस० सी० सामन्त** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन गैर-सरकारी व्यक्तियों से किस प्रकार की सहायता ली जा रही है तथा क्या सलाहकार समिति की मीटिंग भी कभी कभी बुलाई जाती है ?

श्री हाथी : सलाहकार समिति की मीटिंगें बुलाई जाती हैं । समाचारों से पता चलता है कि ग्रामीण भी संतोषजनक ढंग से अपना सहयोग दे रहे हैं ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि नगरी बनाने तथा उद्योग को चालू करने के सम्बन्ध में कार्य प्रगति क्या है ?

श्री हाथी : जहां तक इस समुदायिक परियोजना का सम्बन्ध है । मुख्य काम जो करना है वह सिंचाई कृषि-उत्पादन आदि के सम्बन्ध में है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक समुदायिक परियोजना के लिये एक सलाहकार समिति होती है तथा उस समिति तें स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधान मण्डल के सदस्यों को लिया जाता है ?

श्री हाथी : बिल्कुल । प्रत्येक सामुदायिक परियोजना के लिये एक सलाहकार समिति होती है तथा योजना आयोग ने राज्यों को सुझाव दिया है कि प्रत्येक सलाहकार समिति में स्थानीय संसद-सदस्य, विधान सभा के सदस्य, जिला बोर्ड के सदस्य तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि आदि लिये जाने चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में कहा गया है कि इस क्षेत्र में राज्य सरकार के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काम किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि यदि सामान्य कार्यक्रम के अधिकारियों तथा परियोजना के अधिकारियों में कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में क्या कुछ किया जाता है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, सामान्यत: यह काम एक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत होता है । परियोजना अधिकारियों को प्रशासकीय व्यवस्था के पूर्ण सहयोग से काम करना होता है । तो इस तरह से कृषि विभाग को स्वभावत:, परियोजना अधिकारियों को अपना सहयोग देना होता है ।

भारतीय 'तारपीन का तेल'

*२३८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय 'तारपीन के तेल' में कम मात्रा में 'पिनेन' का अंश है ;

(ख) यदि यह सत्य है, तो इस तेल के अन्य लाभकारी तत्वों को उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस से कि 'पिनेन' तत्व कृत्रिम काफूर बनाने के लिये उपलब्ध हो ; तथा

(ग) देशीय तारपीन के तेल के 'पिनेन' तत्व आयात किये गये तारपीन के तेल के 'पिनेन' तत्वों के मुकाबिल में कैसे लगते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) देशीय तारपीन के तेल में 'पिनेन' अंश कम मात्रा में होने के कारण व्यवसायिक रूप से यह सम्भव नहीं हो सका है कि इसे 'कृत्रिम' काफ़ूर बनाने के काम में लाया जाये । भारतीय तारपीन के तेल के अन्य अंशों को उपयोग में लाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान का काम केन्द्रीय प्रयोगशाला, हैदराबाद तथा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना में जारी है ।

(ग) देशीय तारपीन के तेल के 'एल्फा' तथा 'बीटा', 'पिनेने' अंश ८ से लेकर ३९ प्रतिशत तक के हैं जबकि विदेशी तारपीन के तेल के 'पिनेन' अंश ६४ प्रतिशत से लेकर ९६ प्रतिशत तक हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या 'केरीन' तथा 'लेंगीफोलीन' को जोकि कीटाणुनाशक द्रव्यों के उत्पादन के काम आते हैं, उपयोग में लाने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, श्रीमान् । मैं समझता हूं कि 'केरीन' तथा 'लेंगीफोलीन' को कृत्रिम उत्पादों में काम में लाने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में प्रयोग किये जा रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : यह अंश किन अन्य वस्तुओं में काम में लाये जा सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक अत्यन्त ही टैक्नीकल मामला है । यद्यपि मुझे इस सम्बन्ध में कुछ सूचना है परन्तु मैं अपनी राय देने का प्रयत्न नहीं करना चाहता हूं

कम्बई में सिंचाई परियोजना

*२३९. **श्री दाभी :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बम्बई राज्य की दरम्यानी सिंचाई परियोजनाओं तथा 'कंटूरबांधों' के लिये कोई धनराशि मंजूर की है ?

(ख) यदि की है, तो कितनी ;

(ग) यह धन मंजूर करने के लिये शर्तें क्या हैं ;

(घ) कितनी सिंचाई तथा 'कंटूर बांध' परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी तथा यह किन किन क्षेत्रों में होंगी ; तथा

(ङ) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) तक बम्बई राज्य के अभाव वाले क्षेत्रों में योजना की कालावधि के दौरान में ४.८७ करोड़ रुपये की लागत के निर्माण कार्य हाथ में लिए जायेंगे। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित परियोजनाए शामिल हैं :—

(१) घोड,
(२) कृष्णा नहर का विस्तार,
(३) मोसन भंडार
(४) पुष्पावती
(५) फाटेवाडी (द्वितीय प्रक्रम)
(६) पटडौंगरी
(७) भुडियाल तालाब
(८) (क) तराली तथा (ख) उन्नूदी के भंडार
(९) 'कंटूर' बांध

इन निर्माण कार्यों के लिए जितना धन जिन शर्तों पर दिया जायगा उसके विस्तृत विवरण पर सरकार बम्बई सरकार के परामर्श से विचार कर रही है ।

श्री दाभी : इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने के बाद कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री हाथी : १,६९,६०० एकड़ ।

श्री नानादास : क्या एक शर्त यह भी है कि बम्बई सरकार को निश्चित समय के अन्तर्गत यह धन खर्च करना चाहिये ?

श्री हाथी : यह धन इन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिये दिया जा रहा है ।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक के लिए कितना धन आवंटित किया है ?

श्री हाथी : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

मिलो में कपड़ा इकट्ठा हो जाना

*२४१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अक्टूबर, १९५३ के अन्त तक मिलों में कितना कपड़ा बिना बिका हुआ पड़ा था ; और

(ख) मिलों में इतना कपड़ा इकट्ठा हो जाने के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ अक्टूबर, १९५३ को १५०० गज की ४२१,६२५ गांठें ।

(ख) कारण बहुत से हैं जिन में से अधिक महत्वपूर्ण है उत्पादन स्तर में वृद्धि, मानसून का अधिक काल तक रहे आना जिस से कि व्यापारियों की खरीदारी में विलम्ब हुआ तथा कुछ सीमा तक देश के कुछ भागों में व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रत्याशा में खरीदारी न करना कि मूल्यों में कमी आएगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि उपनियंत्रण की नीति

अपनाने के बाद से कपड़े के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो मैं नहीं कहूंगा । किन्तु मैं समझता हूं कि लगभग १९५२ के मध्य से कपड़े का उत्पादन काफी ऊंचे स्तर पर हो रहा है और वह उत्पादन स्तर अब भी जारी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने यह मालूम करने के लिए कोई जांच की है, अथवा करने का इरादा है, कि क्या लोगों की क्रय-शक्ति तथा मिलों में कपड़े के उत्पादन के मध्य बहुत बड़ा अन्तर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ऐसा मामला है जिसके लिए हमें केन्द्रीय आंकड़ा विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है । किन्तु यह निश्चय ही **तथ्य** है जैसा कि कपड़ा उत्पादक क्षेत्रों से कपड़े के निर्गमन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्तरी भारत में अधिक कपड़ा जा रहा है जब कि मध्य भारत तथा दक्षिण में उपभोग कम रहा है । इस का कारण शायद यह है कि गत वर्ष इन क्षेत्रों में मानसून ठीक नहीं रही थी । आशा यह की जाती है कि सन् १९५४ में, यदि मानसून सम्बन्धी हमारी प्रत्याशा ठीक निकली, कपड़े के उपभोग में सामान्य वृद्धि होगी ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी बाजारों में भी कोई कमी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने के प्रयोजन से किसी परिषद की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो कब?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उत्पादक तथा व्यापारिक हितों के समक्ष यह विचार रखा गया है और अभी मैंने उनकी लिखित प्रतिक्रिया नहीं देखी है ।

राष्ट्रीय विस्तार योजना

*२४२. **श्री हेडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २ अक्टूबर १९५३ को राष्ट्रीय विस्तार योजना के अंतर्गत कितनें विकास-खंडो का उद्घाटन किया गया ?

(ख) इन खंडों में कितने गांव सम्मिलित हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९२ ।

(ख) लगभग १९,२०० ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि समुदायिक परियोजनाएं, जो गत वर्ष प्रारम्भ की गई थीं, तथा विकास खंडों के मध्य ठीक-ठीक क्या अंतर है ?

श्री हाथी : दोनों में यह अंतर है कि समुदायिक परियोजनाओं के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम है जब कि राष्ट्रीय विस्तार योजना केवल कृषि तक ही सीमित है । सामुदायिक योजनाओं की अपेक्षा इसके लिये नियत धन राशि भी कम है ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि ये दोनों स्कीमें एक ही प्राधिकार के अन्तर्गत हैं अथवा पृथक्-पृथक् प्राधिकारों के अंतर्गत ?

श्री हेडा : एक ही अधिकार के ।

श्री गौडिलिंगन गौड : क्या मैं आंध्र राज्य में प्रारम्भ किये विकास खंडों की संख्या, नाम तथा स्थान जान सकता हूं ?

श्री हाथी : आंध्र राज्य के हिस्से में २२ खंड रखे गये हैं ।

सीमा घटना

***२४३. श्री पी० सी० बोस :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) ८ मई, १९५३ को भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी पुलिस द्वारा पांच संथाल स्त्रियों को मार देने के सम्बन्ध में पुर्निया (बिहार) के जिला अधिकारी तथा पूर्वी पाकिस्तान के एक ज़िला अधिकारी के मध्य जो वार्ता हुई थी उसकी कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) मामले की सचाई क्या थी ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ४ और ५ सितम्बर, १९५३ को दोनों ज़िला अधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच की गई थी ।

(ख) ७ अगस्त १९५३ को इस सदन में श्री एम० एम० दास द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १२८ के भाग (क) और (ख) के उत्तर में तथ्य दिये हुए हैं ।

(ग) चूंकि उपर्युक्त संयुक्त जांच में कोई सहमत निर्णय नहीं हो सका, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने को फिर कहा है । भारत सरकार इस मामले को गम्भीर रूप से देखती है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान सरकार से उच्चतर स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई वार्ता की थी कि सीमा पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमने कुछ प्रक्रिया निर्धारित कर ली है । प्रत्येक ही इस बात से सहमत है कि ये घटनायें रुकनी चाहियें । यह अपराधियों को रोकने अथवा दण्ड देने का प्रश्न है । इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है । किन्तु प्रस्तुत मामले में कठिनाई यह है कि कुछ पाकिस्तानी पुलिस मैंनो ने सीमा पर दुर्व्यवहार किया और कुछ संथाल स्त्रियों के साथ हस्तक्षेप किया । बात बहुत बड़ी थी और बहुत बुरी थी ; किन्तु कुछ पुलिस मैंनों का वर्ताव सरकार का मामला नहीं है । निस्संदेह, पुलिसमैंनों को दण्ड मिलना चाहिये । यहां मामला समाप्त हो जाता है । किन्तु इस विशिष्ट मामले में, सर्वोच्च स्तर पर बात की जा रही है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उस संथाल लड़की का पिता जिसे उस पाकिस्तानी पुलिस ने अपहृत कर लिया था । तथा गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया था, छोड़ दिया गया है या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, वह छोड़ दिया गया है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : उन पुलिस मैंनों का क्या हुआ ? क्या कोई कार्यवाही की गई ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अगला प्रश्न ।

के० सी० नहर की मरम्मत तथा विकास

***२४७. श्री सी० आर० चौधरी :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खोसला समिति की के० सी० नहर की मरम्मत तथा विकास करने सम्बन्धी सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : मद्रास सकार ने दो प्राक्कलन तैयार किये थे नामतः, (१) कुरनूल-कुडप्पा नहर में सुधार करके उसे ६,००० क्यूबिक्स पानी के लिये तैयार करना और (२) ३,००० क्यूबिक्स पानी के लिये तयार करना । उसने

यह बात आंध्र सरकार पर छोड़ दी कि इनमें से जो भी योजना चाहे स्वीकार करे । इस पर आंध्र सरकार विचार कर रही है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध मे आंध्र सरकार ने कोई और प्रस्ताव भेजा है ?

श्री हाथी : आंध्र सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस विषय पर हाल में हुए मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन में विचार किया गया था ?

श्री हाथी : मुख्य इंजीनियरों के पिछली सम्मेलन की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि और आगे जांच की जाये । मद्रास सरकार जांच कर रही थी । इसी बीच आंध्र राज्य का निर्माण हो गया और मद्रास सरकार ने अपने प्रस्ताव आंध्र राज्य को भेज दिये ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि आंध्र सरकार ने परियोजनाओं की कोई सूची प्रस्तुत की है जिसमें कि यह नहर भी सम्मिलित है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अभी से आंध्र सरकार के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं रखे जाने चाहिये । कम से कम इसे छः मास तक तो कार्य कर लेने देना चाहिये ।

नंदी कोंडा परियोजना

***२४८. श्री सी० आर० चौधरी :** (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस्तना नदी पर नंदी कोंडा परियोजना के सम्बन्ध में हैदराबाद तथा आंध्र राज्यों ने जांच पूर्ण कर ली है जैसा कि १६ दिसम्बर, १९५२ को हुए मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन में तय हुआ था ?

(ख) परियोजना पर अंतिम प्रतिवेदन सौंपने के लिये क्या इन राज्यों ने अपनी रिपोर्टें खोसला समिति को सौंप दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हेडा) : (क) नंदीकोंडा परियोजना सम्बन्धी विस्तृत जांच पूरी होने वाली है ।

(ख) अभी नहीं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि जांच का कार्य कब पूरा होगा तथा अंतिम प्रतिवेदन की कब तक आशा की जा सकती है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि यह कार्य तीन चार मास में पूरा हो जायेगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या यह सच नहीं है कि जांच का कार्य गत अक्टूबर तक पूरा हो जाने की आशा थी ?

श्री हाथी : हैदराबाद सरकार ने यह पूरा कर लिया है ; आंध्र सरकार द्वारा पूरा करना अभी शेष है । उनके द्वारा एक संयुक्त प्रतिवेदन सौंपे जाने की आशा है ।

श्री सी० आर० चौधरी : प्रतिवेदन के अक्टूबर मास में पूरा होने की जो आशा थी उसमें विलंब होने का क्या कारण है ?

श्री हाथी : विलम्ब का कारण यह है कि जांच कार्य में कुछ और समय लगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि इस योजना के लागू होने पर, पुरातत्वीय महत्व का स्थान नगरजनीकोंडा डूब जाएगा ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री हाथी : यह मामला अब भी विचाराधीन है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : केन्द्रीय पुरातत्व बोर्ड के समक्ष सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये इन वक्तव्यों की दृष्टि में कि वित्त मंत्रालय से अधिक राशि देने की प्रार्थना की गई है जिससे कि नंदी कोंडा परियोजना कार्यान्वित हो सके और नगरजनीकोंडा के अवशेषों को बचाया जा सके, क्या

सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

श्री हाथी : जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस पर भी विचार किया जायेगा ।

सुधार-कर

*२५१. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने बिहार सरकार से कहा है कि बिहार सरकार को कोसी परियोजना के स्वीकृत होने के पहिले सुधार-कर के विषय में निश्चित वचन देना होगा ; तथा

(ख) यदि सच है, तो बिहार सरकार की प्रतिक्रिया ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) बड़ी-बड़ी सिंचाई-परियोजनाओं के लिये धन इकट्ठा करने के लिये योजना आयोग तथा भारत सरकार ने सुधार-कर लगाने के उपाय को एक नीति के रूप में मान लिया है । यह कोसी परियोजना पर भी उसके स्वीकृत होने पर लागू होगा ।

(ख) बिहार सरकार ने इस कर के लगाये जाने के सिद्धांत को मान लिया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : सुधार-कर की प्रति एकड़ दर क्या होगी ?

श्री नन्दा : उस पर विचार नहीं किया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : कोसी परियोजना की आज ठीक-ठीक क्या स्थिति है ?

श्री नन्दा : वस्तुतः यह प्रश्न सीधा संगत नहीं है ; पर मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि अब योजना आयोग तथा सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है, और एक परियोजना बिहार सरकार के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेजी गई है ।

श्री एस० एन० दास : नई योजना क्या है ? क्या यही कि हनुमाननगर में बांध बनाने के लिये एक अन्य स्थान चुना गया है ?

श्री नन्दा : जब तक बिहार सरकार योजना को न देखे, मेरे विचार से विवरणों को प्रकट करना समय से पूर्व है ।

श्री के० के० बसु : क्या सुधार-कर योजना के कार्यान्वित होते ही इकट्ठा किया जायेगा या जब किसान परियोजना से कुछ लाभ उठा लेंगे ?

श्री नन्दा : विभिन्न राज्यों में इस बात में अन्तर हो जाता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या अन्य परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय भी ये वचन मांगे गये थे ?

श्री नन्दा : यह सिद्धांत कई वर्षों से माना जा रहा है ।

आई० जे० एम० ए० नियोजन

*२५२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आस्ट्रेलिया में अपना निर्यात बढ़ाने के लिये वहां जाने वाले आई० जे० एम० ए० नियोजन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा अब तक उठाये गये पग ; तथा

(ख) क्या विगत छः महीनों में आस्ट्रेलिया को हमारे जूट के माल का निर्यात घट गया है या बढ़ गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैं १४ अगस्त, १९५३ को डा० एम० एम० दास द्वारा

पूछे गए प्रश्न संख्या ४८० के अनुपूरक प्रश्नों से सम्बन्धित अपने उत्तरों का निर्देश करूंगा ।

(ख) एक विवरण, जिसमें मई से अक्टूबर , १९५३ तक के काल में और गत वर्ष के तत्संवादी काल में आस्ट्रेलिया को जूट के माल का निर्यात बतलाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]** । वर्तमान वर्ष के इस काल के निर्यात में लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : हमारे जूट के माल के आस्ट्रेलिया में मांग कम होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा मैंने बताया, पिछली बार एक कारण आस्ट्रेलिया द्वारा माल का संग्रह बंद कर देना था । दूसरा कारण श्रम की कमी है, जिसके कारण वे बोरों में न रख कर गोदामों में इकट्ठा करने लगे हैं ।

डा० एम० एम० दास : माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे निर्यात ५० प्रतिशत बढ़ गये हैं । क्या मैं अपने निर्यात की वृद्धि के कारण जान सकता हूं ? क्या यह निर्यात शुल्क में कमी के कारण है या विदेशों में मांग बढ़ने के कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ये दो कारण हैं, और साथ ही एक कारण आस्ट्रेलिया सरकार की अपेक्षतया सस्ते बाज़ार में माल खरीदने की इच्छा है, जिससे वह अधिक दाम पर खरीदे गये माल के दामों के साथ इसका समूहन कर सके और उसे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बेच सके ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सं० रा० अमेरिका और अर्जेंटाइना को जूट का निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ विशेष यत्न किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सं० रा० अमेरिका का सम्बन्ध है, सरकार के पास कोई सुनिश्चित योजना नहीं है । आई० जे० एम० ए० के पास निर्यात बढ़ाने की योजना है। जहां तक अर्जेनटाइना का सम्बन्ध है , वहां का बाज़ार बिलकुल अस्थायी है ; तुरंत चढ़ता-उतरता है । ऐसी परिस्थिति में, मैं नहीं समझता कि सरकार या आई० जे० एम० ए० के लिये निर्यात बढ़ाने के हेतु कुछ व्यय करना बुद्धिमानी का काम होगा ।

परीक्षण समिति

***२५४. श्री भागवत झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार वाचकों के श्रेणी निर्धारण के लिये सरकार द्वारा बनाई गई परीक्षण समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ; तथा

(ग) उनके कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

(ग) सिफारिशों के परीक्षण के बाद शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भागवत झा : इस भारी बिलंब के क्या कारण हैं, और किन व्यक्तियों को 'ए' श्रेणी दी गई है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, खेद है कि यह जानकारी अप्रकाश्य होने के कारण

में बता न सकूंगा । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उनके द्वारा निर्दिष्ट समिति संविहित समिति नहीं बल्कि एक विभागीय समिति है, जिसे हमने पक्षपातहीन रूप में लोगों की योग्यता जानने के लिये नियुक्त किया है । उन पर विचार किया जायेगा, और उचित कार्यवाही की जायेगी । ये सभी सिफारिशें गोपनीय होती हैं । और मैं उन्हें प्रकट न कर सकूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह देर का कारण जानना चाहते थे ।

डा० केसकर : ये सिफारिशें हाल में ही मिली हैं, और ये सम्बन्धित लोगों के वेतन और श्रेणियां निश्चित करने में सहायक होंगी । विभिन्न श्रेणी-वेतन पाने वाले अनेकों व्यक्तियों के ऊपर उनको स्वत: लागू कर देना संभव नहीं है ।

श्री भागवत झा : इस तथ्य की दृष्टि में कि अंग्रेजी समाचार वाचकों और हिन्दी समाचार वाचकों के वेतन-प्रमाप में पहले से ही बड़ा अंतर है । क्या यह सच नहीं है कि अ० भा० रेडियो के कुछ अधिकारी इस समिति की सिफारिशों को दबा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । क्या उनको और कोई प्रश्न पूछना है ?

श्री भागवत झा : हां, श्रीमान् । प्रति दिन हिन्दी और अन्ग्रेजी के कितने समाचार बुलेटिन पढ़े जाते हैं, और दोनों विभागों में इन समाचार-वाचकों की संख्या क्या है ?

डा० केसकर : यदि एक प्रश्न रखा गया तो मैं सहर्ष जानकारी दे दूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : जब इस समिति की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा, तो क्या उनको भूतलक्षी तिथि से प्रभावी बनाया जायेगा ।

डा० केसकर : समिति से यह कहा गया है कि वह विभिन्न समाचार-वाचकों की विशिष्टता हमें बताये । जैसा मैंने कहा—और दुहरा रहा हूं—यह संसदीय या संविहित समिति नहीं है । यह लोगों को निष्पक्ष रूप में श्रेणी देने में हमें समर्थ बनाने के लिए नियुक्त की गई है । और मेरे लिये इस समय यह कहना संभव नहीं है कि हम उनको यथा-निश्ति वेतन निर्णय की तिथि से देंगे या पहले से ।

कम कीमत पर गृह-निर्माण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

***२५५. डा० एम० एम० दास :** क्या **निर्माण गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नई दिल्ली में जनवरी, १९५४ में प्रस्तावित कम कीमत पर गृह-निर्माण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रर्दशनी का प्राक्कलित व्यय ;

(ख) क्या वहां बनने बाल आदर्श मकान केवल निजी निवास वाले ही होंगे या स्कूल, कार्यालय भवन आदि के लिये होंगे ;

(ग) प्रदर्शनी में कम कीमत पर मकान बनाने के हेतु स्थान के लिये कुल कितने आवेदन स्वीकृत किये गये हैं ;

(घ) उन प्रतिस्पर्द्धियों की कुल संख्या, जिन्होंने कम कीमत पर मकानों की डिजाइनें भेजीं हैं ;

(ड) प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विदेशी उपक्रमों और सरकारों की संख्या ; तथा

(च) क्या कम कीमत पर मकान बनाने के विषय में सारी जानकारी, जो प्रदर्शनी देगी, जनता को प्रकाशन के रूप में उपलब्ध रहेगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) रु० ९,००,००० (नौ लाख) ।

(ख) आदर्श-मकान केवल निवास सम्बन्धी ही होंगे ।

(ग) अब तक ३६ आवेदकों को ७० आदर्श मकान बनाने के लिये स्थान दिया गया है ।

(घ) १५९ प्रतिस्पर्द्धियों से १७० डिजाइने प्राप्त हुई हैं ।

(ङ) चौदह विदेशी सरकारों और चार विदेशी उपक्रमों के भाग लेने की संभावना है ।

(च) हां, श्रीमान् ।

डा० एम० एम० दास : क्या प्रदशनी में आदश मकानों की अपनी योजनायें और डिजाइनें भेजने वाले व्यक्ति उनका एकस्व अधिकार पाने के अधिकारी होंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि क्या वे एकस्व अधिकार पाने के अधिकारी होंगे । मैंने मकान की डिजाइन के एकस्व की बात अभी तक नहीं सुनी । यदि उसमें कुछ वैज्ञानिक आविष्कार हो तो एकस्व अधिकार मिल सकता है ।

डा० एम० एम० दास : क्या डिजाइन बनाने वालों को कुछ भुगतान या रायलटी बिना दिये जनता को इन मकानों के डिजाइन और योजनायें सुलभ हो सकेंगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, बिलकुल ऐसा ही है ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार अपने निर्णय पेर पुनर्विचार करके प्रदर्शनी दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में लगवायेगी, जिससे सभी संसद् सदस्य उसे देख सकें ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री के० के० बसु : क्या इन आदर्श मकानों में भारत में उपलब्ध सामग्री ही लगाई जायगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मुझे यही आशा है ।

तुंगभद्रा परियोजना

*२५६. **श्री नानादास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) तुंगभद्रा परियोजना में अब तक हुई प्रगति ;

(ख) १९५३ में सिंचाई के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ;

(ग) परियोजना कार्य की कौन कौन मदें अब भी अपूर्ण हैं ; तथा

(घ) सारी योजना कब पूरी होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७**] ।

(ख) हैदराबाद में अब तक ४००० एकड़ सिंचाई वाला क्षेत्र है ; वर्ष के अंत तक इसमें २००० एकड़ के और बढ़ने की संभावना है ।

आंध्र/मैसूर में : कुछ नहीं।

(घ) बांध तथा अनुबंध निर्माण कार्य : ३० जून, १९५४ ।

प्रणालियों और संचालन-पुलों समेत अतिरिक्त जल निर्गमन फाटकों का बनाना —१९५५ की बाढ़ के मौसम से पूर्व ।

हैदराबाद की ओर :

नहर १९५६-५७

आंध्र / मैसूर की ओर :

नहर ..... जून, १९५४

विद्युत संभरण .... सितम्बर, १९५६

श्री नानादास : इस तथ्य की दृष्टि में कि प्राय: अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, मैं जान सकता हूं कि क्या तुंगभद्रा उच्च स्तल नहर निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा ? और यदि लिया जायेगा, तो कब ?

श्री हाथी : केवल बांध का निर्माण पूरा हुआ है । नहर प्रणाली अभी बननी है ।

श्री नानादास : क्या मैं यह समझ लूं कि उच्च स्तलं नहर का निर्माण कार्य निकट भविष्य में शुरू नहीं होगा ?

श्री हाथी : वह परियोजना के पूरे होने पर निर्भर है । उसे बाद में लिया जा सकेगा पर इतने शीघ्र नहीं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि १७३ वें मील तक पानी कब दिया जायेगा ?

श्री हाथी :: १७३ वें मील तक मुख्य नहर तयार है, पर बंवे तैयार नहीं हैं ।

श्री नानादास : बिजली का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री हाथी : श्रीमान्, १९५६ तक ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं आंध्र और मैसूर की नहरों के लिये पानी न उपलब्ध होने का कारण जान सकता हूं, जब हैदराबाद नहर ४००० एकड़ों में सिंचाई कर रही है ?

श्री हाथी : श्रीमान् । जैसा मैंने कहा, नहर-प्रणाली अभी तयार नहीं है ।

जहाज़ बनाना

*२५८. **श्री जेठा लाल जोशी** : **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विशाखा पटनम के पोतनिर्माण यार्ड को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में, जहाज़ बनाने की लागत को घटाकर कमी करने का कोई विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : शिपयार्ड के विकास के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रस्ताव पर, जिसके लागू करने से यह आशा की जाती है कि जहाज़ बनाने के खर्चे में कमी हो जायेगी, सरकार विचार कर रही है । इस खर्च को कम करने के अभिप्राय से संचालकों के बोर्ड ने पहिले ही कुछ कार्य किये हैं ।

श्री जेठा लाल जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बेकारी को कम करने के कार्यक्रम के रूप में माल ढोने के जहाज़ों तथा अन्य जहाज़ों की संख्या बढ़ाना चाहती है और यदि ऐसा है, तो इस वर्ष जहाज़ों की कितनी संख्या बढ़ाई जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्य के लिये एक सुझाव है । यदि आप को कोई सूचना चाहिये तो आप वह पूछ सकते हैं ।

पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*२५९. **श्री बी० के० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या पर विचार करने के लिये तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट पर मंत्रि-परिषद् ने विचार किया है ;

(ख) क्या उस परिषद् ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं ; तथा

(ग) क्या इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) परिषद की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० के० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथ्य-अन्वेषण समिति को अपनी रिपोर्ट गत फरवरी तक भेज देनी चाहिये थी, इस पूरी कार्य विधि में देर लगन के क्या कारण हैं ?

श्री ए० पी० जैन : तथ्य अन्वेषण समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी में नहीं भेजी थी । इसने यह बहुत बाद में भेजी थी । फिर, डा० विधान चन्द्र राय, जो कि इस समिति के एक सदस्य थे यूरोप चले गये थे और फिर उसके बाद वह कुछ अन्य कामों में लगे रहे । इस लिये मंत्रियों की बैठक बुलाने में कुछ देर हो गई ।

श्री बी० के० दास : उस प्रान्त में पुनर्वास कार्य में जो वास्तविक सफलता प्राप्त हुई है उसके समबन्ध में उस समिति की उपपत्ति क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : यह एक बड़ी रिपोर्ट है और यह मंत्रियों को भेज दी गई है जो उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर अपने निर्णय करेंगे, और मंत्रियों के निर्णय प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या उस राज्य से रिपोर्ट मंगाकर उसे संसद् सदस्यों को देने का कोई विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट को नहीं अपितु मंत्रियों के अन्तिम निर्णय को ।

मिश्र गया हुआ व्यापार प्रतिनिधि मंडल

*२६०. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुरारजी वैद्य के नेतत्व में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल मिश्र गया था और वहां से लौट आया है ?

(ख) क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

(ग) क्या मिश्र में भारतीय वस्तुओं, विशेष कर फिल्मों तथा चाय के लिये लाभ दायक बाजार है ?

(घ) क्या सरकार का मिश्र में चाय फिल्मों तथा बनारसी वस्त्रों का प्रचार करने के निमित्त कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैं समझता हूं कि एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल मिश्र गया था ।

(ख) यह प्रतिनिधि मंडल सरकार की ओर से नहीं भेजा गया था और इस लिये इसके द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं है ।

(ग) मिश्र में भारतीय वस्तुओं के लिये, जिसमें चाय भी सम्मिलित है बाजार है । वहां इस समय भारतीय फिल्मों के लिये बाजार नहीं है ।

(घ) मिश्र में चाय का प्रचार करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री रघुनाथ सिंह : बनारसी सिल्क के सामान के वास्ते इजिप्ट में आप की तरफ से कोई खास इन्तजाम हुआ है ?

श्री करमरकर : मुझे इसका पता नहीं है, अभीतक कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं है, किन्तु मैं समझता हूं कि जो प्रतिनिधि मंडल वहां गया था उसने वहां एक वस्तु प्रदर्शनालय (एम्पोरियम) का आयोजन किया था जिसमें बनारसी साड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वहां चाय के लिये अच्छा बाज़ार है, क्या सरकार का वहां एक चाय बिक्री बोर्ड स्थापित करने का विचार है ?

श्री करमरकर : मुझे वहां चाय बिक्री बोर्ड स्थापित करने के बारे में पता नहीं है। किन्तु हम मिश्र में एक ऐसा प्रबन्ध करने का विचार कर रहे हैं यह अभी विचाराधीन है।

उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण में हिन्दी

***२६१. श्री रिशांग किशिंग : प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पूरे उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण में केवल हिन्दी को ही देवनागरी लिपि में चलाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव : (श्री जे० एन० हजारिका) : सरकार की नीति तथा योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वहां के निवासियों को प्रारम्भिक शिक्षा उन्हीं की भाषा के माध्यम द्वारा दी जायेगी। इस समय आदिम जातियों के भाषा के माध्यम द्वारा ७२ प्रारम्भक स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। ९३ प्रारम्भिक स्कूलों में आसामी भाषा शिक्षा का माध्यम है। कुछ आदिम जातियों की भाषाओं में प्रारम्भिक पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है। इन भाषाओं की लिपि देवनागरी, रोमन या आसामी हो, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी स्कूलों द्वारा पहिले से ही कुछ आदिम जातियों में रोमन लिपि प्रचलित कर दी गई है।

उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण के सभी हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य विषय कर दिया गया है। लोअर प्राईमरी स्कूलों में यह इस समय अनिवार्य विषय नहीं है। उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण के भीतर की पहाड़ियों में नियुक्त किये जाने के लिये योग्य तथा उपयुक्त अध्यापक मिलने में पर्याप्त कठिनाई हो रही है।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी आदिम जाति की भाषा में कोई पुस्तक लिखी गई है ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ये पुस्तकें किन लिपियों में लिखी गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पाठ्य पुस्तकें ?

श्री रिशांग किशिंग : जी हां।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अभी जो उत्तर पढ़ा गया था उसके दौरान में यह बताया गया था कि आदिम जातियों की भाषा में बहुत सी प्रारम्भिक पुस्तकें लिखी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह लिपि जानना चाहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं वही कह रहा हूं। एक मामले में तो यह आदिम जाति की भाषा है और दूसरे में यह आसामी भाषा है। जहां तक लिपि का सम्बन्ध है, उनमें से बहुत से रोमन लिपि में लिखते हैं जो कि पिछले बहुत से वर्षों से ईसाई मिश्नरी स्कूलों में प्रयोग में लाई जा रही है। किन्तु लिपि के प्रश्न की जांच हो रही है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य नहीं है कि आदिम जातियों के युवक विद्यार्थियों को आसामी, एक आदिम जाति की भाषा तथा हिन्दी ये तीन भाषायें भिन्न भिन्न लिपियों में पढ़नी पड़ती हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास एक आदमी आया जिसने मुझे बताया कि वह हिन्दी और अपनी भाषा पढ़ना चाहता था, उसे आसामी भी पढ़नी पड़ती है और उसने कहा कि वह अंग्रेजी भी पढ़ना चाहता है ; तीन लिपियां और चार भाषाय।

श्री अमजद अली : वहां अबोर, मिशमी और खामली आदि बहुत सी आदिम जातियां हैं। किस आदिम जाति को इसकी भाषा की प्रारम्भिक पुस्तक दी जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आदिम जातियों के नाम नहीं बता सकता ।

विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन

*२६२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (क) **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विजयवाड़ा रेडियो की स्टेशन की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) इस स्टेशन पर वार्षिक व्यय कितना होता है, इसमें कर्मचारी वर्ग कलाकारों तथा प्रवर्तन व्यय के अलग अलग आंकड़े बताये जायं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस स्टेशन का वार्षिक व्यय इस प्रकार है :

वार्षिक व्यय .... ३,५६,००० रु० (१९५२-५३ के आंकड़े) जिनमें से :

कर्मचारी वर्ग..... १,७६,००० रु०

कलाकार..... १,३०,००० रु०

विविध व्यय जो कि आधिकांशत: प्रवर्तन सम्बन्धी व्यय है... ५३,२३३ रु० ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सत्य नहीं है कि आरम्भिक पूंजी व्यय से पृथक क्षमता वाले तथा कम क्षमता वाले ट्रांसमिटर का प्रवर्तन व्यय वही है ?

डा० केसकर : मैं यह नही बता सकता । यह अक्सर बहुत अधिक नहीं होगा ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस कम क्षमता वाले ट्रांसमिटर को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी क्योंकि प्रत्येक मामले में आवाज बहुत कम सुनाई देती है इस कारण कलाकारों का कला प्रदर्शन व्यर्थ जाता है ?

डा० केसकर : हमारी यह नीति है कि कम क्षमता वाले ट्रांसमिटरों के स्थान पर उच्च क्षमता वाले ट्रांसमिटर लगाये जायें । यह पांचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि विजयवाड़ा स्टेशन के कार्य क्रम को सुनने वाले व्यक्ति इस ट्रांसमिटर की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग करते रहे हैं ?

डा० केसकर : विजयवाड़ा तथा तेलगू कार्यक्रम प्रसारित करने वाले अन्य स्टेशनों के तेलगू भाषा के कार्यक्रम को सुनने वाले व्यक्तियों ने एक मांग की थी । किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे पास सीमित धन है, हम इस पंचवर्षीय योजना के दौरान में इसकी व्यवस्था नहीं कर सके हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य नहीं है कि .....

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

स्थानीय विकास निर्माण कार्य

*२६३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** (क) **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या स्थानीय निर्माण-कार्यों के लिये आर्थिक सहायता देने की योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिये मंजूर की गई सारी राशि खर्च हो गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो शेष राशि कितनी है ?

(ग) क्या इस राशि का उपयोग करने के लिये नये प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) तक राज्य सरकारों

के लिये नियत की गई २५० लाख रुपये की सारी की सारी राशि उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट योजनाओं के लिये अलग रख दी गई है। ५० लाख रुपये की केन्द्रीय रक्षित राशि में से अनुदान देने के लिये अब भी नये प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या प्रार्थना पत्रों की कमी इस लिये नहीं है क्योंकि इन योजनाओं के सम्बन्ध में ठीक तरह से प्रचार नहीं किया गया है ?

श्री हाथी: यह बात नहीं है, बल्कि २५० लाख रुपये जो हमने राज्य सरकारों के लिये नियत किया है उसकी विभिन्न योजनाओं के लिये आवश्यकता है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं उन योजनाओं का निर्देश कर रहा हूं जिनके लिये ५० लाख रुपया नियत किया गया है तथा जिस में से अभी काफी रुपया बच रहा है।

श्री हाथी : योजना केवल गत अगस्त में ही आरम्भ की गई थी। इस योजना को आरम्भ किये हुए अभी तीन या चार महीने ही हुये है। मैं कहना चाहता हूं कि संगठनों द्वारा भेजे गये उत्तर संतोषजनक हैं। अनेक योजनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री एस० वी० राम स्वामी : मद्रास राज्य को विभाजन से पूर्व कितनी राशि नियत की गई थी तथा आंध्र और मद्रास के बीच किस प्रकार नियतन किया गया है ?

श्री हाथी : मद्रास के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े हैं : ४० लाख रुपये।

इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, बम्बई

*२६४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन्डिया यूनाइटेड मिल्स, बम्बई का मामला केन्द्रीय सलाहकार उद्योग परिषद् को यह मालूम करने के लिये निर्दिष्ट किया गया था कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये ?

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सलाह दी ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). उद्योग सलाहकार परिषद् ने यह इच्छा प्रकट की कि सरकार से अन्तिम सिफारिश करने से पहले यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में और आगे जांच की जाये। अतएव, इस मिल के कार्यों की अग्रेतर जांच करने के लिये एक उप-कमेटी बना दी गई थी। आशा की जाती है कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी।

श्री के० सी० सोधिया : मिलों की इस समय वास्तविक हालत क्या है ? वे चल रहे हैं या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : : इस मिल में शामिल छः की छः यूनिटें काम कर रही हैं।

श्री जोकीम आल्वा : १९४४ या १९४५ में किसी समय तत्कालीन उद्योग तथा रसद मंत्री, स्वर्गीय श्री अकबर हैदरी, उस विभाग के तत्कालीन सचिव श्री एच० एम० पटेल के साथ बम्बई गये थे तथा उन्होंने इन्डिया यूनाइटेड मिल्स को चलाने के लिये एक सरकारी संचालक नियुक्त कर दिया था। यद्यपि सरकार का एक बड़ा कपड़ा निदेशालय बम्बई में वर्षों से काम करता चला आ रहा है, फिर भी, मैं सरकार से यह मालूम करना चाहता हूं कि तब से सरकार ने इस ग्रुप के विरुद्ध अपने विनियम लागू करने के सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत के कपड़ा मिलों के इतिहास के सम्बन्ध में मुझे अधिक जानकारी नहीं है । अतएव, मैं प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

युद्ध बन्दियों की अदला-बदली

*२६६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या प्रधान **मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने उन युद्ध-बन्दियों की अदला-बदली करने का निश्चय किया है जिन्हें काश्मीर की लड़ाई में अक्टूबर १९४७ से जनवरी १९४९ के बीच पकड़ लिया गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर कितने युद्ध-बन्दी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अप्रैल, १९५० में इस बात का निश्चय किया गया था कि काश्मीर की लड़ाई में अक्टूबर, १९४७ से जनवरी १९४९ के बीच पकड़े गड़े भारतीय तथा पाकिस्तानी बंदियों की अदला-बदली की जाये। इसके फलस्वरूप, बन्दियों की अदला-बदली की गई थी ।

कुछ समय के पश्चात् कुछ और व्यक्तियों की, जो युद्ध-रोको सीमा को पार कर गये थे और बन्दी बना लिये गये थे, अदला-बदली की गई थी ।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की हाल ही होने वाली बैठकों में शेष बन्दियों की अदला-बदली के सम्बन्ध में निश्चय किया गया था ।

(ख) इस समय प्रत्येक देश के पास कुल बन्दियों की संख्या इस प्रकार है :

(१) जम्मू में भारत की संरक्षा में :

पाकिस्तान सेना	८
आजाद काश्मीर सेना	२२
उत्तरी स्काउट	५
कुल . .	३५

(२) लाहौर में पाकिस्तान की संरक्षा में :

भारतीय सेना	९
जम्मू तथा काश्मीर मिलीशिया	२
जम्मू तथा काश्मीर राज्य सेना . .	२
कुल .	१३

डा० राम सुभग सिंह : बन्दियों की अदला-बदली कब तक पूरी हो जायेगी तथा क्या किसी भी ओर कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें किसी बन्दी ने प्रत्यावासन से इन्कार कर दिया हो ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता । हो सकता है ऐसा हो गया हो । हो सकता है इन्हीं दिनों में से किसी दिन ऐसा हो गया हो । यह कोई पेचीदा मामला नहीं है । मेरे विचार में ऐसा हो गया है । परन्तु मैं निश्चित नही हूं ।

डा० राम **सुभग सिंह** : : क्या किसी बन्दी ने प्रत्यावासन से इन्कार किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन्कार करने के मामले के सम्बन्ध में यह तय किया गया था कि बन्दी को उसी देश में आजाद कर दिया जाये जहां पर वह हो । वह जो चाहे कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुटीर उद्योग

*२२९. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल-भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा की गई उस सिफारिश के सम्बन्ध में

क्या कार्यवाही की गई है जिसमें एक केन्द्रीय बाजार संगठन स्थापित करने के लिये कहा गया है जिससे कुटीर उद्योग की वस्तुओं को भारत तथा विदेशों में बेचने के सम्बन्ध में और अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकें ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इन वस्तुओं की बिक्री की संभावनाओं का, विशेषकर, साथ साथ उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए समालोकन करने का विचार है ।

कपड़ा जांच कमेटी

*२३४. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कपड़ा जांच कमेटी १९५२ में बनाई गई थी ?

(ख) क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन

*२३५. **श्री कृष्णाचार्या जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नीदरलैण्ड्स की इस प्रस्थापना को, कि १९५५ में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करने का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया जाये, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा की कार्य-सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में जो मतदान लिया गया था उसमें भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने भाग नहीं लिया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो भाग न लेने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस लिये भाग नहीं लिया था क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि चार्टर में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा होने से कोई लाभ न होगा क्योंकि इस के सम्बन्ध में अभी तक 'बड़े राष्ट्रों' में कोई एक रूपता नहीं है तथा इस के बिना कोई संशोधन कार्य नहीं हो सकता है ।

मोटर उद्योग

*२४०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तटकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर मोटर उद्योग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई नई नीति की घोषणा के बाद से अब तक मोटर उद्योग ने मोटर बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मोटर उद्योग के सम्बन्ध में तटकर आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी संकल्प ३१ मई, १९५३ को ही जारी कर दिया गया था । अतएव, इतने थोड़े समय में उद्योग द्वारा की गई प्रगति का पुनरीक्षण करना बहुत जल्दी होगी ।

चाय (उत्पादन)

*२४४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी फसल के उत्पादन की तुलना में १९५२ तथा १९५३ के बीच में चाय के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

(ख) उत्पादन की यह कमी, इस लिये हुई है कि जान बूझ कर उत्पादन कम कर दिया गया है या किसी और कारण से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५१ की तुलना में १९५२ के उत्पादन की कमी लगभग साठ लाख पाउंड थी तथा जनवरी से लेकर अगस्त १९५३ तक, १९५२ के अनुक्रमिक काल की तुलना में लगभग दो करोड़ सत्तर लाख पाउंड की कमी थी।

(ख) १९५२ के उत्पादन की कमी का कारण यह हो सकता है कि भारत तथा लंदन में होने वाले नीलामों में चाय का नीलाम अलाभकारी दामों पर हुआ तथा इस के परिणामस्वरूप उत्तर पूर्वी भारत के अनेक चायबागान बन्द हो गये।

१९५३ के उत्पादन में कमी होने का कारण कुछ अंश में तो यह है कि उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में जलवायु आदि परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल थी, कुछ अंश में यह है कि उत्तरी भारत के चाय पैदा करने वालों ने अच्छी चाय पैदा करने की एक योजना चलाना आरम्भ किया था तथा इसका एक और कारण यह था कि आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा राज्यों के कुछ चाय बागान लगातार बन्द पड़े रहे।

विकास सम्बन्धी स्थायनी निर्माण

*२४५. **श्री एस० आर० कृष्ण** : (क) क्या योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक राज्यों को विकास सम्बन्धी स्थानीय निर्माण के अन्तर्गत दी जाने वाली कुल धन-राशि कितनी है ?

(ख) हैदराबाद के विकास सम्बन्धी निर्माण के लिये पेशगी दी जाने वाली धनराशि से किन क्षेत्रों ने, तथा निर्माण कार्यों ने, सहायता प्राप्त की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दो करोड़ पचास लाख रुपया।

(ख) इस सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८**]

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार

*२४६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार हुआ है क्या इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि किसी देश द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किया गया है ?

(ख) १९५२ अथवा १९५३ में क्या किसी देश ने इस करार को स्वीकार किया है ?

(ग) नवम्बर १९५२ में लंदन में होने वाली ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) शून्य।

(ग) इसके लिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान माननीय मंत्री के १७ दिसम्बर १९५२ के बयान की ओर तथा २० दिसम्बर १९५२ के प्रश्न संख्या १११, ११५, ११८ तथा १२२ के दिये गये उत्तरों की ओर दिलाऊंगा।

तुंगभद्रा परियोजना

*२४९. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि हैदराबाद राज्य के तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र को वर्तमान

पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाय ?

(ख) यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा):(क) हां

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार

*२५०. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-अक्तूबर १९५३ में, जेनेवा में होने वाले, व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर करने वालों की बैठक में, क्या इस करार का पुनर्विलोकन किया गया था ?

(ख) यदि 'हां' तो क्या, जहां तक भारतीय आयात वस्तुओं का सम्बन्ध है, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चाय तथा कहवे का निर्यात

*२५३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चाय तथा कहवा किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

(ख) भारत सरकार ने किन देशों के साथ करार किया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) . सदन पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९९**]

अयोयस्क का निर्यात

*२५७. **श्री बुच्चिकोट्टैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ कम्पनियां मसूलिपटन बन्दरगाह द्वारा विदेशों को अयोयस्क का निर्यात कर रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां

भारत-कशमीर जूलाई करार

*२६५. **श्री वो० जी० देशपांडे** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा कशमीर सम्बन्धी जुलाई करार कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

(ख) इस करार के शेष भागों का कार्यान्वितीयकरण किस तिथि तक हो जायगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) . गत वर्ष भारत सरकार द्वारा तथा जम्मू तथा कशमीर राज्य सरकार द्वारा इस करार के कार्यान्वितीयकरण के सम्बन्ध में कुछ कार्य किये गये थे अभी तक उसके अधिकतर उपबन्धों का कार्यान्वितीयकरण नहीं हो पाया है यद्यपि उस राज्य की संविधान सभा ने जुलाई १९५२ का करार स्वीकार कर लिया है तथा उस राज्य के वर्तमान प्रधान मंत्री ने बताया है कि उस करार का शीघ्र ही कार्यान्वितीयकरण किया जायगा । आशा की जाती है उस राज्य की संविधान सभा की आगामी बैठक में आगे की कार्यवाही की जायगी । क्योंकि यह सारा प्रश्न उस राज्य के संविधान का एक भाग है जिस का प्रलेख अभी तय्यार किया जा रहा है इस लिये इस करार पर पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता है । उस पर उसी समय विचार किया जा सकता है जब संविधान पर या उसके उस भाग पर विचार किया जाय ।

जेनेवा स्थित वाणिज्य दौत्य

*२६७. **श्री बंसल :** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में वाणिज्य दौत्य कब खोला गया था ?

(ख) क्या तथ्य है कि बर्न स्थित राजदूत का वाणिज्य सम्बन्धी कार्य जेनेवा को स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) महावाणिज्य दौत्य ने १५ अगस्त १९५३ से कार्य करना आरम्भ किया ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की अदायेगी

*२६८. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के दावेदारों को क्षतिपूर्ति अदा करने की स्कीम कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्य किये गये हैं, जिस की घोषणा ५ नवम्बर १९५३ को की गई थी तथा जो ६ नवम्बर १९५३ को भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई थीं ?

(ख) अन्य दावेदारों के आवेदन पत्र कब आमंत्रित किये जायेंगे जो सरकार द्वारा निर्मित मकानों तथा निष्क्रम्य मकानों में अधिकार किये हुए हैं तथा इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं ?

(ग) शेष दावेदारों को क्षतिपूर्ति अदा करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या स्कीम है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) बम्बई, दिल्ली तथा जलंधर में, अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना कार्यान्वित करने के लिये प्रादेशिक निबटारा आयुक्त नियुक्त कर दिये गये हैं तथा कार्य आरम्भ करने के लिये निधि उन के अधिकार में दे दी गई है ।

(ख) कुछ ही महीनों में ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, इस कार्य में ठीक ठीक लगने वाला समय प्राथमिकता प्राप्त दावेदारों के मामलों में होने वाली उन्नति पर निर्भर करता है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट दो प्राथमिकताओं के मामले निबट जाने के पश्चात उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, शेष दावेदारों के सम्बन्ध में निर्णय किया जायगा ।

रबड़ (निर्यात)

११५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५३ तक निर्यात किये जाने वाले रबड़ का परिमाण तथा मूल्य कितना है ?

(ख) जिन देशों को रबड़ का निर्यात किया गया है उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). इस सूचना का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

काजू के कारखाने

११६. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५०, १९५१, १९५२ तथा १५ अक्तूबर १९५३ तक कितने काजू के कारखाने बन्द हो गये हैं ?

(ख) कारखानों के इस प्रकार बन्द हो जाने से कितने मजदूर बेकार हो गये ?

(ग) १९५३ में काजू के कारखानों के बन्द हो जाने के क्या कारण थे ?

(घ) क्या सरकार निम्नलिखित बातों का एक विवरण सदन पटल पर रखेगी : (१) कारखानों के नाम, (२) उनकी स्थिति, (३) मालिकों के नाम, (४) सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या, (५) अस्थायी रूप से या अन्य किसी रूप में १९५३ में इस प्रकार बन्द हों जाने वाले कारखानों के मजदूरों की संख्या जो कि बेकार हो गये हैं ?

(ङ) १५ अक्तूबर १९५३ तक, १९५३ में बन्द कर दिये जाने वाले तिरुवांकुर-कोचीन राज्य के काजू के कारखानों के संबंध में प्रबन्धकर्ताओं अथवा सरकार द्वारा दी जाने वाली बेकारी सहायता की कुल धन-राशि कितनी थी, यदि कोई बेकारी सहायता दी गई हो तो ?

(च) इस प्रकार बन्द कर दिये जाने वाले कारखानों को खुलवाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं, यदि कोई किये गये हों तो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ङ) तक . सूचना एकत्रित की जारही है और, जैसे ही प्राप्त हो जायेगी, सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(च) शून्य, श्रीमान ।

ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में तम्बाकू का आयात

११७. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि जफना तम्बाकू की वह मात्रा क्या है जिस के लिये ट्रावन-कोर-कोचीन को प्रति वर्ष आयात करने की अनुमति प्राप्त है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि अधिकतर आयात की अनुमति विदेशी फर्मों को है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) १५,००,००० पाउन्ड ।

(ख) यथार्थतम सूचना उपलब्ध नहीं है । मामले की जांच की जा रही है ।

टेक्निकल इन्सटीट्यूट, फरीदाबाद

११८. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ५९८ का निर्देश कर, जिसका उत्तर ९ सितम्बर, १९५३ को दिया गया था, के उत्तर में बताने की कृपा करेंगे कि श्री मधुसूदन सिंह का, टैक्निकल इन्सटीट्यूट, फरीदाबाद की व्यवस्था का, चार माह का समय समाप्त हो चुका है और यदि हां तो किस तिथि को ?

(ख) सरदार मधुसूदन सिंह की व्यवस्था के प्रथम चार माहों में इन्सटीट्यूट के उत्पादन तथा विक्रय में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

(ग) क्या किसी विभाग को मैनेजर ने मूल उत्पादन रोक दिया है तथा उत्पादन के लिये नये मद जारी कर दिये हैं ?

(घ) यदि ऐसा है, तो ऐसे विभागों में उत्पादन के नये मद तथा उनका समस्त उत्पादन क्या है ?

(ङ) मैनेजर द्वारा आरम्भ किये गये नये कार्य के मद निम्न विभागों में क्या क्या हैं तथा—(१) छपाई घर, (२) छापाखाना (३) संरचनात्मक स्थान, तथा (४) मोटर मरम्मत घर ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) चार माह का समय २८ अक्तूबर, १९५३ को समाप्त हो गया था ।

(ख) इस समय में उत्पादन तथा विक्रय में होने वाली वृद्धि अथवा कमी का सही-सही विश्लेषण करना सम्भव नहीं है

क्योंकि टेक्निकल इन्सटीट्यूट में ९ सितम्बर से २२ अक्तूबर तक आम हड़ताल रही थी ?

(ग) से (ङ) किसी भी विभाग में मूल उत्पादन रोका नहीं गया है । केवल छपाई घर में घुमाकर चलने वाली मशीनों का निर्माण एक अतिरिक्त मद के रूप में आरम्भ किया गया है । अब तक ५५० मशीनों का निर्माण किया जा चुका है ।

टेक्निकल इन्सटीट्यूट, फरीदाबाद

११९. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री टेक्निकल इन्सटीट्यूट, फरीदाबाद के मैनेजर सरदार मधुसूदन सिंह द्वारा किये गए सत्यसंधता प्रतिज्ञा-लेख्य की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या उन्होंने उसको भरा है तथा कार्यभार संभालने पर चार्ज रिपोर्ट नत्थी कर दी है और यदि ऐसा है, तो किस तिथि को ?

(ग) क्या लेखा विभाग उनके धन सम्बन्धी सौदों को स्वीकार करता रहा है और यदि ऐसा है तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(घ) मैनेजर ने किस से चार्ज लिय था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) हां, उन्होंने अपनी चार्ज रिपोर्ट २९ जून, १९५३ को नत्थी की थी।

(ग) हां, फरीदाबाद विकास मण्डल के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार ।

(घ) उन्होंने चार्ज संचालक टेक्निकल इन्सटीट्यूट से लिया था ।

अनाजों का आयात

१२०. श्री पी० रामस्वामी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री विदेशों से व्यापारियों द्वारा अनाज मंगाने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति क्या है तथा प्रत्येक अनाज की स्थिति क्या है बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) १ जुलाई, १९५३ से कितनी मात्रा आयात करन की अनुमति मिली है ?

(ग) प्रत्येक अनाज की मात्रा (उसके मूल्य सहित) जो अब तक आयात की गई है ?

(घ) १९५३ के अन्त तक तथा वर्ष १९५४ के लिये और कितनी मात्रा की अनुमति दी जायेगी ?

(ङ) निजी हिसाब पर आयात करने के लिये व्यापारियों को छांटने के लिये क्या ढंग अपनाया गया है ?

(च) ऐसे माल को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के हाथ बेचने के लिये भारत में क्या प्रणाली अपनाई जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ङ). चावल सुलभमुद्रा वाले क्षेत्रों से आयात की अनुमति है ।

मक्का तथा जौ : आवेदकों की आयात करने की सामर्थ्य तथा आवेदन किये गये मूल्य की दृष्टि से आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है ।

गेहूं : उन आटे की चक्कियों के अतिरिक्त जिनको गेहूं का आटा पीसने के लिये अनुमति प्राप्त है जो उनको छः माह के अन्दर निर्यात करने की आवश्यकता है, अन्य निजी रूप से गहूं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा है ।

अनुमानत:
टन

(ख) चावल — ३३,०००
मक्का — ३५,०००
जौ — — ११,४५०
*(मक्का तथा जौ) १,५८०

*(दोनों अनाजों के लिये लाइसेंस एक ही में जारी किया जाता है)

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है । लाइसेंस हाल ही में जारी किये गये हैं ।

(घ) कोई सूचना नहीं दी जा सकती । आगे लाइसेंस जारी करना वास्तव में आयात लाइसेंसों की स्वीकृति के लिये प्राप्त होने वाले निवेदनों पर निर्भर करेगा । कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(ङ) आयातों को चावल, मक्का तथा जौ जो वह आयात करते हैं, उस मूल्य तक बेचने की स्वतंत्रता है जहां तक स्थानीय प्रति बन्धों का उल्लंघन नहीं होता । इन आयात किये गये आनाजों का विक्रय करने की अनुमति राशनिंग वाले क्षेत्रों में नहीं है ।

सिंचाई की अखिल भारतीय सेवा तथा जल विद्युत इंजीनियर

१२१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिंचाई की अखिल-भारतीय सेवा तथा जल-विद्युत इंजीनियर के निर्माण में कुछ उन्नति हुई है, जो कुछ समय से सरकार के विचाराधीन थी ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या; तथा

(ग) उन विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या उत्तर दिया था जिनके पास उनकी सम्मति तथा सहयोग के लिये पहुंच की गई थी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग)। केवल 'क' भाग की तीन राज्य सरकारें तथा भाग 'ख' तथा 'ग' की अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रस्तावित सेवा योजना में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है ; जब कि भाग 'क' की अधिकतर व भाग 'ख' की चार तथा भाग 'ग' की राज्य सरकारें इस सेवा के निर्माण के पक्ष में नहीं हैं । आगे की कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रपति भवन

१२२. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रपति भवन में अतिथियों के ठहरने के कुछ स्थानों को राज्य सरकारों द्वारा भारतीय ढंग से पुनः सजाया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने तथा किन राज्य सरकारों द्वारा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग चार कमरे पूर्णतया सज गये हैं जो निम्न हैं :–

राज्य सरकार	कमरों की संख्या
आसाम	१
बिहार	२
मैसूर	१

(२) तीन कमरे आंशिक रूप से सज गये हैं मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब प्रत्येक की सरकार द्वारा एक-एक ।

(३) हैदराबाद, मध्य भारत, बम्बई पश्चिमी बंगाल, सौराष्ट्र तथा ट्रावनकोर-कोचीन की राज्य सरकारें भी एक-एक कमरा सजाने के लिए सहमत हैं ।

कपास

१२३. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस देश से वर्ष १९५२-५३ में निर्यात की गई कपास की कुल मात्रा ; तथा

(ख) उपर्युक्त समय में आयात की गई कपास की कुल मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सम्बद्ध है ।

विवरण

(क) १९५२-५३ की फसल में निर्यात

(१ सितम्बर, १९५२ से ३१ अगस्त, १९५३, तक)	कपास की	३१००४४ गांठें प्रति गांठ ४०० पाउन्ड ।

(ख) १९५२-५३ की फसल में आयात

(१ सितम्बर, १९५२ से ३१ अगस्त, १९५३ तक)		६,८८,७१४ गांठें प्रति गांठ ४०० पाउन्ड ।

देहली में सरकारी इमारतों का निर्माण,

१२४. श्री वी०पी० नायर: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से १ अक्तूबर, १९५३ तक देहली में मंत्रालय अथवा उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों पर होने वाला अनुमानित कुल व्यय; तथा

(ख) सरकारी ठेकेदारों के माध्यम द्वारा बनवाई गई इमारतों का कुल मूल्य ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख)। बनवाई गई इमारतों का कुल मूल्य लगभग ३१ करोड़ है जिसमें से ३० करोड़ से कुछ अधिक लागत का काम ठेके दारों द्वारा करवाया गया है ।

सरकारी नौकरों के लिए रहने का स्थान

१२५. श्री वी० पी० नायर : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के उन आवेदकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जैसा कि एक अक्तूबर, १९५३ को था, सरकारी क्वार्टरों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): देहली तथा नई देहली के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टरों का आवंटन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त, उनकी सेवा की श्रेणी के अनुसार न किया जाकर वरन् उनके कुल वेतन के आधार पर किया जाता है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से सरकारी क्वार्टरों के आवंटन की प्रतीक्षा करने वाले ५०० रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या १ अक्तूबर, १९५३ को १९५६८ थी । आवंटन न होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या १ अक्टूबर, १९५३ को ८,३०९ थी । चूंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आवंटन राज्य कार्यालय से सीधे न होकर उन कार्यालयों द्वारा होता है जिससे वे सम्बद्ध होते हैं, उनको इकट्ठे आवंटित किये कोटे में से चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों की संख्या, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, इस समय उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों पर प्रहार करना

१२६. श्री वी० पी० नायर : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि केन्द्रीय पी० डब्ल्यू० डी० के निरीक्षक वर्ग पर प्रहार करने के वर्ष १९४८ से आगे के कितने मामले सरकार की सूचना में लाये गये हैं ?

(ख) सरकार ने ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) वर्ष १९४८ से अब तक ठेकेदारों अथवा उनके कारीगरों द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक वर्ग पर प्रहार करने के ग्यारह मामले सरकार की सूचना में लाये गये हैं।

(ख) प्रत्येक मामले में, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यथोचित कार्यवाही सरकार ने की है, सामान्यतः प्रत्येक सम्बन्धित ठेकेदार से इसका कारण पूछते हुये कि उसका नाम 'ब्लैक लिस्ट' में क्यों न दर्ज किया जाय अथवा उसको सरकारी ठेकेदार के रूप से कार्य करने से क्यों न हटा दिया जाय तथा सरकार ने या तो ऐसे ठेकेदार का नाम 'ब्लैक लिस्ट' में दर्ज कर लिया है या चेतावनी दे दी है अथवा अपराधी कारीगरों को उनके स्थानों से हटा दिया है ।

कहवा

१२७. **श्री अमजद अली** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसार में कहवे की कुल उत्पत्ति में से कितने प्रतिशत भारत में पैदा होता है ?

(ख) भारतीय कहवे का प्रयोग मुख्यतः किन देशों में होता है ?

(ग) क्या वर्तमान की अपेक्षा अधिक भूमि पर कहवा की खेती करने की कुछ संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लगभग एक प्रतिशत (ख) ब्रिटेन फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंडज़्, बिलजियम, इटली, इराक तथा बहरेन के द्वीप ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

भारतीय कहवा मण्डल

१२८. **श्री अमजद अली** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि कहवा उद्योग को अच्छी प्रकार स्थापित करने के लिये भारतीय मंडल कहवा की क्या कार्यवाइयां सहायक रही हैं ?

(ख) वे विभिन्न प्रकार के क्या कार्यक्रम थे, जिनके द्वारा यह उद्योग पिछले युद्ध और उसके पश्चात् भी स्थिर रहा ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिसम्बर, १९४० में मण्डल की स्थापना से लेकर उद्योग को प्राप्त हुई स्थिरता तथा विश्वास स बात से देखा जा सकता है कि तब से कहवा की खेती अधिक की जा रही है १९४०-४१ में अनुमानित क्षेत्र १,८१,०३७ एकड़, और १९५२-५३ में भारत में २,३९,९७६ एकड़ भूमि पर कहवा बोया गया, अर्थात् ३२.५ प्रतिशत भूमि पर । परिणामस्वरूप कहवे का उत्पादन भी बढ़ गया है । १९४०-४१ में समाप्त होने वाले वर्षों में औसतन वार्षिक उत्पादन १६,०३७ टन, किन्तु १९५२-५३ में समाप्त होने वाले छः वर्षों में भारत में कहवे का उत्पादन बढ़ कर औसतन २०,२३० टन हो गया है, अर्थात् २६ प्रतिशत की बृद्धि हुई ।

देश में कहवे का प्रयोग भी १९४० में १०,००० टन के स्थान पर १९५२ में लगभग १८,००० टन बढ़ गया है ।

(ख) (१) केन्द्रीय 'पूल' द्वारा कहवा विक्रय का विनियनन ।

(२) भारत में कहवे का प्रयोग बढ़ाना ।

(३) अनुसंधान विभाग की स्थापना करना ।

टाटा लोह तथा इस्पात कारखाना

१२९. **श्री के० पी० सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा टाटा लोह तथा इस्पात करखाने को दिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में वार्तालाप पूर्ण हो चुका है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं ।

स्टोरेज बैट्रिया

१३०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में ऐसी संस्थाओं की संख्या जो स्टोरेज बैट्रियां बना रही हैं ;

(ख) उस का देशी रक्षण

(ग) क्या उनको बनाने के लिये आवश्यक सब कच्ची धातु देश में मिल जाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो किस धातु का आयात किया जाता है ; तथा

(ङ) क्या कोई गुण प्रकार की सटोरेज बैट्रियां बाहर से भी मंगवाई जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हमें १४ बनाने वालों का पता है ।

(ख) उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

१९५२-	१७०,६५५ नम्बर
१९५३- (जनवरी-अगस्त)	१२३,४४४ नम्बर

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है ।

(ङ) जी, हां । प्रतिबन्ध के आधार पर भारी कर की बैट्रियां तथा कुछ और गुण प्रकार की बैट्रियों की आयात की जाती है ।

विवरण पत्र

मुख्य कच्ची सामग्री तथा हिस्से, जिनकी स्टोरेज बैट्रियां बनाने के लिये आवश्यकता होती है, और जिनका आयात किया जाता है , वे ये हैं :

(१) पिग लैड ।

(२) सैपेरेटरज़ ।

(क) लकड़ी के (जिनका कुछ भाग बाहर से मंगवाया जाता है)

(ख) माइकरोपोरस रबड़
फाइबर गलास
पलासटिक इत्यादि ।

(३) विशेष गुण प्रकार के बैट्री कंटेनर

(४) अलकाली रिक्लेम रबड़

(५) असबसटस फइबर

(६) कोल तार पिच

(७) असफाल्ट कम्पाउंड

(८) रबड़ एक्सलरेटर

(९) बैरियम हाइडेरट

(१०) बैरियर करीम रोजालैक्स

(११) जैनो लाइट ।

पूर्वी अफरीका

१३१. **श्री वी० मुनीस्वामी :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सूचना मिल गई है, कि निम्न शब्दों में सितम्बर १९५३ के मध्य में पूर्वी अफ्रीका डाक तथा तार संचरण

के प्रादेशिक निदेशक ने भारतीय प्राकशकों के विरुद्ध आरोप लगाये थे :

"भारत पूर्वी अफ्रीका को अश्लील साहित्य से भर रहा है"

(ख) यदि ऐसी बात है, तो क्या इस वक्तव्य का कोई आधार है ?

प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पूर्वी अफ्रीका के डाक तथा तार विभाग के कृत्यों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रादेशिक निदेशक ने कहा है कि पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के पास भारत से अश्लील पत्रिकायें आ रही हैं और इन पत्रिकाओं को जप्त कर लिया गया है। स्पष्टतया उनका निर्देश लिंग सम्बन्धी पत्रिकाओं से था, जिनके लिये पूर्वी अफ्रीका के कई व्यक्तियों ने निजी रूप में भारत के प्रकाशकों से चन्दे के आधार पर भेजने के लिये आदेश दे रखे थे ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी पत्रिकाएं पूर्वी अफ्रीका में , भारतीय और अन्य किसी पुस्तक-विक्रेता द्वारा नहीं मंगवाई जातीं । परन्तु लोग निजी रूप में भारत से डाक के द्वारा मंगवाते हैं ।

जगरेब अन्तर्राष्ट्रीय मेला

१३२. श्री मुनिस्वामी : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत ने सितम्बर १९५३ में जगरेब (यूगोसलाविया) में हुये वार्षिक ज़गरेब अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया ?

(ख) मेले में भारत ने किन वस्तुओं का प्रदर्शन किया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२**]

वस्त्र (आयात)

१३३. श्री दाभी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर की ओर निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१, १९५१-५२, और १९५२-५३ के बीच भारत में मंगवाये गये सब प्रकार के कपड़े की मात्रा ;

(ख) १९५०-५१, १९५१-५२, तथा १९५२-५३ में भारत में मंगवाये गये छतरियों के कपड़े की मात्रा तथा मूल्य ; और

(ग) क्या सरकार भारत में कपड़े मंगवाने के लिये कोई नवीन अनुमति न देने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३**]

(ख) छतरियों के कपड़े के आयात के आंकड़े पृथक नहीं रखे जाते ।

(ग) दिसम्बर १९५३ में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिये निर्धारित की गई नीति के अनुसार अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी ।

सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में कुटीर उद्योग

१३४. श्री दाभी : क्या **योजना** मंत्री २७ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न नम्बर ८५२ के उत्तर की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में (हाथ से काते गये धागे से बने हुए सूती कपड़े के सूत को हाथ से कातने तथा सूत को हाथ से बनने को मिलाकर) विभिन्न कुटीर उद्योगों में तैयार की गई वस्तुओं का

[श्री दाभी]

मूल्य, तथा इस धन्धे में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) इनमें से प्रत्येक उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी गई तथा कितनी मात्रा में ;

(ग) क्या किसी सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में धान कूटा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है, और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

जो० ए० टी० टी०

१३४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमा शुल्क तथा व्यापार के सामान्य करार में भारत के भाग लेने से, करार से पूर्व १९४७-४८ की तुलना में १९५०-५१, १९५१-५२, तथा १९५२-५३ में, समझौता करने वाले दूसरे देशों में भारत के निर्यात के भाग में कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जिसका माननीय सदस्य वर्णन करते हैं, उस हिस्से में निश्चित रूप से कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु सीमा शुल्क तथा व्यापार के सामान्य करार ने जिस मात्रा में इस पर प्रभाव डाला है, उसका निर्धारण करना सरल नहीं है ।

चाणिक्यपुरी दिल्ली

१३६. **श्री हेडा** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे अब तक चाणक्यपुरी दिल्ली के सुधार और विकासपर कितना खर्च किया जा चुका है ?

(ख) सरकार इस कार्य को कब पूरा करने की आशा रखती है ?

(ग) इसके लिये बजट में कितना उपबन्ध किया गया है ?

(घ) क्या इस पुरी को कोई शासकीय नाम दिया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अक्तूबर १९५३ के अन्त तक ९३,५२,४५० रुपये ।

(ख) काम के १९५४-५५ में पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में ९,५०,००० रुपये ।

(घ) चाणक्यपुरी ।

दुग्ध-पदार्थ

१३७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में भारत में आयात किये गये दुग्ध पदार्थों की मात्रा , प्रकार तथा मूल्य ; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में उनका क्या स्थान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). विवरण पत्र रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

पंचवर्षीय योजना

१३८. **श्री नानादास** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक आंध्र राज्य का सम्बन्ध है वहां की सरकार ने उस राज्य की योजना के विषय में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है ?

(ख) यदि हां तो वे परिवर्तन कौन कौन से हैं ?

(ग) पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है (राज्य तथा केन्द्र का हिस्सा अलग अलग दें)?

(घ) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आंध्र राज्य में अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) :(क) से (घ). मद्रास राज्य की पंचवर्षीय योजना स्थूल रूप से आंध्र और अवशेष आंध्र राज्य में बांट दी गई है। योजना आयोग तथा आंध्र राज्य आंध्र राज्य की योजना पर विचार कर रही है। योजना आयोग का एक अग्र अधिकारी इस पर चर्चा करने के लिये अभी कुरनूल में है। आंध्र राज्य की योजना पूरी हो जाने पर सदन पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

आंध्र राज्य में सामूहिक विकास खंड

१३९. श्री नानादास : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र राज्य के लिये कितनी सामूहिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की मंजूरी दी गई है;

(ख) वहां कौन कौन सामूहिक योजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड चालू हैं;

(ग) उन पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :

(क) १९५२-५३— दो सामूहिक योजनायें।

१९५३-५४ —दो सामूहिक विकास खंड और २२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड।

(ख) पूर्वी गोदावरी जिले में सामल कोट योजना और कूरनूल-कुड्डप्पा जिल में नंदयाल योजना। सामूहिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के लिये स्थान चुनने के विषय में अभी कुछ तय नहीं हुआ है।

(ग) दो सामूहिक योजनाओं पर ३०-९-५३ तक ५,०१,७८६ रुपये ६ आने खर्च हुये।

(घ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]

हाथ से बना कागज़

१४०. श्री बुविकोटैय्या : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५२ से १९५३ तक कितना हाथ से बना कागज खरीदा; और

(ख) किन किन स्थानों से कागज खरीदा गया था?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) १९५२— कुछ नहीं।
१९५३ — ३१०१ रीम।

(ख) अहमदाबाद, बम्बई, ओगले वाडी (उत्तर सतारा) और पूना।

ग्रांड होटल शिमला

१४१. श्री भोखा भाई : **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मैनेजर, ग्रांड होटल शिमला द्वारा होटल के कमरों का किराया संसद सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों से भिन्न भिन्न लिया जाता है;

[श्री भीखा भाई]

(ख) यदि ऐसा है, तो किरायों में क्या अन्तर है, तथा उसके कारण, ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि ग्रांड होटल में भोजनादि के मूल्य वहां के भन्डारी द्वारा कान्स्टीट्यूशन हाउस में लिये जाने वाले मूल्यों से कहीं अधिक लिये जाते हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकारी कर्म चारियों तथा संसद सदस्यों से लिये जाने वाले किराये में कोई अंतर नहीं है । पर दर उनके सरकारी कार्य पर होने अथवा न होने की अवस्था में विभिन्न होते हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । ग्रांड होटल, शिमला में भोजनादि का व्यय कांस्टी-ट्यूशन हाउस की अपेक्षा अधिक है ।

औषधि-युक्त साबुन

१४२. डा० अमीन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इस देश में औषधि-युक्त साबुन बनाने का कार्य सर्व प्रथम सन् १९५२ में प्रारम्भ किया गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन सार्थों के नाम तथा स्थान जो यह निर्माण कार्य कर रही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्, यह ज्ञात हुआ है कि भारत में औषधि-युक्त साबुन सन् १९५२ से पहले भी बनाये जाते थे ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

पम्प

१४३. डा० अमीन : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हमारे देश की छिद्र कूप, गहरे कूप तथा अन्य प्रकार के पम्पों की वार्षिक आवश्यकता ; तथा

(ख) सन् १९५२ में तथा जनवरी से अक्तूबर १९५३ की अवधि में जितने ऐसे पम्पों के आयात की अनुमति दी गई थी उनकी संख्या तथा रुपयों में मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) छिद्र कूप, गहरे कूप तथा टरबाईन पम्पों की वार्षिक मांग का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ख) आयात किये गये केन्द्र विकर्षण (जिन में टरबाईन पम्प भी सम्मिलित हैं) पम्पों का मूल्य इस प्रकार है ;

१९५२ (रुपये)	१९५३ (जनवरी-अगस्त) रुपये
९८,४१,२९६	४८,५६,२३२

छिद्र कूप तथा इसी प्रकार के अन्य पम्पों की आयात सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

खड्डी उद्योग

१४४. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल के बने कपड़े पर लगाये गये उपकर से स्थापित की गई निधि की सहायता से खड्डी उद्योग में सुधार करने के लिये विभिन्न राज्यों से क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : खड्डी उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकारों से विभिन्न योजनायें प्राप्त हुई हैं । विभिन्न राज्यों के लिये

स्वीकृत की गई योजनाओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]

भाखरा बांध परियोजना से जल तथा विद्युत् शक्ति का प्रवाय

१४५. **श्री कर्णीसिंहजी** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री उस संभावित तिथि को बताने की कृपा करेंगे जब कि भाखरा बांध परियोजना से बीकानेर डिवीजन (राजस्थान) को सिंचाई कार्यों के लिये पानी दिया जायेगा ?

(ख) भाखरा बांध के पूरा होने में कितनी देर लगने की संभावना है ?

(ग) कब तक भाखरा-नांगल परियोजना से राजस्थान वितरण के लिये विद्युत् शक्ति उपलब्ध होने की संभावना है ?

(घ) इस परियोजना से किन जिलों तथा नगरों को विद्युत् शक्ति मिलेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५४ के मध्य तक ।

(ख) निर्माण कार्य के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार भाखरा बांध अक्तूबर, १९५९ तक बन कर तैयार हो जायेगा ।

(ग) और (घ). पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के राज्यों द्वारा प्रस्थापित प्रेषण तथा वितरण सम्बन्धी समस्त प्रश्न योजना आयोग द्वारा एक समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है और उस से उत्तमोत्तम आर्थिक परिणाम प्राप्त करने के हेतु पूंजी व्यय के युक्ति मूलक कार्यक्रम सम्बन्धी ऐसी ही प्रणालियों के विषय में परामर्श देने को कहा गया है । किन जिलों तथा नगरों को और कब इस परियोजना से विद्युत शक्ति मिलेगी, इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय समिति द्वारा प्रति वेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् किया जायेगा ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२४ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २४ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

२—३० म० पं०

अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे बिशप रिचर्डसन से एक पत्र मिला है जिस में उन्हों ने यातायात की कठिनाई के कारण सदन के इस सत्र की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की है। क्या सदन ऐसी अनुमति देता है?

अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

(१) **प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट**

(२) **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प**

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) फाऊन्टेन पैन की सियाही के उद्योग को प्रदान किये गये संरक्षण के जारी रखने सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट, १९५३;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ४२ (१)—टी० बी०/५३, दिनांक १४ नवम्बर, १९५३।

[**पुस्तकालय में रखे गये देखिए संख्या एस—१६७/४३**]

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ५९९७—६२/५३, दिनांक ९ अक्तूबर, १९५३ की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस १६८/५३**]

काफी के निर्यात शुल्क संबन्धी संकल्प

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि कर से प्राप्त आय के व्यय के लिए मांग तथा विनियोग का होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि आयव्ययक की प्रस्तुति का समय ऐसे अभ्यावेदन के लिए उपयुक्त

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

है। आप मेरा इस बारे में पथ प्रदर्शन करें कि क्या इस प्रयोजन से किसी संशोधन का प्रस्तुत करना उचित होगा ? यह आय सामान्य राजस्व का भाग है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५९ की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन संकल्प के विस्तार से बाहर जाता है तथा राजस्व को किसी प्रयोजन विशेष के लिए पृथक रक्षित करता है। मैं समझता हूं कि किसी संकल्प सम्बन्धी संशोधन द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री एस० वी० रामस्वामी : यदि ऐसा है तो मैं अपना द्वितीय संशोधन जिस में 'resolve' के स्थान पर 'recommend' शब्द रखा गया है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि इस संकल्प को अस्वीकृत कर दिया जाय तथा सरकार को निर्यात की अनुमति दी जाय तो यह धन काफ़ी बोर्ड की एकत्रित निधि में जाकर माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रयोजन के काम में आ सकेगा। इस के अतिरिक्त मैं उन का ध्यान अनुच्छेद ११३ की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिस के अनुसार हम सिफारिश से ही अनुदान या मांग को पेश नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह समझा जाय कि संकल्प को अस्वीकृत कर देने से अधिसूचना रद्द हो जायगी तथा सरकार द्वारा इस आय की वसूली पर आपत्ति हो सकेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्, प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आयात अधिकार इसे अभी तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में रक्षा प्रदान करते हैं। केवल भविष्य में हम अधिक निर्यात शुल्क को वसूल नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इस का अर्थ यह है कि यदि संकल्प को रद्द कर दिया गया तो इसे बन्द करना होगा।

'resolve' या 'recommend' के शब्दों से कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस संशोधन द्वारा आय को किसी प्रयोजन विशेष के लिए निश्चित करने का यत्न किया गया है। मैं समझता हूं कि यह मूल संकल्प के विस्तार से परे की बात है। इस संकल्प का प्राप्त धन के व्यय से कोई लगाव नहीं है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मेरा एक निवेदन यह है कि जहां 'resolve' शब्द रखने से सदन वचनबद्ध हो जाता है, वहां 'recommend' शब्द से वह केवल अपने मत को व्यक्त करता है जिस का उसे अधिकार है। यह नियम १५९ के बिल्कुल अनुसार है। मेरा सादर निवेदन है कि अनुच्छेद ११३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की मंजूरी की बात को मैं नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : मेरा मत है कि यह संकल्प के क्षेत्र से बाहर होने के कारण अनियमित है। माननीय सदस्य संकल्प पर बोल सकते हैं।

श्री एस० वी रामस्वामी : काफी उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इस संकल्प में मेरा हित केवल एक उपभोक्ता का है।

माननीय मंत्री ने हमें कल बतलाया कि विश्व मूल्य २४० रु० प्रति हंडरवेट है तथा अन्तर्देशीय मूल्य १४६ रु० प्रति हंडरवेट।

इस का अर्थ यह है कि अन्तर लगभग १०० रुपये प्रति हंडरवेट है। इतने अधिक अन्तर का लाभ उत्पादक को पहुंचने की बजाय राज्य को पहुंचता है। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री हमें इस धन के व्यय के विषय में कुछ बतलाते। इस मामले से उपभोक्ता, उत्पादक तथा उद्योग का सम्बन्ध है। इस धन का इन तीनों में कैसे बटवारा होगा? इस वस्तु के अन्तर्देशीय मूल्य को कम करने के उद्देश्य से इस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया। अन्तर्देशीय मूल्यों को कम करने का यह एक विचित्र ढंग है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजकोषीय नीति के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। विश्व मूल्यों की वृद्धि का लाभ उपभोक्ता को मूल्यों की कमी के रूप में पहुंचना चाहिये। हमारा कुल उत्पादन २३,००० टन है तथा खपत १८,००० टन जिस से २॥ करोड़ रुपये के मूल्य की ५००० टन काफी निर्यात के लिए बच रहती है। सदन में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि इस मात्रा के निर्यात की पहले अनुमति क्यों नहीं दी गई। यदि इस समय हमारे पास जमा १२,००० टन काफ़ी के निर्यात की पहले अनुमति दी गई होती तो व्यापार के विपरीत शेष की ४० करोड़ की राशि में से पांच या छः करोड़ रुपये की कमी हो जाती। इस के साथ ही जमा माल की हालत ख़राब हो गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतलाएं कि इस मात्रा के निर्यात की अनुमति क्यों नहीं दी गई।

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस उद्योग में प्रायः ऐसे व्यक्ति हैं जिन के पास २५ एकड़ से अधिक काफ़ी के बाग़ान नहीं हैं। उन के हित में यह चाहिये था कि खपत के बाद बच रही मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जाती, इस से अन्तर्देशीय मूल्य भी अधिक न बढ़ते। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादक को भी कुछ लाभ पहुंचना चाहिये था। मुझे २-४-० प्रति पौंड के मूल्य का आधार समझ नहीं आता। इस का उत्पादन की लागत से कुछ सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये। इस में श्रम एक मुख्य मद है। १९३९ में जहां प्रति दिन मज़दूरी ५ आने प्रति व्यक्ति थी, वहां यह अब १-९-० रु० से लेकर २-१-० रु० प्रति दिन है। इस का उत्पादन की लागत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। थोक मूल्यों की दृष्टि से भी और वस्तुओं की अपेक्षा काफ़ी के मूल्य कोई अधिक नहीं चढ़े। मेरा निवेदन है कि एक तटस्थ संस्था को काफ़ी के मूल्य के निश्चित करने का काम सौंपा जाना चाहिये। जिस से उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों को लाभ पहुंच सके।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वयं उद्योग के विकास की बड़ी गुंजाइश है। कुछ ही वर्षों में हम काफ़ी की कृषि के अधीन क्षेत्र में १॥ लाख एकड़ की वृद्धि कर सकते हैं। उत्पादन के बढ़ने से उपभोक्ता को भी मूल्य की कमी का लाभ पहुंच सकेगा।

श्रीमान्, इन सब बातों को विचार में रखते हुए माननीय मंत्री के लिए यह बतलाना उचित है कि इस प्रकार से एकत्र किये गये धन का वह कैसे प्रयोग करना चाहते हैं ताकि उत्पादक और उद्योग को विकास के बारे में आश्वासन मिल सके तथा अन्त में उपभोक्ता को भी मूल्य की कमी का लाभ पहुंच सके।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर): सदन के सामने जो संकल्प है, वह स्वयं तो विवादास्पद नहीं है, किन्तु उस से वे समस्यायें प्रकाश में आ जाती हैं। जिन का सम्बन्ध काफी उद्योग से है। अतः इस अवसर पर काफी उद्योग के संक्षिप्त इतिहास तथा देश की अर्थ व्यवस्था में उस की वर्तमान स्थिति की चर्चा करना अनुचित न होगा।

[श्री एन० एम० लिंगम]

१८७२ में भारत से लगभग २५,००० टन काफ़ी का निर्यात होता था। तब से उस का निर्यात धीरे धीरे घटता ही गया और १९३० से १९३९ के बीच इस उद्योग में सब से अधिक मन्दी आ गई थी। उसी के बाद काफी बोर्ड बनाया गया और १९४० से इस उद्योग की दशा में सुधार होना आरम्भ हुआ। किन्तु युद्ध के बाद भी काफी उद्योग बहुत अधिक फला फूला नहीं। यह उद्योग मुख्य रूप से छोटे उगाने वालों का है। आजकल इस उद्योग में भारतीयों की प्रधानता है। संसार में जितनी काफी पैदा होती है, उस का केवल एक प्रतिशत भाग भारत में पैदा होता है। फिर भी इस क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे देश की काफी बहुत अच्छे प्रकार की होती है। दक्षिण भारत की अर्थ व्यवस्था में तो इस का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग में लगभग दो लाख व्यक्ति काम करते हैं। दक्षिण भारत में काफी का घर घर में प्रयोग होता है। और इस को दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्रालय के काफी के मूल्य में कमी करने के प्रयत्नों की सराहना करता हूं। फिर भी अभी इस का मूल्य इतना कम नहीं हुआ है कि लोग बहुत आसानी से इसे दैनिक उपयोग के हेतु खरीद सकें। बात यह है कि इस के साथ दूध और चीनी का खर्चा भी तो जुड़ जाता है। मेरे अनुमान से आज कल दक्षिण भारत में पारिवारिक आयव्ययक का लगभग १० प्रतिशत भाग इस पेय पर व्यय होता है। ऐसी परिस्थिति में मैं तो यह समझता हूं कि काफी का घर घर प्रचार करने के लिये इस के मूल्य में काफी अधिक कमी करने की आवश्यकता है। परन्तु ऐसा करने में हमें उन कठिनाइयों को नहीं भूल जाना चाहिये, जो इस उद्योग के सामने हैं। प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि १९४६ से काफी का मूल्य अब चौगुना हो गया है। किन्तु इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इस उद्योग के सामने कठिनाइयां क्या हैं--उस की समस्यायें क्या हैं।

अब देखिये इस उद्योग की कठिनाइयां क्या हैं। पहली बात तो यह है कि काफी की पैदावार बहुत ही अनिश्चित रही है। कभी पैदावार अच्छी हो गई और कभी बहुत ही खराब। काफी का पौदा बहुत नाजुक होता है और उस की बहुत देख भाल करनी पड़ती है। इस कार्य में बहुत अनुभव और कुशलता की आवश्यकता होती है। इस पर भी मौसम, वर्षा और मिट्टी का फसल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मौसम का तो इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि प्रति वर्ष इस की पैदावार कितनी होगी। वर्षा के अधिक हो जाने से सारी फसल चौपट हो जाती है। और फिर इन नाजुक पौदों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिन के फलस्वरूप भी फसल बरबाद हो जाती है--जैसा कि कुछ समय पूर्व लंका में हुआ था। तीसरी बात यह है कि अब काफी के पौदे बहुत पुराने हो गये हैं। अच्छी फसल के लिये समय समय पर उन को बदला जाना बहुत आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रख कर आप समझ सकते हैं कि काफी उगाने वालों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सदन को न केवल उगाने वालों की रक्षा करनी है बल्कि उसे उपभोक्ता को भी लाभ पहुंचाना है। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस कार्य के लिये स्वयं इस उद्योग को काफी उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। काफी उद्योग के विकास से न केवल काफी का उत्पादन ही बढ़ेगा बल्कि बेकार लोगों को काम मिलेगा, लोगों का जीवन यापन स्तर ऊंचा उठेगा तथा हमारा विदेशी व्यापार बढ़ेगा। आजकल

प्रति वर्ष २३,००० टन काफी भारत में पैदा होती है, जिस में से लगभग ३ या ४ हजार टन निर्यात हो सकती है। यदि उत्पादन ३०,००० टन प्रति वर्ष हो जाये, तो हम १०,००० टन काफी का निर्यात कर सकेंगे और उस से जो आय होगी उसे हम पूरी तौर पर उपभोक्त के मूल्य को आर्थिक सहायता देने के काम में लगा सकते हैं। अतः मेरा निवेदन यह है काफी की कृषि में वृद्धि करने के लिये सरकार को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिये। इस के साथ साथ यदि पौदों को रोगों और कीड़ों से बचाने के लिये उपाय ढूंढ निकाले जायें तो निस्सन्देह थोड़े ही काल म काफी के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो सकती हैं। अतः मंत्री महोदय को इस दिशा में समुचित ध्यान देना चाहिये। उत्पादन बढ़ जाने से न केवल उपभोक्ता को लाभ होगा बल्कि उत्पादन की लागत भी कम हो जायेगी।

आजकल संसार में काफी का अभाव है। काफी के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। मेरे विचार से यह समय भारत में काफी उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिये बहुत उपयुक्त है। इससे अच्छा अवसर फिर कदाचित हाथ में न आयेगा। इस से लाभ उठाकर हम न केवल राष्ट्रीय धन को बढ़ा सकेंगे बल्कि उसी की सहायता से हम बेकारी की समस्या को भी बहुत कुछ हल कर सकते हैं। मंत्रालय ने काफी का जो बुनियादी मूल्य निश्चित किया है, उस से मुझे कोई झगड़ा नहीं है। सुना है काफी बोर्ड ने मंत्रालय के कहने पर उस का मूल्य दो रुपये चार आने प्रति पौंड कर दिया था, और अब उसे घटा कर दो रुपये एक आना प्रति पौंड कर दिया गया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे मित्र ने जो आंकड़े दिये वे एक दम ठीक नहीं हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : मुझ से गलती हो सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब मंत्रालय के कहने पर काफी बोर्ड ने मूल्य घटा कर बहुत कम कर दिये हैं, तब काफी के निर्यात से होने वाली थोड़ी सी आय से काफी उगाने वालों को वंचित रखना उचित नहीं है। या तो आप काफी का एक उचित मूल्य निश्चित कर दीजिये और उगाने वालों को काफी के निर्यात का लाभ दीजिये अथवा इस उद्योग को बिल्कुल स्वतन्त्र कर दीजिये ताकि वह अपने हितों की देख भाल स्वयं कर सकें। मैं यह स्वीकार करता हूं कि काफी का मूल्य अभी और कम होना चाहिये, तभी इस का घर घर प्रचार हो उकता है। मेरे विचार से इसका इलाज यह है सरकार इस को अर्थ सहायता दे और इस उद्योग को समुचित प्रोत्साहन दे। यदि यह उद्योग मर गया तो दक्षिण भारत की अर्थ व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडे): मैं एक ऐसे क्षेत्र से आ रहा हूं जहां काफी बहुत पैदा की जाती है। इसलिये मुझे इस उद्योग में बहुत रुचि है। मैं आरम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं मैं इस शुल्क के आरोपण के विरुद्ध नहीं हूं। मैं चाहता यह हूं कि इस उद्योग के प्रति सरकारी रुख में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये जिससे कि उद्योग को लाभ पहुंच सके। दक्षिण भारत में तो काफी एक साधारण पारिवारिक पेय है। किन्तु अब इस का प्रचार बढ़ता जा रहा है और अब उत्तर भारत में भी काफी लोग इस को पीने लगे हैं। यह एक अच्छी बात है। इस का मतलब यह है कि हम उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर काफी दें। उपभोक्ता के हितों की रक्षा तो की ही जानी चाहिये और माननीय मंत्री महोदय ऐसा कर भी रहे हैं, किन्तु दुःख इस बात का है कि उत्पादकों की कठिनाइयों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफी उद्योग में

[श्री दामोदर मेनन]

निस्सन्देह बहुत से निहित स्वार्थ हैं । उनके प्रति मुझे कोई सहानुभूति नहीं है । उन की समाप्ति के लिये यदि आप कोई विधान बनायें तो हम आप को पूर्ण सहयोग देंगे । किन्तु मैं यह समझता हूं कि उत्पादकों को मूल्यों में वृद्धि के रूप में सरकार यदि रियायत दे सकती है तो उस से उन को बहुत लाभ पहुंचेगा ।

मलाबार के आर्थिक जीवन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण काफी अधिक है । वहां के आर्थिक जीवन का लगभग प्रत्येक पहलू केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के आधीन आता जा रहा है । इसीलिये मैं विशेष रूप में मंत्री महोदय से यह अपील कर रहा हूं कि वे उत्पादकों के हितों का भी समुचित ध्यान रखें । मैं जहां से आ रहा हूं, वहां पर रोबस्टा काफी प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है । हम लोग अरबिका काफी नहीं उत्पादित करते हैं । अरबिका काफी ऊंचे और अच्छे किस्म की होती है । यह निर्यात शुल्क रोबस्टा काफी पर लगाया जा रहा है, अतः इस का मुख्य भार हमारे ऊपर पड़ता है । यह ठीक है कि विदेशों में काफी का मूल्य बढ़ गया है और यह भी ठीक है कि इस से उत्पादकों तथा व्यापारियों को होने वाले लाभ में से सरकार कुछ भाग ले सकती है । इस से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, किन्तु इस प्रकार से वसूल की गई राशि का उपयोग न केवल उपभोक्ता तथा सामान्य करदाता के लाभ के लिये बल्कि उत्पादक के लिये भी होना चाहिये क्योंकि यदि आप उत्पादक को प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो कदाचित आगे चल कर स्वयं उद्योग बरबाद हो जाये और तब फिर आप को निर्यात शुल्क के रूप में मिलने वाला धन भी नहीं मिल सकेगा । अतः उत्पादक का ध्यान रखना भी अत्यन्त आवश्यक है । किन्तु खेद है कि सरकार इन मामलों में सामयिक कार्यवाही नहीं करती है जिस से उत्पादक को नुकसान होता है । चाहिये तो यह कि हम उत्पादक को प्रोत्साहन दें और काफी की कृषि में वृद्धि करें । जैसा कि मैं ने कहा आजकल विदेशों में काफी का भाव बहुत बढ़ गया है, और उस में से सरकार अपना हिस्सा लगाने को तयार है । अतः हम सरकार से इस बात की मांग कर सकते हैं कि इस में (मूल्य में वृद्धि के कारण होने वाले लाभ में से) से उत्पादक को भी उस का भाग मिलना चाहिये । मेरा एक सुझाव यह भी है कि काफी के मूल्य को निश्चित करने के मामले को तटकर बोर्ड को सौंप देना चाहिये—यदि सरकार को ऐसा करने में कोई आपत्ति न हो तो । मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि काफी के भावों में वृद्धि हो जाने के कारण हमें जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उस में उत्पादक को भी उस का भाग मिलना चाहिये । मैं इस का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रालय इस ओर उचित ध्यान देगा ।

श्री ए० वी० टामस (श्री बैकुण्ठय) : हमें, काफ़ी उत्पादकों की हैसियत से इसके मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है । हम इस बात के इच्छुक हैं कि उपभोक्ता को काफ़ी उचित मूल्य में मिले । हम उपभोक्ताओं के आभारी हैं क्योंकि जब संसार में काफ़ी का मूल्य कम था तो भारत में ऊंचा था । ऐसे समय उपभोक्ताओं ने हमें ऊंचा मूल्य दिया जिसके लिए हम उनके आभारी हैं । किन्तु आज दशा बदल गई है; संसार के बाज़ारों में काफ़ी ऊंची दर में बिक रही है जबकि भारतवर्ष में उसका मूल्य कम है । किन्तु फिर भी मेरा विचार है कि इसका मूल्य अभी कम नहीं है । मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी इसके मूल्य में कमी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । किन्तु जहां उपभोक्ताओं के लिए कमी का प्रश्न है वहां हम यह भी चाहते हैं कि उत्पादकों को उचित मूल्य मिले

ताकि वे अपनी खेती की स्थिति ठीक रख सकें एवं अधिक धन लगा कर अधिक उत्पादन कर सकें; और साथ ही उनमें इस बात की भी क्षमता बढ़े कि वह अधिक भूमि को उत्पादन कार्य के लिए प्रयोग में ला सकें। और साथ ही साथ अधिक व्यक्तियों को नौकरी भी मिल सके। अतएव माननीय मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि वह जिस प्रकार उपभोक्ताओं के मामले को देख रहे हैं उसी प्रकार उत्पादकों के मामले को भी सहानुभूति-पूर्ण ढंग से देखें। काफ़ी का रिवाज उत्तर भारत में भी बढ़ता जा रहा है। अतएव काफी जो कि हम यहां उत्पादन करते हैं उसकी बहुत कुछ मात्रा उचित समय में हमारे देश में ही खप जायगी। किन्तु फिर भी कुछ मात्रा का हमें विदेशों के लिए निर्यात करना होगा जिससे हमें विदेशी विनिमय अर्जित किये जा सकते हैं।

माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और भी है कि इसकी कृषि के सम्बन्ध में भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात् इसके कृषि विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र का उपयोग किया जाय; और छोटे छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे अपनी कृषि को उचित रूप से करें ताकि फसल में काफ़ी वृद्धि हो जाय। मेरा विचार है कि यदि वर्तमान काफ़ी उत्पादक भूमि में उचित ढंगों से कार्य किया जाय तो कुछ ही वर्षों में काफी का उत्पादन जो अब लगभग २० हज़ार टन है बढ़ कर ३० अथवा ४० हजार टन हो जायगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसके उत्पादन में कम से कम ५० प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हो जायगी। यदि नये क्षेत्रों में भी खेती की जाती है तो फसल में और भी वृद्धि होगी। अतएव मेरा निवेदन है कि उत्पादकों के लिए मूल्य में उचित सीमा होनी चाहिए।

श्री केशवयगार (बंगलौर उत्तर) : दक्षिण भारत में कॉफी उद्योग बहुत ही महत्व-पूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में लाखों श्रमिक कार्य करते हैं। और यह भी अच्छी बात है कि भाग्यवश इसमें मशीन का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इसका ढंग ही ऐसा है। लाखों श्रमिक इसमें कार्य करते हैं; और फिर भी इसके विस्तार के लिए काफ़ी क्षेत्र है।

इसका रिवाज भी काफ़ी बढ़ रहा है। आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि मध्य वर्ग का लगभग प्रत्येक व्यक्ति काफी पीने में रुचि रखता है। इस दृष्टिकोण से हमारे देश में काफी की खपत की भी बहुत गुंजाइश है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इसकी प्रवधिक बातों की ओर न जांय अपितु विनियोग विधेयक भी लायें, और न केवल छोटे छोटे उत्पादकों और मालिकों की ही सहायता करें अपितु बेचारे मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं की भी सहायता करें जिन्हें ऊंचा मूल्य देना पड़ता है। अतएव मेरा यही निवेदन है मूल्य कम करके उत्पादकों की सहायता करें और साथ ही साथ छोटे छोटे काफ़ी उत्पादकों को भी पूरी पूरी सुविधा दें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): जब हम अपने देश में काफी उत्पादन के आंकड़े देखते हैं और संसार के आंकड़ों से उनकी तुलना करते हैं तो पता चलता है कि देश में अधिक उत्पादन के होते हुए भी हमारे देश का उत्पादन संसार के समस्त उत्पादन का केवल १ प्रतिशत है। अतएव इस उद्योग के विस्तार का काफ़ी क्षेत्र है। दूसरी बात यह भी देखने की है कि देश में काफ़ी का मूल्य, संसार के अन्य देशों में काफ़ी के मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है।

किन्तु हम देखते हैं कि इस बात के होते हुए भी कि इस उद्योग में विस्तार की बहुत

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

गुंजाइश है सरकार की नीति कुछ ऐसी है जो न उत्पादक की, न बेचने वाले की, और न उपभोक्ता की ही कोई सहायता करती है।

मुझे बताया गया है कि लगभग १२॥ प्रतिशत विदेशी पूंजी इस उद्योग में लगी है। मेरा विचार है कि इसउद्योग में लगी हुई यह विदेशी पूंजी अधिक समय तक देश में न रहे। जहां तक हो सके हमारी नीति इन उद्योगों को भारतीयकरण करने की हो। अतएव मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और ऐसे उपाय करें कि यह सभी विदेशी पूंजी भारतवासियों की होकर उनके नियंत्रण में आ जाय।

काफ़ी उत्पादन का विकास अभी और हो सकता है। आगामी ७ या ८ वर्षों में यह ४० हजार टन तक हो सकता है। और वह भी वर्तमान भूमि जिसमें कि आजकल काफी का उत्पादन किया जाता है उसी में अच्छे ढंगों का प्रयोग करके उसे बढ़ाया जा सकता है। जब संसार में काफ़ी की अच्छी मांग है तो सरकार को आवश्यक है कि वह इसके विस्तार के लिए कोई योजना चलाये। मेरी यह शिकायत है कि आज तक इसके लिए न तो कोई योजना बनाई गई है और न कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि इस उद्योग के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतएव एक निश्चित समय के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए ताकि उत्पादन के किसी निश्चित लक्ष्य तक हम पहुंच सकें।

अंत में मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी के बर्ताव ने किसी को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। उनका बर्ताव कुछ अच्छा होना चाहिए। काफ़ी के निर्यात पर कर लगाने के सम्बन्ध में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि इस प्रकार निर्यात शुल्क से प्राप्त राजस्व सामान्य कोष में नहीं जाना चाहिए। वह धन या तो उपभोक्ताओं के अथवा उत्पादकों के लाभ के लिए प्रयोग में आना चाहिए। काफ़ी के मूल्य को कम करके उपभोक्ताओं को सहायता देनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस आय का प्रयोग करना चाहिए; और यह उचित नहीं है कि निर्यात शुल्क से प्राप्त धन सामान्य कोष में जाय।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : हम से बहुत से सदस्यों का यह विश्वास है कि हमारा देश निर्यात करने वाला बने। और निर्यात को बढ़ाने के प्रत्येक अवसर पर हम प्रसन्नता प्रकट करें। चाय क्षेत्र के छः मुख्य व्यक्तियों, जो कि सदन के मुख्य सदस्य भी हैं, के द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया जाने वाला है। जिसमें उनका कहना है कि काफी के उपभोक्ता के लिए कुछ करना चाहिए। वास्तव में जैसा कि संशोधन में कहा गया है कि वह उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में कमी करेंगे। काफी एक ऐसा उत्पादन है जिसकी मांग अपरिवर्तनीय है अर्थात् मूल्य की कमी और वृद्धि के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि यदि आज काफी का मूल्य आधा कम हो जाय तो काफ़ी पीने वाला व्यक्ति जो आज ५ प्याले काफी पीता है वह १० प्याले पीने लगेगा।

आज काफ़ी का मूल्य इतना कम है जितना कि पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं जहां तक 'रोबस्टा' का सम्बन्ध है उसका मूल्य सबसे अधिक है।

श्री वी० बी० गांधी : मैं समझता हूं कि किसी भी सदस्य ने गम्भीरता के साथ काफ़ी के निर्यात का विरोध नहीं किया है। यदि हम इस नीति को मान लेते हैं कि काफी की

अपरिवर्तनीय मांग है तो मैं समझता हूं कि इसके मूल्य में परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा। उन सदस्यों को जो कि उत्पादकों एवं इस उद्योग की दशा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं उनको चाहिए कि वे काफ़ी के उपकर में वृद्धि कराने के प्रश्न पर दबाव डालें और इस उपकर से होने वाली आय को उत्पादकों के हित के लिए प्रयोग में लाने के लिए दबाव डाले।

अंत में मैं कहूंगा कि इस संशोधन को प्रवधिक आधार पर रद्द कर दिया गया है। किन्तु यदि इसे इस आधार पर रद्द न भी किया जाय तो भी यह तथ्य कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प में निर्यात शुल्क लगाने के बारे में कहा गया है इस शुल्क से होने वाली आय को भारतवर्ष के संचित कोष के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये खर्च करने से उन्हें प्रतिबाधित करता है; और वह भी एक सीधे सादे कारण से कि शुल्क एक कर है और एक कर, करदाताओं को किसी विशेष लाभ का निर्देश किये बिना लगाया जाता है। अतएव निर्यात शुल्क के बारे में भी जो कि एक कर है, सरकार को यह कहना अथवा सरकार को किसी विशेष वर्ग अथवा समुदाय जो कि कर देता हो, उसके लाभ के लिए एक निश्चित धन निर्धारित कर देना उचित नहीं है।

श्री केलप्पन (पोन्नानी): माननीय मंत्री जी ने 'रोबस्टा' प्रकार की काफी का २ हजार टन निर्यात करने की आज्ञा दी है। मैं जानता हूं कि 'अरेबिका' प्रकार की काफ़ी अच्छी है। और सम्भवतः विदेशी बाज़ारों में इसकी खपत भी अच्छी है। 'अरेबिका' काफ़ी का उत्पादन १६८,००० एकड़ में किया जाता है जबकि 'रोबस्टा' का केवल ६७,००० एकड़ में। मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल 'रोबस्टा' का ही निर्यात क्यों किया जाता है? देश में उत्पादन भी बढ़ गया है। लगभग १०,००० टन काफी निर्यात के लिए प्राप्य है। मैं नहीं समझ सका कि फिर निर्यात पर यह प्रतिबन्ध क्यों है? लगभग ५ हज़ार टन काफी के निर्यात की आज्ञा, अपने देश में मूल्यों की बढ़ोतरी के डर के होते हुए भी मिलनी चाहिए।

एक बात और। बेकारी बढ़ रही है। इस उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और काफी की बाजार में खपत भी निरंतर बढ़ती जा रही है। सो इसमें लगभग १॥ लाख व्यक्तियों को काम मिल सकता है यदि उत्पादकों को कोई लाभ न मिला, और अधिक उत्पादन का प्रोत्साहन न मिला; तो यह उद्योग भी बिगड़ता जायगा। अतएव बेकार व्यक्तियों के हित में माननीय मंत्री जी इस शुल्क से प्राप्त आय को इस उद्योग के विकास के प्रयोग में लाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ऐसी आशा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं अपने माननीय मित्र श्री ए० वी० टामस का उनके संक्षिप्त तथा लाभप्रद भाषण के लिए बड़ा कृतज्ञ हूं। यहां वह ही एक ऐसे सदस्य हैं जो काफ़ी के विषय में जानकारी रखते हैं। यह विचार प्रकट करते हुए मुझे खेद है कि अन्य सदस्यों ने जो भाषण दिये उनमें कोई ठीक सूचना या सरकार के लिये कोई स्वीकार्य परामर्श न था, क्योंकि वे सब सुनी बातों पर आधारित थीं।

मेरे माननीय मित्र श्री वी० बी० गांधी ने कहा था कि वह नहीं जानते कि काफ़ी एक ऐसी वस्तु है जिसका मांग में वृद्धि तथा कमी होती रहती है अथवा ऐसी वस्तु है जिसकी मांग निरन्तर एक सी रहती है। वस्तु के रूप में इसमें वृद्धि या कमी नहीं होती। जहां इसकी मांग का सम्बन्ध है, इसमें वृद्धि तथा कमी होती रहती है। क्योंकि हम इसके बिना रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश उनका निश्चय

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कि प्रत्येक वस्तु की मांग लचकमय अथवा लचकहीन अवश्य होनी चाहिये, और यह तथ्य कि दो माननीय सदस्यों ने काफी की मांग की लचक की विरोधात्मक व्याख्या की, इन दोनों बातों ने उनको बड़ी मुश्किल में डाल दिया है । क्योंकि अर्थशास्त्री प्रत्यक्ष रूप में न मानने योग्य तथ्य से सहमत नहीं हो सकता । परन्तु तथ्य यह है कि काफ़ी की मांग लचकमय है ।

'क' प्रकार के बाग़ की काफ़ी अच्छी समझी जाती है । १९४० में इसका मूल्य लगभग ३८ रु० प्रति हंडरवेट था । आज कल सरकारी कर तथा काफ़ी बोर्ड के समाहरण को मिला कर न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य भी लगभग २१२ है । बाज़ार-मूल्य २५० रु० प्रति हंडरवेट है । अतः आर्थिक कारक अवश्य प्रभाव डालते हैं । लचक वास्तव में परिस्थितियों पर निर्भर है, और इस मामले में मेरा विचार है कि मांग अत्यन्त लचकमय है । क्योंकि यह ३८ रु० से बढ़ कर २५० रु० हो गई है । बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो यह मूल्य नहीं दे सकते । आज यह स्थिति है ।

इस निर्यात-शुल्क के सम्बन्ध में तथ्य यह है । ६२ रु० ८ आना प्रति हंडरवेट निर्यात शुल्क है । साधारणतः हमें २१ रु० उत्पादन-शुल्क के रूप में मिलते हैं । यह निर्यात होने वाली किसी भी वस्तु पर नहीं लगाई जाती । अतः निर्यात हुये प्रति हंडरवेट पर राजकोष को ४१ रु० ८ आना मिलता है । क्योंकि औसत समाहार, जो इन नीलामों से होता है, १६८ रु० ८ आना रहा है । बोर्ड को ४३ रु० और मिलते हैं । अतः यह बढ़ा हुआ मूल्य, जो हमें इस निर्यात से प्राप्त हो रहा है, बोर्ड तथा राजकोष में समान बांटा जाता है । मैं समझता हूं कि यदि वे उपभोक्ता से कम मूल्य दिला कर उसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो निर्यात होने वाली रोबस्टा काफी का यह ४३ रु० प्रति हंडरवेट मूल्य उनके लिये ठीक है, बहुत है और पर्याप्त है और वे ऐसा ही कर रहे हैं । क्योंकि, आज या १ दिसम्बर से जब नीलाम आरम्भ होगा तब में बाग "क" का मूल्य, जो उत्तम समझा जाता है, लगभग २ रु० प्रति अंक होगा अर्थात् १९५ रु० या उसके लगभग । इस प्रकार रोबस्टा लगभग दो तिहाई तक गिर जायेगी, उस धन के दो तिहाई से कुछ कम । परन्तु हम उत्पादक के लिये २ रु० ४ आने सुरक्षित कर रहे हैं और यह वह लागत है जो उन्होंने चालू वर्ष के उत्पादन के लिये निश्चित की है । अतः २ रु० तथा २ रु० ४ आना के बीच का अन्तर कहीं से निकालना है । हो सकता है कि नीलामों से हमें कुछ अधिक धन प्राप्त हो, परन्तु समूहन में ये ४३ रु० प्रति हंडरवेट भी होंगे जो हम रोबस्टा काफी के निर्यात से प्राप्त करते हैं । अतः इच्छा यह है कि उपभोक्ता का मूल्य कुछ घटना चाहिये । अर्थात् नीलाम में न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य २ रु० ४ आना के स्थान पर २ रु० होगा । इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है । बोर्ड ने कुछ ऐसी शर्तों पर यह स्वीकार कर लिया है जो हमें स्वीकार्य नहीं हैं । तो भी हम उपभोक्ता का मूल्य कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं । पर्याप्त मात्रा काफ़ी प्राप्य होने के कारण आशा है कि उपभोक्ता को बाग "क" की काफ़ी लगभग २ रु० २ आना अथवा २ रु० ४ आना प्रति पौंड मिल जायेगी जबकि गत वर्ष उसे लगभग ३ रु० ४ आना या ३ रु० ५ आना देना पड़ता था ।

माननीय सदस्यों ने तटकर आयोग के विषय में कुछ कहा था । एक प्रकार से तटकर आयोग को बहुत कार्य दे दिया गया है और प्रायः तटकर आयोग से वहां काम लिया जाता है जहां सरकार समझती है कि यदि वे अधिक

मूल्य देते हैं अथवा किसी विशेष उद्योग को रक्षा प्रदान करते हैं, तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वे अपनी व्यक्तिगत इच्छा का प्रयोग करके अल्प आय वाले व्यक्तियों के प्रतिकूलक्रिया कर रहे हैं ताकि उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़े। इन आरोपों से अपने आपको बचाने की दृष्टि से तटकर आयोग से काम लिया जाता है। इसलिये तट कर आयोग उपभोक्ता तथा उत्पादक के बीच न्याय निर्णय कर सकता है क्योंकि अधिक मूल्य दिया जाता है। इस मामले में इस प्रकार का झगड़ा नहीं है। अतः मुझे ऐसे किसी आरोप का भय नहीं है। उपभोक्ता तथा उत्पादक के बीच न्याय निर्णय करने के लिये तटकर आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं न्याय निर्णय करने तथा सारा उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूं। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि मैंने कुछ ग़लत किया है तो मैं आरोप का उत्तर देने और यदि आरोप सिद्ध हो जाये तो उसका दण्ड भोगने को तैयार हूं।

तो भी हमने लागत के ढांचे के बारे में पूछताछ की थी। अब तक मूल्य बोर्ड, बोर्ड की समिति द्वारा निश्चित किया गया है। मूल्य ३८ रु० से २५० रु० प्रति हंडरवेट तक बढ़ते रहे हैं। रोबस्टा के बारे में न विचारिये। यह सस्ती काफी है और स्वयं उगती है।

जहां तक 'बाग क' का सम्बन्ध है, १९४० में जब बोर्ड स्थापित हुआ प्रदेश में लगभग मूल्य ३८ रु० था। १९४६, १९४७ तथा १९४८ में मूल्य ९० रु० बढ़ गये और १९४९ के पश्चात् मूल्य १२० रु०, १३५ रु० तथा १८० रु० तक बढ़ गये। अब मूल्य २ रु० ४ आना प्रति अंक है और वे मूल्य इससे भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं अर्थात् २ रु० ७ आना प्रति अंक। ३८ रु० से बढ़ कर १८० रु० हो जाना प्रत्येक दृष्टि से बुरा है, परन्तु यदि यह इससे भी अधिक बढ़ता है तो मुझे शंका है कि अब हमें रोकने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

इस स्थिति का दूसरा पक्ष भी है। १९४३ से आगे हम विदेशों को निर्यात करते रहे हैं और हमने देखा था कि प्राप्त होने वाला निर्यात-मूल्य कहीं कम था। क्योंकि गत दस वर्षों में ब्राज़ील ने इतनी काफ़ी उत्पन्न की कि अमरीका वासियों को काफ़ी का इतना आदी न होने के कारण उतनी काफ़ी की आवश्यकता न थी। अतः हज़ारों टन काफ़ी करेबियन सागर में फेंकनी पड़ी, और अपने निर्यात को बनाये रखने की दृष्टि, से निर्यात में उपभोक्ता से आर्थिक सहायता मांगी गई। १९४४ से १९४८ तक उसने १५ रु० से १७ रु० तक प्रति हंडरवेट सहायता दी। निर्यात बाज़ार में थोड़े मूल्य पर विक्रय करने के लिये हमने उपभोक्ता से अधिक मूल्य लिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार काफी उत्पादक के हित के प्रति लापरवाह रही है क्योंकि हमने उपभोक्ता से भुगतान कराया था। परन्तु अब हम उपभोक्ता से उससे अधिक भुगतान नहीं करा सकते जो वह अब कर रहा है। इसके साथ ही साथ यह कहा जाता है कि काफ़ी, अपने वर्त्तमान मूल्यों पर, अनुत्पादी तथा अपरितोषद है। मलाबार तथा व्यानाद के मेरे मानवीय मित्रों ने, जिन्हें स्थिति का ज्ञान है, ऐसा कहा है, परन्तु मैं उन्हें बताता हूं कि यद्यपि यह अध-सीमान्त बागों के लिये निश्चय ही अपरितोषद है परन्तु यह सीमान्त बागों के लिये परितोषद है। यह उत्तम श्रेणी के बागों के लिये, जो अत्यधिक लाभ उठाते हैं, पार-परितोषद है। फिर कभी मैं इस सदन को वे तथ्य बताऊंगा जिनसे विदित होगा कि जिस समवाय की पूंजी १९४३ में

६०,००० पौंड या लगभग ८ लाख रु० थी आज उसकी पूंजी लगभग १०० लाख रु० है, और कम से कम ६० लाख रु० बागों में लगाया गया है जो मूल्य पूंजी का लगभग ७५० प्रतिशत है। यह प्रत्यक्ष है कि किसी ने यह धन उपभोक्ता का ही गला काट कर बनाया है।

सरकार की यह इच्छा है कि काफ़ी उत्पादक के संग उचित व्यवहार किया जाये और छोटे उत्पादक की रक्षा की जाये। अन्यथा, मैं कल ही काफ़ी बोर्ड को समाप्त कर सकता हूं और मूल्य अपने मान पर आ जायेंगे। मैं सदैव ही निर्यात नियमित कर सकता हूं ताकि मूल्य कम हो जायें और उपभोक्ता को लाभ हो। परन्तु इस स्थिति में १।। हंडरवेट उत्पन्न करने वाले उत्पादक का सत्यानाश हो जायेगा जबकि ८ से १० हंडरवेट तक उत्पन्न करने वाले उत्पादक को लाभ होगा। हम नहीं चाहते कि छोटे उत्पादक समाप्त हो जायें। हम उद्योग का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों, जैसे श्री ए० वी० टामस, की सहायता से कोई ऐसा ढंग निकालेंगे जिससे अधिक लाभ उठाने वाले व्यक्ति पर संविधान के अनुच्छेद १४ के अधीन रहते हुए कुछ अधिक भार पड़ेगा और छोटे उत्पादक को पुनरस्थापन भत्ता के रूप में कुछ प्राप्त होगा। जब काफी विधेयक वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत होगा तब यह ढंग खोजने का हम प्रयत्न करेंगे।

इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह निर्यात शुल्क बड़े ही उचित ढंग से लगाई गई है, अर्थात् इससे हमें जो लाभ होता है, उसे हम काफ़ी बोर्ड के संग समान आधार पर बांट लेते हैं। सामान्यतः ४,००० टन पर हमें २१ रू० प्रति हंडरवेट की दर से उत्पादन शुल्क के रूप में लगभग १७ लाख रु० प्राप्त होगा और इस निर्यात शुल्क से हमें ४,००० टन के निर्यात पर लगभग ३३ लाख रू० प्राप्त होता है। काफ़ी बोर्ड को भी इतना ही धन मिलेगा और उपभोक्ता के लिये मूल्यों में आर्थिक सहायता देने के लिये उन्हें यह धन उपलब्ध होगा।

इससे मेरे माननीय मित्र श्री एस० वी० रामास्वामी की इच्छा पूर्ण हो जाती है जो चाहते थे कि इस धन को किसी विशेष उद्देश्य के लिये सुरक्षित कर दिया जाये। मैंने इस निर्यात शुल्क को इस ढंग से बढ़ाया है कि धन काफ़ी बोर्ड के लिये उपलब्ध होगा।

श्री ए० वी० टामस : माननीय मन्त्री ने बताया है कि रोबस्टा काफी स्वयं उगती है। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि रोबस्टा काफ़ी स्वयं नहीं उगती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : 'बाग क' की अपेक्षा यह इसी प्रकार उगती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को सदन में मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है कि :

"लोक सभा, भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२ वां) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसार, एतदद्वारा, भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की अधिसूचना एस० आर० ओ० १९०४, दिनांक १० अक्टूबर १९५३ का, जिसके द्वारा काफ़ी पर उक्त अधिसूचना की तिथि से ६२ रु० ८ आन प्रति हंडरवेट का निर्यात शुल्क लगाया गया था, अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

धोतियां अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी)) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"मिलों से धोतियों के निर्धारित कोटे से अधिक भेजी जाने वाली धोतियों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने तथा उस के संग्रह करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

मैं इस विधेयक की सारी पृष्ठ भूमि बता कर सदन को थकाना नहीं चाहता क्योंकि अधिकतर सदस्यों को इस सम्बन्ध में सब कुछ मालूम है और सम्भव है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकारी नीति पर बहुत से सदस्य अपने विचार प्रकट करें, जिन का मुझे उत्तर देना पड़ेगा।

इस विधेयक का इतिहास यह है कि यह २६ अक्तूबर १९५३ को जारी किए गए अध्यादेश के स्थान में है और उस की पुष्टि करने के लिए है। यह उपरोक्त अध्यादेश से कुछ भिन्न है। अध्यादेश में "कोटा, जिस की अनुमति हो" की परिभाषा यह दी गई है कि वह कोटा (कपड़े का) जो बांधा जाय। परन्तु विधेयक में इन शब्दों के स्थान में "भेजा जाय"—ये शब्द आए हैं। इस का मतलब है कि उत्पाद शुल्क उस कपड़े पर लिया जायगा जो मिल से बाहर भेजा जाय न कि उस पर जो तैयार कर के बांध कर रख दिया जाय। यदि कपड़ा मिल में ही पड़ा रहे तो उस पर शुल्क नहीं लिया जायगा।

खण्ड ३ के अधीन व्याख्या १ में एक परन्तुक जोड़ दिया गया है जिस से कि सम्बद्ध अवधि में जो मिलें नहीं थीं, या उन्हीं दिनों बनीं परन्तु उन दिनों धोतियां नहीं बनाती थीं या पूरा माल तैयार नहीं करती थीं—उन के सम्बन्ध में कोटा निर्धारित किया जा सके।

सदन को मालूम होगा कि नवम्बर, १९५२ के अन्त में सरकार ने मिलों को आज्ञा दी थी कि ३१ मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में धोतियों का उत्पादन कुल उत्पादन का ६० प्रतिशत ही हो। यह आज्ञा विशेषकर करघा उद्योग की सहायता के लिए की गई थी। इस अवधि को सरकार ने इसलिए चुना कि इस में कपड़े का उत्पादन सब से अधिक अर्थात् ५०,००० गांठ प्रति मास था जब कि मांग लगभग ४५,००० गांठ थी। हम ने कोटा ६० प्रतिशत के लगभग अर्थात् ३०,००० गांठ प्रति मास निर्धारित किया था। हम ने यह महसूस किया कि वास्तव में कमी ३३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी और इस प्रकार कुछ गुंजाइश रह जायगी।

कपड़ा कमिश्नर को भी कुछ ढील देने की अनुमति दी गई थी। कुछ मिलों की स्थिति ऐसी थी कि वे अन्य प्रकार के कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर सकती थीं। कपड़ा कमिश्नर ने अब तक ११ मिलों के मामले में इस नियम को ढीला किया है। उन में से ७ पश्चिमी बंगाल में हैं और एक उड़ीसा में। इन मिलों को लगभग ८० प्रतिशत तक उत्पादन करने की अनुमति दी गई है।

सच तो यह है कि दिसम्बर, १९५२ से लेकर धोतियों का उत्पादन ३०,००० गांठ से कम ही रहा है। यह उत्पादन २८,००० और २९,००० गांठ के बीच रहा है। इसलिए यदि हमें इस प्रतिबन्ध के लाभालाभ को जांचना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं।

यदि इस आदेश के कारण कोई लाभ नहीं हुआ तो इस का कारण यह नहीं है कि इस आदेश को असफल बनाने की चेष्टा की गई है, बल्कि इस के अन्य कारण हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस विधेयक या सरकार की नीति की आलोचना करते समय इस बात का ध्यान रखें।

यह भी सच है कि कमी वाले क्षेत्रों में, अर्थात् जहां कपड़े का उत्पादन, मांग की तुलना में कम होता है इस प्रतिबन्ध से बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे मामले भी हमारे सामने

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आए हैं जहां राज्य सरकारों ने यह महसूस किया है कि इस प्रतिबन्ध से स्थानीय खपत में बाधा पड़ी है। इस बात से भी कुछ माननीय सदस्य खिन्न हैं।

कुछ क्षेत्रों में और बढ़िया धोतियों के दाम ३० प्रतिशत या उस से भी अधिक बढ़ गए। मुझे बताया गया है कि यह वृद्धि ४० प्रतिशत भी हुई परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहां तक सच है। मेरे आंकड़ों से तो यह वृद्धि ३० प्रतिशत ही प्रतीत होती है। मोटी, दर्मियाने दर्जे की तथा बढ़िया धोतियों के दामों में १० प्रतिशत से २० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इस में हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे माननीय मित्र श्री गांधी यह कहेंगे कि उत्पादन को निर्बन्धित करना बुरी अर्थ-नीति है और एक उद्योग किसी दूसरे उद्योग पर ही पलता रहे, यह और भी बुरा है। परन्तु जब विकट समस्या सामने आती है तो विकट ही उपाय करने पड़ते हैं। एक घटिया स्थिति वाले उद्योग--जो स्वयं अपनी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है--के कल्याण तथा उत्पादन के एक अन्य उद्योग के साथ सम्बद्ध करने का एक यही उचित कारण है। उस समय मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि हम ने ठीक कार्य किया या कि नहीं। मैं तो केवल तथ्य बता रहा हूं। कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जिस के फलस्वरूप कमी करने वाले क्षेत्रों में, जहां करघों पर अधिक धोतियां नहीं बनाई जातीं, मूल्य बढ़ गए हैं। राज्य सरकारों को उसी हद तक केन्द्रीय सरकार से कहना पड़ता है कि अधिक ढील दी जाय। सच तो यह है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ मिलों ने अनुचित रूप से कार्य किया है। सम्भव है कि कुछ मामलों में मिलों द्वारा इस कार्यवाही के किए जाने का कोई उचित कारण हो। इन में से तीन मिलों के कोटे निर्धारित करते समय हम ने वस्तुस्थिति को ध्यान में नहीं रखा। अर्थात हम ने यह नहीं देखा कि इन मिलों ने १९५१ में ही उत्पादन प्रारम्भ किया; इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये विस्थापित मिलें थीं, इत्यादि। परन्तु दूसरी मिलों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाया है। इस में सन्देह नहीं कि इस स्थिति का इलाज यही है कि इन पर मुकद्दमा चलाया जाय। परन्तु इस विषय पर अधिक विचार कर के तथा राज्यों के मंत्रियों से सलाह कर के यह महसूस किया कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि उत्पादन पर कृत्रिम प्रतिबन्ध लग जाय। और यदि लोग इस का उल्लंघन करें तो वे अधिक लाभ पर अपना माल बेच कर जो धन कमाना चाहें वह उत्पाद शुल्क द्वारा उन से ले लिया जायगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह बड़ी चतुराई का काम है, बल्कि मैं तो यहां तक मानने को तैयार हूं कि यह बड़ी भोंडी कार्यवाही है। परन्तु यह एक उपाय है और मुझे कपड़ा उद्योग का जो थोड़ा बहुत अनुभव है उस के आधार पर मेरा विचार है कि यह उपाय काम दे जायगा। सदन के सामने जो विधेयक है उस के सम्बन्ध में मुझे यही कुछ कहना है।

अपने माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् की भावनाओं के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। हम ने अध्यादेश केवल इसलिए जारी किया था कि स्थिति कुछ गम्भीर थी और उस से फौरन ही निपटना आवश्यक था। नियंत्रण आज्ञा को विकल बनाए जाने के प्रयत्नों को हम सहन नहीं कर सकते। कई मामलों में बहुत ही उचित कारण इस बात के लिए था कि हम नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में तर्क संगत कार्यवाही न करें अर्थात मुकद्दमा न चलाएं। मैं भी अपने माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् की तरह ही इस प्रकार के सरसरी कानून बनाने के विरुद्ध हूं। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि मैं विरोधी

पक्ष का होता या केवल सदस्य मात्र ही होता, तो उतने ही जोर से इस के विरुद्ध आवाज़ उठाता जितने जोर से कि मेरे मित्र ने उठाई है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): आप कब तक अपनी बेड़ियां पहने रहेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : पूर्व सूचना चाहिए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मनुष्यों के मामले ऐसे हैं कि भविष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ज्योतिषियों के पास जाना चाहते हैं परन्तु मैं घटनाओं को देखता हूं।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, घटनाएं चाहे जैसा भी रूप धारण कर लें मुझे परवाह नहीं यह न समझिए कि यह पदत्याग की धमकी है। मैं त्यागपत्र नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या धोतियों में साड़ियां भी शामिल हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, इस मामले में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तो केवल चौड़ाई दी हुई है, लम्बाई नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा होता है कि किसी विशेष राज्य में लोग साड़ियां भी उतनी ही लम्बी पहनते हैं जितनी कि धोतियां। यदि लोग इस प्रतिबन्ध से बचने के लिए ८ क्यूबिट के स्थान में १० क्यूबिट की धोती पहिनने लगें, तो बड़े शौक से ऐसा कर लें, यद्यपि उस अतिरिक्त दो क्यूबिट का मूल्य ही एक प्रतिबन्ध बन जायगा, और यही हम चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस "धोतियों" के अधीन ८ क्यूबिट की साड़ियां भी बनाई जा सकती हैं परन्तु चूंकि इसे "धोती" नहीं कहा जाता, यह बच जायगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सवाल तो केवल इतना है कि उसकी लम्बाई कितनी है। यदि महिलाएं ४ गज़ की धोती पहनने लगें—आप को मालूम है कि देश के उस भाग में जहां का मैं रहने वाला हूं, महिलाएं पहले की अपेक्षा कम लम्बी धोती पहनने लगी हैं; पहले वे ९ गज़ की धोती पहिनती थीं, अब साढ़े पांच गज़ की पहनने लगी हैं और सम्भव है कि वे ४ गज़ की धोती ही पहनने लगें.....

उपाध्यक्ष महोदय : ४ गज़ की तो कोई सीमा नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम ने कोई सीमा रखी ही नहीं क्योंकि धोती की लम्बाई भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग है।

मैं तो यह कहता हूं कि इस शुल्क से बचने की सम्भावनाएं हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस कानून से बचा नहीं जा सकता परन्तु हमारी मंशा तो यही है कि यह एक रुकावट का काम दे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम साड़ियों के उत्पादन पर इसलिए प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिस से कि महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। यही काफ़ी बुरा है कि मुझे इन आदमियों से निपटना पड़ता है और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिस से साड़ियों के मूल्य या संख्या पर कोई प्रभाव पड़े।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जैसे "आदमी" में "औरत" भी है उसी प्रकार "धोती" में "साड़ी" भी शामिल है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो स्पष्ट है श्रीमान्, कि जब हम हिन्दी को अपनी राज्य भाषा बना लेंगे तो हमें यह दोष दूर करना पड़ेगा। इस भाषा में बहुत से सुधार की आश्यकता है।

तो इस विधेयक के सम्बन्ध में स्थिति यह है। मैं जानता हूं कि श्री सिंहासन सिंह

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

तथा अन्य कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मेरा विचार है कि बड़ी आलोचना की जायगी। मैं सारी बातों का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं कहना है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

कई माननीय सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले धोती धारी सदस्यों को अवसर दूंगा और फिर उन्हें जो पतलून पहनते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"मिलों से धोतियों के निर्धारित कोटे से अधिक भेजी जाने वाली धोतियों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने तथा उस के संग्रह करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री हेडा (निजामाबाद) : सब से पहले राजाजी ने हाथकर्घा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कपड़ा मिलों में धोतियों के उत्पादन पर रोक लगाने का सुझाव दिया था और धोतियों के उत्पादन पर ४० प्रतिशत तक रोक लगा दी गई थी। इस में सन्देह नहीं कि इस का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। मुझे स्मरण है कि मेरे मित्र डा० दास सदा यह कहते रहे हैं कि इस रोक के कारण पश्चिमी बंगाल में धोतियों की बहुत कमी हो गई है। अतः जहां तक उस कमी वाले क्षेत्र का सम्बन्ध है, कम से कम वहां से तो यह रोक उठा लेनी चाहिए। किन्तु मैं समझता हूं कि यह विधेयक कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं ने कुछ संशोधनों की सूचना दी है कि कर की दर बहुत अधिक है। मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रारंभिक अवस्था में दर इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि पश्चिमी बंगाल में या कमी वाले क्षेत्रों में यह उद्योग इतना उन्नत नहीं जितना कि बम्बई या अहमदाबाद में है। मैं चाहता हूं कि विधेयक में प्रस्तावित दर इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए और इस में लगभग ५० प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए। मेरे विचार में सरकार को यह उतनी ही निश्चित करनी चाहिए जितनी कि उस ने धोतियों पर रोक लगाते समय की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहूंगा कि इस विधेयक का कार्य-क्षेत्र क्या है। कार्य-क्षेत्र यह है कि ६० प्रतिशत कोटे से अधिक जो कपड़ा बनाया जाये, उस पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाया जाये। माननीय सदस्य अपने भाषण इस बात तक सीमित रखें।

श्री एम० खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : यह विधेयक एक दंडात्मक विधेयक है। मंत्री जी ने कहा है कि वे शुल्क लगाना चाहते हैं, किन्तु यह तो जुर्माना है। सरकार ने एक कार्यपालिका आदेश द्वारा कुछ प्रकार के वस्त्रों अर्थात धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे और मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा था कि वे इस आदेश को क्रियान्वित करवाने में सहयोग दें। यदि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने राज्य में कुछ मिलों के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्धक आदेश को क्रियान्वित नहीं किया और उन के उत्पादन में हस्तक्षेप नहीं किया, तो इस के अवश्य कुछ उचित कारण होंगे। अब जो शुल्क लगाया जायेगा, वह एक प्रकार का जुर्माना होगा, क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि यदि मिलें निर्धारित कोटे से १२॥ प्रतिशत अधिक उत्पादन करेंगी, तो २·आना प्रति गज़ जुर्माना किया जायेगा और यदि २५ प्रतिशत, तो ३ आना प्रति गज़। अब स्थिति यह है कि बंगाल में मिलों की मशीनरी इस तरह की है कि उन में

मुख्यतः धोतियों और साड़ियों का उत्पादन हो सकता है । उन में अन्य प्रकार के वस्त्र तैयार नहीं हो सकते, जैसा कि बम्बई और अहमदाबाद की मिलों में हो सकता है । यदि आप इन मिलों में धोतियों और साढ़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दें, तो इस से उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और परिणाम यह होगा कि बेकारी बढ़ जायेगी । अहमदाबाद की मिलों पर इस प्रतिबन्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वे धोतियों के स्थान पर अन्य प्रकार के कपड़े पापलिन आदि तैयार कर के घाटे को पूरा कर सकती हैं । किन्त पश्चिमी बंगाल में अन्य प्रकार के कपड़ों की कोई मांग नहीं है । अतः इस प्रतिबन्ध के कारण मिलें बेकार पड़ी रहेंगी और बेकारी फैलेगी ।

दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी । एक उपभोक्ता को यह मालूम नहीं हो सकेगा कि कौन सी धोती निर्धारित कोटे के अन्दर बनाई गई है और कौन सी कोटे के बाहर । एक ऐसी धोती के लिए जो कि कोटे के बाहर बनाई गई है, उसे अधिक दाम पड़ेंगे, क्योंकि उस पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगा होगा और यह उत्पाद-शुल्क अन्त में उपभोक्ता पर ही पड़ेगा ।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप मिलों को पहले तो निर्धारित कोटे से अधिक कपड़ा तैयार करने की अनुमति देते हैं और फिर जुर्माने के रूप में शुल्क लगा कर इसे उपभोक्ताओं से वसूल करते हैं । यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बंगाल और बिहार की उन मिलों के विरुद्ध है, जिन्हों ने उचित कारणों से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक कपड़ा तैयार किया है । इस से उन के कपड़े के मूल्य बढ़ जायेंगे और खपत कम होगी ।

यदि मिलों ने कोटे से अधिक कपड़ा तैयार किया है तो सरकार उन पर मुकदमा चला सकती है या उन के विरुद्ध अन्य कार्रवाई कर सकती है ? इस के बदले उपभोक्ताओं से क्यों जुर्माना वसूल किया जाये ?

विधेयक से यह भी नहीं पता चलता कि इस शुल्क से जो रुपया इकट्ठा होगा, वह किस तरह उपयोग किया जायेगा । क्या इसे खादी तथा कुटीर उद्योग निधि में डाला जायेगा ?

मुझे यह भी भय है कि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण भ्रष्टाचार भी पैदा होगा । अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले की हर पहलू से जांच करे ।

उसे उन मिलों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए, जिन्हों ने प्रतिबन्धक आदेश का पालन नहीं किया और यह देखना चाहिएं कि उन्हों ने जो कारण बतलाये हैं क्या वह ठीक हैं । सरकार का उन मिलों को, जिन पर इस आदेश का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कुछ रियायत देने का विचार है । परन्तु मेरे विचार में यह रियायत पर्याप्त नहीं है । उन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा और उन के हित को ध्यान में रख कर ही उन्हें विकसित होने देना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह बिल जिस शक्ल में आया है उस के उसूल को, कि मिल के कपड़े पर ड्यूटी (शुल्क) लगायी जाय इस ग़रज़ से कि हैंडलूम इंडस्ट्री (हथकरघा उद्योग) को फ़रोग़ दिया जा सके, तो हाउस (सदन) तसलीम कर चुका है । यह सही है कि थोड़ा अर्सा हुआ हम ने खादी एंड हैंडलूम इंडस्ट्री डेवेलपमेन्ट (विकास) एक्ट (अधिनियम १९५३) पास किया और उस वक्त इस हाउस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ने इस उसूल को मान लिया था कि मिल के कपड़े पर ड्यूटी लगायी जा सके ताकि उस रुपये से और उस मज़ीद रुपये से जो गवर्नमेंट इस बारे में देना चाहे, हम हैंडलूम इंडस्ट्री को तरक्की दे सकें और इस तरीके से जो देश में इतना अनएम्पलायमेंट (बेरोजगारी) है उस को दूर करने में कामयाब हों। जिस वक्त यह बिल हाउस के एनविल पर (विचाराधीन) था उस वक्त भी बहुत सी तकरीरें हुई थीं और यह मामला हाउस में पेश हुआ था। उस बिल पर बोलते हुए मैं ने निहायत अदब से आनरेबिल कामर्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था कि आप उन अशखास में से हैं कि जो इस कांस्टीट्यूशन (संविधान) को बनाने वाले हैं, जिस कांस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट आफ इंडिया पर यह जिम्मेवारी डाली गई है कि अपनी पालिसी से इस तरह से कार्रवाई इस देश में करे कि अनएम्पलायमेंट खत्म हो जाय, यहां पर हर एक आदमी को खाने को रोटी मिले, पहनने को कपड़ा मिले और सर ढकने को छत मिल सके और यहां से अनएम्पलायमेंट खत्म हो जाय। उसका एक ज़रिया जो उस बिल में सोचा गया और जिस के ऊपर आज गवर्नमेंट ज़ोर दे रही है, वह यह था कि जहां तक हो सके काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाय। मैं देखता हूं कि इस देश की काटेज इंडस्ट्रीज़ में एक वीविंग (बुनाई) की ही ऐसी इंडस्ट्री है जिस को तरक्की देने की गुंजाइश है। लेकिन ज्यों ही एक वीविंग मिल खुलती है उस का असर यह होता है कि हजारों जुलाहे बेकार हो जाते हैं। इस वास्ते इस निम्न (सिलसिले) में जब इस देश के नेता श्री राजगोपालाचार्य ने यह तजवीज़ पेश की कि फिलहाल ४० फीसदी धोतियों को हैंडलूम वीवर्स को दे दिया जाय और मिल्स को उन के वीव करने (बुनने) से रोका जाय, उस वक्त देश में इस तजवीज़ को आम तौर पर सपोर्ट किया गया था।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : उन्हों ने तो सेंट पर सेंट (१०० फीसदी) कहा था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर यह दुरुस्त है जैसा कि मेरे लायक दोस्त फरमाते हैं कि उन्हीं को यह सारा काम दे दिया जाय तो जो मैं आरगुमेंट (तर्क) कर रहा था वह और भी मजबूत हो जाता है। मैं ने हाउस में उस वक्त अर्ज किया था जिस वक्त कि यह खादी एंड हैंडलूम इंडस्ट्री डेवेलपमेंट बिल आया था, कि गो मेरी राय में यह प्रेक्टिकेबल (व्यवहार्य) नही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के अन्दर एक एक कपड़ा जो बने वह इस देश के जुलाहों द्वारा बनाया जाय। यह स्वदेशी का मूवमेंट (आंदोलन) बंगाल में चला था, पर आज मुझे अफसोस है कि हमारे बंगाली भाई एक दूसरे वेन में (वृत्ति से) बोल रहे हैं! देश में इस मूवमेंट को बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ था। हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी न यह हुक्म सादिर फरमाया था कि विदेशी कपड़े को जला दिया जाय और उस वक्त हम ने देखा कि बहुत जगह पर ढेरों विदेशी कपड़ा जलाया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट (रोचक चर्चा) जो मुझे उस ज़माने की याद आती है वह हमारे स्वर्गीय टैगोर महाराज और गांधी जी महाराज के दरम्यान हुई थी और वह पढ़ने के काबिल है। गो दोनों की राय मुतज़ाद थी लेकिन उन्हों ने जो आर्टिकिल (लेख) माडर्न रिव्यू में लिखे हैं वह पढ़ने के काबिल हैं। वह एक बहुत अच्छा मज़मून हमारे सामने पेश करते हैं कि उस ज़माने में किस तरह से पालिटिक्स (राजनीति) चलती थी। इन आर्टिक्लिस से उस वक्त की पालिटिक्स पर काफी रोशनी

पड़ती है । लेकिन मैं इस वक्त उस में नहीं जाऊंगा । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चन्द रोज़ हुए हाउस में हम ने इस अनएम्पलाय-मेंट के मसले के ऊपर कई रोज़ खर्च किये थे । मेरी अदब से गुज़ारिश है कि मुझे अभी ऐसे पालीटीशियन से मिलना बाकी है जो मुझे यह यक़ीन दिला सके कि वीविंग इंडस्ट्री के अलावा और कोई दूसरी ऐसी काटेज इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलायमट दे सकती है । मैं जानता हूं कि अभी यह प्रेक्टिकेबिल प्रापोज़ीशन (व्यवहार्य सुझाव) नहीं है कि सारा कपड़ा वीवर्स ही बना सकें । बंगाल के भाई यह शिकायत करते हैं कि हैंडलूम से इतनी धोतियां नहीं बन सकतीं कि जो मिल की धोतियों की जगह पूरा काम दे सकें । मैं इस चीज़ से वाकिफ हूं । लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब हम एक सिचुएशन (परिस्थिति) को बिल्कुल तबदील करना चाहते हैं तो उस में तकलीफ ज़रूर होगी और इस तकलीफ को हम को बरदाश्त करना होगा । जबकि वह बिल आया था तो मैं ने अर्ज़ किया था कि मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि हमारे देश का सारा कपड़ा हैंडलूम के ज़रिये बने और साथ ही मैं ने यह भी अर्ज़ किया था कि हर एक हिन्दुस्तानी को यह मान लेना चाहिये कि अगर वह चाहता है कि आयन्दा हिन्दुस्तान में अनएम्पलायमेंट न रहे तो उस का एक ज़रिया यही है कि सब लोग हैंडलूम के कपड़े को पहनें । आज सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर (कार्यपालिका आदेश) पास किया कि ४० परसेंट धोतियां बनाने की मानोपली (एकाधिकार) हैंडलूम इंडस्ट्री को दी जाय और ६० रहे मिलों के पास । इस हाउस की उस बारे में बिल्कुल राय नहीं ली गयी और मैं गाडगिल साहब से सहमत हूं कि हाउस को उस पर अपनी राय देने का मौका होना चाहिए था । मुमकिन है कि बहुत से असहाब की रायें मुझ से इत्तिफाक न करतीं लेकिन मैं चाहता हूं कि हाउस के सामने दोनों साइड्स (पहलू) आ जातीं । मेरी राय तो यह है कि उन को सेंट परसेंट धोतियां बनाने की मानोपली मिल जाती । पहले धोती की मानोपली मिलती और बाद अज़ां सारे कपड़े का मामला हैंडलूम को दे दिया जाता और हमारी मिल्स सिर्फ़ स्पिनिंग (कताई) करतीं । इस देश के अन्दर स्पिनिंग रेम्यूनेरेटिव (लाभदायक) नहीं है । अगर रेम्यूनेरेटिव होता तो मेरी सेंट परसेंट राय है कि स्पिनिंग और वीविंग के ज़रिये इस देश से अनएम्पलायमेंट दूर हो सकती है ।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग़—पश्चिम) : स्पिनिंग भी रेम्यूनेरेटिव है । (कताई भी लाभदायक है ।)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पिछले तीस बत्तीस साल से खादी का काम करता चला आ रहा हूं और मैं ने यह देखा है कि स्पिनिंग के ज़रिये आम तौर पर लोगों को इतनी आमदनी नहीं होती जिस से उन का गुजारा चल सके । इस वास्ते मेरी यह राय है । मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से दोस्तों की राय, जिन की बहुत कद्र करता हूं, यह है कि अगर हालात तबदील कर दिये जायें तो स्पिनिंग भी रेम्यूनेरेटिव हो सकता है । अगर यह तजरबा कामयाब हो सके तो मैं चाहूंगा कि दोनों ही काम हाथ से किय जायें और मिलों को इजाज़त न दी जाय कि वह हजारों आदमियों की रोज़ी मारें । तो अब इस को इंप्लीमेंट (कार्यान्वित) करने का कौन सा तरीका है । क्या उस को इम्प्लीमेंट करने का यह कायदा है जैसा कि गवर्नमेंट कर रही है । और यह बिल हमारे सामने लायी है । अभी हमारे बंगाल के दोस्त ने बतलाया कि यह तो मिलों को सज़ा नहीं है बल्कि कनज़्यूमर (उपभोक्ता)

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को सज़ा है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब इस सरकार ने यह क़ानून पास कर दिया और उस में इस बात की पूरी गुंजाइश रखी है कि जिन मिलों के पास धोती बनाने का ही काम है उन का कोटा भी बड़ा रखा जाय दूसरों के मुकाबले में, तो फिर यह कौन सा तरीका है कि आप ऐडीशनल ड्यूटी (अतिरिक्त शुल्क) लें । इस हालत में जो मिल क़ुसूर करेगी तो उस का क्या नतीजा होगा ? उस का यही नतीजा होगा कि जो हालात आप सन् १९५३ के बिल के ज़रिये बनाना चाहते हैं वह नहीं बनेंगे और न इस से वीवर्स को फायदा पहुंचता है । जिस सिचुएशन का आप इलाज करना चाहते थे उस का इलाज इस से नहीं होगा । लेकिन आप कैसे कहते हैं कि इस का इलाज यह है कि उस के ऊपर दो आने गज, चार आने गज, छः आने गज या आठ आने गज़ से उन का भाव बढ़ा दें । अगर आप इस तरह से बढ़ा देंगे तो जो कुछ मिलों को देना पड़ता है, उस से उन को नुक़सान नहीं होता । उन को तो ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, उस को वह दूसरों पर पास कर (लाद) देते हैं । बल्कि चूंकि कंट्रोल हट गया है तो उस से वह ज्यादा कमा सकते हैं । तो इस से मिल वालों को गेन है, नुक़सान नहीं । उन को तो फायदा है अगर उन का माल बिक जाय और ज़्यादा कीमत पर बिक जाय, क्योंकि प्राइस कंट्रोल (मूल्य नियंत्रण) नहीं रहा है, तो क्या होगा ? वह इस से भी ज़्यादा फायदा उठावेंगे और उन को यह इंसैंटिव (प्रलोभन) होगा कि वह इस क़ानन को तोड़ें क्या कोई ऐसा भी क़ानून बनता है कि जिस में क़ानून तोड़ने वाले को सज़ा न हो बल्कि फ़ायदा हो । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह तरीक़ा इस को रोकने का जायज़ नहीं है । यह दुरुस्त है कि हैंडलूम इंडस्ट्री को मदद देने की ख़ातिर यह किया गया है । लेकिन मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि यह जो रुपया ऐडीशनल ड्यूटी के ज़रिये हासिल होगा, यह कहां जायगा, इस का क्या होगा ? यह सरकार के खज़ाने में जायगा, लोगों की तनख्वाह बढ़ाने में जायगा और गवर्नमेंट के काम करने में जायगा, जनरल रैवैन्यूज़ (साधारण राजस्व) में शामिल होगा । अगर हैंडलूम इंडस्ट्री को असिस्ट (मदद) करना है तो इस रुपये को आप वहां लगावें जहां कि इस को लगाना है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम से कम यह चीज़ तो इस में रखनी चाहिये थी कि यह रुपया हैंडलूम इंडस्ट्री की मदद के लिये काम में लाया जायगा । अभी जो प्रावीजन (उपबन्ध) है वह काफ़ी नहीं है । अगर आप हैंडलूम इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो आप को वह प्रावीजन करना चाहिये था कि लोग मजबूर हो कर वीवर के बने हुए कपड़े को पहनने लगते । अगर कपड़े की कमी होगी तो वह ज़्यादा कीमत का रुपया वीवर के पास जावेगा । लेकिन यह तो एक तरह से यह हुआ कि घड़े में आप पानी डालना शुरू करते हैं और नीचे उस के सूराख़ कर देते हैं, तो वह घड़ा पानी से कैसे भरेगा । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह क़ायदा ठीक नहीं है और यह तरीका जो आप ने अख्तियार किया है यह ठीक नहीं है । जो मक़सद आप हासिल करना चाहते हैं वह दर असल इस से हासिल नहीं होगा । फायदा नहीं तो कम से कम यह तो इस में रख देते कि जो ऐडीशनल ड्यूटी होगी वह तो हैंडलूम के काम में लगेगी, यह फायदा तो हैंडलूम इंडस्ट्री को पहुंचाया होता । अभी तो इस से एक तरफ़ फ़ायदा गवर्नमेंट उठाता

चाहती है कि गवर्नमेंट के जनरल रैवैन्यूज़ में रुपया चला जाय और दूसरी तरफ़ मिल वालों को यह फ़ायदा देना चाहती है कि वह चाहे जिस क़ीमत पर बेच लें। जब ज़रूरत होगी तो लोग ज्यादा क़ीमत दे कर भी वह कपड़ा लेंगे, आठ आने गज़ ज्यादा होगा तो वह भी देंगे।

इसलिये या तो ऐसी सूरत हो जाय कि हैंडलूम में ऐसी धोतियां बनें जिस से मिल इंडस्ट्री का मुकाबला किया जा सके, वह इतनी नरम हो, खूबसूरत व सस्ती। लेकिन यह फिर भी सप्लाई और डिमांड (मांग तथा पूर्ति) का सवाल है। सप्लाई और डिमांड के लाज़ (नियम) इतने रूथलैस (कठोर) हैं कि वह कभी क़ाबू में नहीं आ सकते। मैं समझता हूं कि सप्लाई और डिमांड के क़ायदे के बाहर आप नहीं जा सकते। इस वास्ते मैं ने दो एक अमैंडमैंट (संशोधन) भेजे हैं, जो ग़ालिबन अगर यह बिल कल तक चलेगा तो हाउस के रूबेरू आ जावेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब को वे मालूम हो चुकी होंगी। मैं अदब से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो रुपया इस में से हासिल हो वह सारे का सारा रुपया हैंडलूम इंडस्ट्री की इमदाद में खर्च किया जाय।

दूसरी बात यह है कि आज मैं समझ सकता हूं उन मैम्बरों की शिकायत जो कि बंगाल से तशरीफ लाये हैं कि वहां पर धोतियां नहीं हैं और ग़रीब आदमी जिस को धोती और कुरता ही इस्तेमाल करना है, वह भी उस को नहीं मिल पाता। मैं जानता हूं कि दुनिया में कपड़े का और जगह क्या औसत है। कहीं कहीं चालीस गज औसत है, म वहां की बात नहीं करता, हमारे देश में ११ से १५ गज तक का औसत है। तो जहां यह औसत है, वहां मैं किसी कंज्यूमर से यह नहीं कह सकता कि यह कपड़ा भी उस को मुहैया न हो और वह इतना कपड़ा भी न पहने। इन्सान नंगा कैसे रह सकता है? अगर उस को कपड़ा मिलेगा तो ज़रूर मिल क्लाथ (मिल का कपड़ा) इस्तेमाल किया जायगा। आप थोड़े से आदमियों से ऐक्सपैक्ट (अपेक्षा) कर सकते हैं कि वह खादी पहनें। लेकिन जब तक कि खादी बमुक़ाबले मिल के कपड़े के सस्ती और अच्छी नहीं होती, तब तक आप सब को इस खादी के पहनने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। मिल का कपड़ा तब तक ज़रूर खरीदा जायगा जब तक कि वह मिलेगा। इस लिये जब कि वह कपड़ा खरीदा जायगा और चूंकि मिल के कपड़े में कोई खराबी नहीं है, हमारे मिल का कपड़ा बाहर भेजा जाता है, इसलिये जो भी दाम होंगे लोग देंगे। अगर हमारे मिल के कपड़े में खराबी होती तो वह बाहर नहीं भेजना चाहिये था। आज जो कपड़ा हमारे मिलों के अन्दर बनता है और बाहर के मिलों का जो कपड़ा आता है, तो मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि बदरजे बाहर के कपड़े के मैं चाहता हूं कि लोग हमारे मिलों का बना कपड़ा पहनें। बमुक़ाबले फ़ारैन (विदेशी) क्लाथ के मैं चाहता हूं कि लोग हमारा मिल मेड क्लाथ इस्तेमाल करें। इस वक्त दिल्ली के बाज़ार में अगर कोई बाहरी आदमी जा कर देखे तो हैरान हो जायगा कि क्या यह देश भूका है, जहां करोड़ों रुपये का फारैन क्लाथ सुबह से शाम तक दुकानों पर बेचा जाता है। उस को देख कर हमें शर्म आती है। कोई वक्त था कि जब सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी ने स्वदेशी का मूवमेंट चलाया था और लोगों ने फ़ारैन क्लाथ लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज उसी देश में विदेशी कपड़ा आराम से आता है। पिछले दिनों हाउस को याद होगा कि नौ करोड़ रुपया का कपड़ा

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

इस देश के अन्दर इम्पोर्ट (आयात) किया गया । हम ने पंडित नेहरू साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, शिकायत की कि यह कैसा तमाशा हिन्दुस्तान में है कि महात्मा गांधी के देश में विदेशी कपड़ा इस तरह से आता है कि जिस तरह से वह नहीं आना चाहिये था । उन्हों ने कहा कि मुझे इस का कुछ पता नहीं कि कैसे आ गया, कामर्स मिनिस्टर साहब से पूछो । उन से पूछने पर वह कहते हैं कि हम को पता नहीं कि किस तरह से आ गया । तो नौ करोड़ रुपये का कपड़ा इस तरह से हमारे देश में आ गया ।

इसलिये अगर आप सचमुच हैंडलूम इंडस्ट्री को असिस्ट करना चाहते हैं तो पहला काम तो आप के लिए यह है कि आप बाहर के फ़ारैन क्लाथ का यहां आना बिल्कुल बन्द कर दीजिये । अगर आप बिज़िनैस मीन करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में स्वदेशी मूवमेंट जोर पकड़े, अगर आप चाहते हैं कि अनएम्पलायमेंट दूर हो, तो मैं चाहता हूं कि यह इम्पोर्ट बिल्कुल बन्द कर दिया जाय । यह अनएम्पलायमेंट तभी दूर होगी जब कि यहां की इंडस्ट्री को आप ऐनकरेज करेंगे, जब कि इस देश की बनी हुई चीज़ें ही आदमी इस्तेमाल करेंगे । आप देखिये कि किस तरह का कपड़ा इस देश में पैदा नहीं हो सकता । सिवाय ऐसे कपड़े के और कपड़े को इम्पोर्ट न होने दीजिये । क्या आप बाहर का कपड़ा मंगा कर इस तरह की खराबी बढ़ाना चाहते हैं कि यहां के लोग देश में अनएम्प्लायड रहें और भूकों मरें और बाहर का कपड़ा लोग पहनें । रस्किन ने क्या कहा था कि क्रेग्ज़ और बेग्ज़ का रैग्ज़ पर एकसा असर होता है । आप अगर मिल वालों को फ़रोग़ दें बमुक़ाबले फ़ारैन कपिटैलिस्ट के तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं ह । मैं चाहता हूं कि बमुक़ाबले फ़ारैन क्लाथ वालों के आप यहां के मिल वालों को फायदा पहुंचायें । लेकिन जहां तक रैग्ज़ का सवाल है, जहां तक अनएम्प्लायमेंट का सवाल है, जहां तक ग़रीब आदमी का सवाल ह, उस के वास्ते दोनों का असर एक ही है । अगर आप चाहते हैं कि देश में अनएम्प्लायमेंट दूर हो तो यहां पर स्वदेशी की नई स्पिरिट (भावना) को लाना पड़ेगा । आप उस के लिये यह ४० परसेंट धोतियों को क्यों लेते हैं ? आप को तो सारा कपड़ा हैंडलूम से बनवाना होगा । मैं जानता हूं कि आप आज यह एकदम से नहीं कर सकते हैं । अगर आप आज कर दें तो देश में एक कैटैस्ट्राफी (संकट) आ जायगी जब कि कपड़े की इतनी कमी है । आप आज इस को नहीं कर सकते । मैं इस के लिय इस क़दर फैनटिक (आग्रही) नहीं हूं । लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि फ़ारैन क्लाथ को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिये । आप इस को बन्द नहीं करते और साठ और चालीस परसेंट धोतियों के झंझट में पड़ जाते हैं । आप ऐसे काउंट्स का कपड़ा जो हैंडलूम में इस्तेमाल होता है, मिल से बनवाना बन्द कर दें और यह सारा का सारा कपड़ा हडलूम से बनवाना शुरू कर देवें—तो ज्यादा मुनासिब होगा ।

मैं एक प्रापोजीशन और रखता हूं मैं जानता हूं कि देश म कपड़े की कमी है । अभी तक हैंडलूम ने इतनी तरक्की नहीं कि हम को इतनी धोतियां मुहैया कर सके कि हर एक आदमी पहन सके । इसलिये आप कम से कम एक साल की मुहलत दीजिये कि सन् १९५४ के बाद उस तरह का कपड़ा मिल्स के अन्दर न बने । मैं इस के लिये नहीं कहता कि एक साल ही हो, एक साल हो या दो साल हो, या चाहे जो अरसा हो, उस के तय करने के लिये मैं गवर्नमेंट को ही बैस्ट जज (सुयोग्य निर्णयकर्ता) समझता हूं कि वह

इस को तय करे । उस के पास ऐक्सपर्ट्स (विशेषज्ञ) हैं, मैं तो लेमैन (सामान्य व्यक्ति) की हैसियत से एक उसूली बात पेश करता हूं कि एक साल के बाद या ऐसे अरसे के बाद जिस को गवर्नमेंट मुनासिब समझे, अगर गवर्नमेंट के परमिसिबिल कोटा (अनुमित अंश) के ऊपर अगर कोई कपड़ा बनावे तो यही नहीं कि उस पर यह ऐडीशनल ड्यूटी लगे, बल्कि उस का वह कपड़ा भी फोरफीट (जब्त) कर दिया जाय ।

अगर आप यह चीज़ रक्खेंगे तो उन को मालूम होगा । ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और कपड़ा भी फोरफीट हो जायगा तो शायद उन पर कुछ प्रभाव पड़े और वह धोतियों के बारे में आप के हुक्म को मानना शुरू करें ।

इस के अलावा और दूसरी चीज़ें हैं । कभी कभी आप बहुत ड्रैस्टिक स्टेप लेना (कठोर कदम उठाना) चाहते हैं और बड़े सख्त कानून आप पास करते हैं । कितने ही बिल आप के देखे हैं, मिल पर भी आप कब्ज़ा करते हैं, मिल का हिसाब भी ले लेते हैं और डायरेक्टर्स को भी निकाल देते हैं । इस से क्या मैं नतीजा निकालूं कि आप इस बिल के बारे में बहुत सिंसियर (ईमानदार) नहीं हैं क्योंकि जुर्म के लिये जो सज़ा है वह बहुत मीठी है । क्या मैं यह नतीजा निकालूं कि अभी मिलमालिकों के हक़ में जो उन के दिल के अन्दर साफ्ट कार्नर (सहानुभूति) है, उस के अन्दर अभी सख्ती आना शुरू नहीं हुई है ? मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि अगर आप दरअस्ल इस मामले को ठीक नुक्ते निगाह से जांचना चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो मैं अर्ज़ करूंगा वह यह है, क्योंकि, सारी टैक्सटाईल इंडस्ट्री (कपड़ा उद्योग) और सारी पालिसी (नीति) इस वक्त हाउस के सामने है, मैं अदब से आप की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि जितना बाहर का कपड़ा आता है उस कपड़े में से केवल उस कपड़े को छोड़ कर जिस की बहुत ज्यादा जरूरत हो और जिस के मंगाये बग़ैर काम नहीं चल सकता हो, उस कपड़े को छोड़ कर आप बाक़ी सारे कपड़े का इम्पोर्ट बन्द कर दें और ऐसा करने में आप को कोई नुक़सान नहीं होगा ।

दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप की पालिसी और कोशिश यह होनी चाहिये कि आयन्दा जितना कपड़ा हैंडलूम से बन सकता है, आप मिल में उस कपड़े का बनना बन्द कर दें, यह मैं जानता हूं कि इस से मुमकिन है मिल की वह मशीन (यंत्र) आइडिल (बेकार) पड़ जाय, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मशीन आइडिल न पड़ी रहने देने के लिये हम इंसानी मैटीरियल (मानव प्राणियों) को भूखा रक्खें ? मशीन भले ही इस क़दम से आइडिल पड़ जाय, लेकिन हम इंसान को भूखा नहीं रहने दे सकते । इसलिए अगर आप इस देश से अनइम्पलायमेंट हटाना चाहते हैं, इस देश के ग़रीब आदमियों का भला करना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि आप की पालिसी तो सही है, लेकिन उस का इम्पलीमेंटेशन (कार्यान्विति) बिल्कुल ग़लत है । इस क़िस्म का बिल जैसा कि यह है, उस को तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता अगर उस के अन्दर यह बात नहीं होती कि आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर धोतियों की ज़रूरत है और ग़रीब आदमी बग़ैर धोतियों के आप को नंगे देखने को मिलेंगे और आप के सामने वही दृश्य आयगा जो सन् ४३ में उड़ीसा में देखने को मिला था । महात्मा गांधी जब वहां तशरीफ़ ले गये तो औरतें घर से बाहर नहीं आती थीं, क्योंकि उन के पास अपना तन ढांकने को कपड़ा नहीं था, मैं नहीं चाहता कि हमारे देशवासियों को फिर वह नज़ारा देखने को मिले । गवर्नमेंट अनइम्पलायमेंट को दूर करना चाहती है तो सीधे तरीक़े से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दूर करे और मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा आप कर सकें तो बेहतर, लेकिन कम से कम इस बिल के अग़राज़ के वास्ते फ़ौरन यह दो अमेंडमेंट ज़रूर मानने चाहियें जो कि मैं पेश कर रहा हूं गोकि मैं जानता हूं कि यह जिस को आप ऐडीश्नल ड्यूटी कह सकते हैं, यह बिल्कुल एक बेअसर चीज़ है । जहां तक मिल्स का ताल्लुक़ है, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खसूसन उस मिल को जिस कपड़े पर लास (घाटा) होगा, जो उस पर ऐडीश्नल ड्यूटी होगी, वह पबलिक पर पास कर देंगे । इस मौक़े पर मैं कुछ और ज्यादा अर्ज़ नहीं करना चाहता, मेरे और बहुत से दूसरे दोस्त बोलने को उत्सुक हैं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्रीमती ए० काले (नागपुर): मैं आश्चर्य-चकित हूं कि मेरे बंगाली मित्र ने बंगाल के कारखाना स्वामियों का समर्थन किया है जो कि बहुत प्रभावशाली और चालाक हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग की स्थायी समिति में मैंने सुझाव रखा था कि हम हाथ करघे के उद्योग को जीवित रखना चाहते हैं । हमें ऐसा करना चाहिये कि केवल हाथ कर्घे की साड़ियों और धोतियों का उत्पादन करें।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

इस समय मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि उसे अब घोषणा करनी चाहिये कि विहित कालावधि में वे ऐसा कर देंगे कि केवल हाथ के करघे धोतियों और साड़ियों का उत्पादन करें ।

दूसरे धोतियों की परिभाषा में रंगदार बार्डर और बिना बार्डर की धोतियों को सम्मिलित करने का सुझाव किया गया है । इस बात का भय है कि कारखानों के स्वामी धनाजन की आकांक्षा से बिना बार्डर की धोतियां बनानी न आरम्भ कर दें ।

तीसरे मैं यह सुझाव रखना चाहती हूं कि उत्पादन शुल्क लगाना न्यायोचित नहीं है । उत्पादन शुल्क की चाहे कुछ भी दर हो यह उपभोक्ता से वसूल की जानी है । धोतियों का मूल्य इतना अधिक हो गया है कि साधारण व्यक्ति धोतियां नहीं खरीद सकते । मेरा सुझाव है कि यदि कारखाने ६० प्रतिशत से अधिक धोतियों का उत्पादन करें तो इस अपराध के लिए उन पर अभियोग चलाना चाहिये, जुर्माना करना चाहिये अथवा उत्पादन की अतिरिक्त सामग्री को जब्त कर लेना चाहिये । कोई भी ढंग जो कि प्रयोग के योग्य और लाभप्रद हो अपनाना चाहिये । परन्तु उत्पादन शुल्क लगाना हो तो केवल, दरिद्र उपभोक्ता को दण्ड देना है । मराठी की एक कहावत है :

'चोराला सोडून सन्याशाला शिमा'

इसके अर्थ हैं कि चोर को छोड़ दिया जाता है और निरपराधी को पकड़ लिया जाता है । अपराधी कारखानों के स्वामी हैं जिन्हें दण्ड मिलना चाहिये ।

यदि धोतियों में साड़ियों को भी सम्मिलित समझा गया तो यह स्त्रियों के लिए एक आपत्ति होगी । मेरी प्रार्थना है कि अनुक्रम भी नहीं रहना चाहिये । यदि १२ प्रतिशत अथवा ५० प्रतिशत उत्पादन किया जाता है तो वह अपराध भी एक सा ही बुरा है ।

मैं इस सिद्धान्त से सहमत हूं कि उन कारखानादारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगना चाहिये जो अधिक उत्पादन करते हैं परन्तु मध्य वर्ग के लोगों को ध्यान रखना चाहिये ताकि वे अधिक पीड़ित न हों ।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाथ के

करघों के उद्योग को जो यथासम्भव सर्वोत्तम सहायता दी जा रही है मैं उस का विरोधी नहीं हूं।

मैं उपभोक्ताओं की दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि सौभाग्यवश कम से कम इस मामला में उद्योग और उपभोक्ता के स्वार्थ एक ही हैं।

कानूंगो समिति इस समय कपड़ा उद्योग के विभिन्न विभागों की किस्मों के आरक्षण के विकट प्रश्न पर विचार कर रही है। सरकार को यह चाहिये था कि ऐसा कठोर विधान बनाने से पूर्व समिति की भली प्रकार विचारी हुई सिफारिशों की प्रतीक्षा करती।

इस समय जैसी स्थिति है और जैसा माननीय मंत्री ने बताया भी है, प्रायः सभी कारखानों ने प्रतिबन्धों का पालन किया है। परन्तु बंगाल और उड़ीसा में जो कि कमी वाले क्षेत्र हैं, कुछ मिलों ने इन प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया और वह भी स्थानीय सरकारों की पूरी सहमति के साथ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के इस वक्तव्य के विरुद्ध कि इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन स्थानीय सरकारों की पूरी सहमति द्वारा किया गया है, चेतावनी देना चाहता हूं। यह ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को अपनी जानकारी कहां से प्राप्त होती है परन्तु मुझे यह कहने का अधिकार है कि कोई राज्य सरकार इन प्रतिबधों में से किसी के उल्लंघन के लिए पूरी सहमति नहीं दे सकती।

श्री गिडवानी : पूरी अथवा अंशतः ?

सभापति महोदय : यह संभव है कि वहां प्रतिबन्ध स्थानीय सरकारों की सहमति से लगाये गये हों परन्तु माननीय सदस्य ने कहा है कि स्थानीय सरकारों के प्रोत्साहन से कुछ कारखानों ने अधिक धोतियों का उत्पादन किया।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ राज्य सरकारों ने प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया था परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि वे अपने राज्य में कारखानों को आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन देती थीं। यह गलत है। वे अभ्यावेदन भेजते हैं। वे कहते हैं कि यह एक दृष्टिकोण है जिस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा करना सर्वथा ठीक है परन्तु मैं यह कहना ठीक नहीं समझता कि राज्य सरकारें ऐसी विधि का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं।

श्री जी० डी० सोमानी : मेरी जानकारी के अनुसार यह मंत्रालय उन सब कारखानों के विरुद्ध अभियोग चलाना चाहता था परन्तु मेरे विचार में अन्त में राज्य सरकारों ने इसका पालन स्वीकार नहीं किया।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मैं इस प्रकार के वक्तव्य का ज़ोर से विरोध करता हूं। सर्वथा कोई अस्वीकृति नहीं थी और न ही कोई अस्वीकृति हो सकती है।

श्री जी० डी० सोमानी : वस्तुतः यदि प्रतिबंधों को पालन किया गया था तो मैं नहीं समझता कि उत्पादन शुल्क के इस विधेयक को प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में भी यह बताया गया है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबन्धों की अपेक्षा उत्पादन शुल्क अच्छा है। तथ्य यह है कि हाल के पूजा त्यौहार में पश्चिमी बंगाल धोतियों की कमी को पूरा करने के लिए कारखाना में बनी धोतियां चाहता था। परन्तु क्योंकि माननीय मंत्री ने यह अस्वीकार कर दिया है इस लिए में नहीं कहना चाहता कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने निश्चय को पूरा करने के लिए ताकि लोगों को सस्ती धोतियां मिल सकें, मिलों को प्रोत्साहन दिया।

[श्री जी० डी० सोमानी]

गत वर्ष माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था कि उपभोक्ता के लिए मिल का कपड़ा सस्ता है और उपभोक्ता के स्वार्थ को नहीं भुलाना चाहिए। इस लिए सरकार ने जनवरी में प्रतिबंधों की ओर अब जो उत्पादन शुल्क लगानें की नीति अपनाई है वह उपभोक्ताओं के स्वार्थ के विरुद्ध है, जिन का प्रतिनिधित्व कई महत्वपूर्ण राज्य सरकारों ने किया है।

अब मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मूल्य की मोहर नहीं लगी होती। इस लिए मूल्यों का विनियमन मांग और संभरण के नियम पर हो रहा है। अध्यादेश के प्रख्यापन पर जबकि कपड़े की अन्य किस्मों के मूल्यों में कमी हो गई थी धोतियों का मूल्य बढ़ गया था। अब धोतियां साड़ियों से भी अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं। यह स्थिति अधिक भारी उत्पादन शुल्क लगाने से और भी गंभीर हो जाएगी।

वस्तुतः हाथ के करघे के उद्योग की सहायता के लिए और भी प्रभावी ढंग है। माननीय मंत्री ने विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए कोई तथ्य अथवा आंकड़े नहीं बताए कि धोतियों और साड़ियों पर प्रतिबंध लगाने से जो विधान बहुत समय प्रवर्तित रहा है, हाथ के करघे उद्योग को क्या लाभ पहुंचा है। उद्योग की जानकारी के अनुसार उपभोक्ता को इन विधानों द्वारा व्यर्थ दण्ड दिया है और हाथ के करघे उद्योग को कोई लाभ भी नहीं पहुंचा। इसलिए इसका उपचार अन्य ढंगों में है। उन कई रचनात्मक विधानों के सम्बन्ध म बताने के लिए न तो समय है और न ही अवसर, जिन द्वारा इस उद्योग को सहायता दी जा सकती है।

यह और भी आश्चर्यजनक है कि उत्पादन शुल्क सम्बन्धित धोतियों की गिनती और किस्म के विचार के बिना लगाया जाएगा। चाहे बारीक धोती हो और चाहे मोटी दोनों पर एक ही हिसाब से दण्डात्मक उत्पादन शुल्क लगाए जाएंगे। सार्वजनिक दृष्टिकोण से यह अच्छा होता कि सरकार मोटी और बारीक धोतियों को उत्पादन शुल्क से विमुक्ति दे देती और अधिक मूल्यवान तथा उत्तमोत्तम धोतियों पर अधिक कठोर उत्पादन शुल्क लगा देती।

मैं आशा करता हूं कि सरकार हाथ के करघे उद्योग की सहायता के लिए कोई पग उठाते हुए उन उत्तरी भारत के लाखों व्यक्तियों के हित का ध्यान रखेगी जिनका प्रतिनिधित्व कई राज्य सरकारों ने किया है।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़, पूर्व व जिला बलिया, पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

मैं इस बिल के उद्देश्य को समझा ही नहीं कि इसके लाने की क्या आवश्यकता हुई। यह बिल जिस रूप में हमारे सामने आया है उससे वह आदेश-पत्र जिसके द्वारा मिल के कपड़ों के उत्पादन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया था कि जिससे हैंडलूम इंडस्ट्री (करघा उद्योग) को प्रोत्साहन मिले, वह आदेश पत्र अपनी आत्मा में और शरीर में दोनों में समाप्त हो जाता है। जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह इस तरह से समाप्त हो जाता है कि अब हम मिलों को यह छूट दे देते हैं कि वह प्रतिबन्ध के आगे चाहे जितना भी कपड़ा पैदा कर सकती है केवल आवश्यकता उनको यह होगी कि वह हमें कुछ कर के रूप में अदा कर दें। मिलों को मुनाफा कमाने की पूरी छूट दी जायगी बशर्ते कि उस मुनाफे में वह सरकार को साझीदार बना ले। तो जो प्रयोजन प्रतिबन्ध लगाने का था वह प्रयोजन कहां रहा ? हैंडलूम इंडस्ट्री का भला हो या बुरा हो सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को अब प्रयोजन

इस बात से है कि उसके प्रतिबन्ध लगाने के कारण जो मिलों को अधिक कपड़ा बनाने की प्रेरणा हुई है उस प्रेरणा से अनुचित लाभ उठाकर उस मुनाफे में एक अच्छी साझेदारी प्राप्त की जाय । जो लोग मिलों का कपड़ा पहनने के आदी हैं जब उनके पास दूसरा कपड़ा नहीं होगा तो वह उसको पहनेंगे और जो मूल्य उसका लगाया जायगा उस मूल्य पर वह उसको खरीदेंगे और इस प्रकार से हाथ से कपड़ा बनाकर जीविका चलाने वाले बुनकरों की तबाही हो जायगी । एक समय इंगलिस्तान की छींट और कपड़ों ने इस देश के अच्छे बने हुए कपड़ों को तबाह कर दिया था और बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या तबाह हो गयी थी जबकि यहां पर अंग्रेजी साम्राज्यशाही का बोलबाला था और उनका अपना यहां पर व्यापार था । धीरे धीरे फिर लष्टम पष्टम सन् २० में महात्मा गांधी ने एक बार फिर हाथ से बुनने वालों और कातने वालों की ओर देश का ध्यान दिलाया । जिस धागे के ज़रिये इस देश का स्वराज्य चला गया था उसी धागे के ज़रिये देश का स्वराज्य लेने का नारा उन्होंने बुलन्द किया । उसको सुनकर, जैसा कि स्वयं श्रीमान् ने अभी कहा था, इस देश में स्वदेशी भावना पैदा हुई और उसके कारण देश का ध्यान इस ओर गया । पिछले महीनों में जो हमारे बुनकरों की दुर्दशा हमारे सामने आयी उससे हमारा ध्यान उस तरफ गया और हमने हाथ से कपड़ा बनाने वालों की उन्नति के लिए एक योजना बनायी, एक कर लगाया और मिलों के कपड़े पर एक प्रतिबन्ध लगाया कि इस हद तक मिलें कपड़ा बनावें और इस से आगे न बनावें । यह इस दृष्टि से किया गया था कि बुनकर बेकारी के चंगुल से बचें और अपनी जीविका प्राप्त कर सकें । अब इस बिल में इस सारी भावना का लोप हो गया है । इसमें हमने केवल एक ऐडीशनल टैक्स लगा दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह टैक्स किस काम आवेगा । अभी श्रीमान् भी स्वयं यही कह रहे थे और मैंने भी इस प्रकार का संशोधन दिया है कि यदि यह बात होती ही है तो कम से कम इस कर से जो आय होने वाली है वह एकमात्र इसी उद्योग पर, जो कि हाथ से कपड़ा बनाने का है, खर्च की जाय और सरकार की दूसरी मदों पर इसका एक पैसा भी व्यय न किया जाय । मगर मैं नहीं समझता कि यह भी उसका सीधा इलाज है । हम उस आमदनी से बुनकरों को कुछ पेंशन दे सकते हैं, उनका कुछ गुज़ारा बांध सकते हैं और सम्भव है कि इससे यह हो सके कि जो कपड़ा वह बनाकर लावें वह बाजार में मिल के कपड़े के मुकाबले में खड़ा हो सके और उसके खरीदार मिल सकें और हो सकता है कि वह इस प्रकार मिल वालों से कम्पिटीशन कर सकें । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह बुनकरों का क्षेत्र है । मऊ, मुबारकपुर, कोपागंज, रसड़ा यह जो क्षेत्र हैं बलिया और आज़मगढ़ ज़िलों में, उनके पूर्वी हिस्से में, वहां बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है । वह अच्छे किस्म का कपड़ा बुनते थे और बाहर के बाज़ार में बेचते थे । आज उनके ऊपर एक क्राइसिस है, आज वह संकटकाल से गुजर रहे हैं । उनको एक आशा की किरण मिली थी कि एक हद तक उनको कपड़ों का स्वायत्त हासिल हो गया है, ४० प्रतिशत धोती बनाने का उन को अधिकार हो गया है और वही धोतियां बाज़ार में चलेंगी और वह उन धोतियों को बना कर और बेच कर अपना पेट पाल सकेंगे । सरकार ने यह दिशा दिखायी कि हमारा ध्यान तुम्हारी ओर गया है । वह चीज़ अभी पूरे तौर पर अमल में भी नहीं आयी है । अभी कल हम यह चीज़ पढ़ रहे थे और अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को अपने यह विचार बता रहे थे कि सरकार का ध्यान गरीबों की ओर आकृष्ट हुआ है और बड़ी तादाद को प्राप्त होने वाले दुःख की ओर हमारी दयालु सरकार का ध्यान गया है ।

[श्री अलगू राय शास्त्री]

प्रजा की सच्ची प्रतिनिधि सरकार का ध्यान इस ओर गया है । अब कल हम यह कहेंगे कि अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है । मिलों को पूरा अधिकार है कि वह अन्धाधुन्ध कपड़ा बनावें, धोतियां चाहे जितनी बनावें । उनका काम सिर्फ यह है कि कुछ पैसा सरकार को दे दें । और यह भी सही बात है जैसा कि अभी श्रीमान् जी ने ठीक ही कहा कि न केवल हमने यह किया कि इस प्रतिबन्ध को हटाकर एक केवल एडीशनल टैक्स लगा दिया बल्कि हमने यह भी किया कि उस कर को सामान्य रूप से सब पर लगा दिया, चाहे धोती मोटी हो चाहे पतली हो, चाहे उसे अमीर पहनें या गरीब पहनें हमने सब के ऊपर समान रूप से इस कर को बांट दिया है । मैं तो समझता हूं कि यह तुषार पात है, यह तो गरीबों के ऊपर वज्रपात है और आप इस बिल के द्वारा गरीब जनता की मदद नहीं कर सकते ।

हां, यह बात सही है कि आज के युग में हम मिलों को, कारखानों को, महायानों को, महायन्त्रों को, नमस्कार नहीं कर सकते हैं । यह नहीं हो सकता कि हम आज बिल्कुल करघे से ही बनी हुई चीज़ों पर निर्भर रह सकें । आज के युग में यह बात सम्भव नहीं है । यद्यपि मेरे मित्र रामनारायणजी कह रहे थे कि सूत का कातना भी काफी मज़दूरी दे देता है, लेकिन श्रीमान्जी, आप के तीस वर्ष के अनुभव का यह नतीजा है, यह परिणाम है, कि वह इतना पेइंग या लाभदायक उद्योग नहीं है । सही बात यह है कि आज के आंधी पानी के युग में, जब कि हवाई जहाज़ इतनी तेज़ी से चलता है तो न कोई पैदल चल सकता है और न बैलगाड़ी में चल सकता है । तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि मिलों के लोहे को गला कर स्क्रैप आइरन के रूप में बेच दिया जाय । वह तो बिल्कुल काल्पनिक बात रह जायगी । किन्तु हमें इसके लिये सामंजस्य स्थापित करना है । हाथ के उद्योग धंधों की जो बात थी वह हमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में दिखाई पड़ी जिसका स्पष्ट चित्र हम कैपिटल में पढ़ते हैं कि किस तरह से हाथ के करघे के काम करने वालों ने मिलों को फूंका है, जलाया है । लेकिन आज वही अपने हाथों से मिलों को जलाने वाले लोग मिलों में काम करते हैं और कपड़े को बनाते हैं । तो यह क्रान्ति आई है । उसका नोटिस हम को लेना होगा और उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । फिर इतनी बड़ी तादाद को तुरन्त, सद्यः कपड़ा पहुंचा देना भी हमारे सामने बड़ी भारी समस्या है । हमारे मन्त्री महोदय ने उसी बात को ध्यान में रख कर कहा था कि लोग कपड़ा चाहते हैं, वह क्या करें । वह उनकी बेबसी है । जनता जो चीज़ चाहती है, उससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते । लोग किनारदार धोती पहनना चाहते हैं इसका प्रबन्ध करना है । पहले हाथ के उद्योग धंधों से काम होता था । ग़रीब लोग अपने हाथ से चक्की चलाते थे । अमीर औरतें भी चक्की पीसती थीं, आज वह मिलों में जाकर गेंहूं पिसवा लेती हैं और अपने हाथों से काम करना उन्होंने छोड़ दिया । तो जो हमारा वर्तमान युग है, जिसको कलियुग कहा जाता है, जो सच्चे मानों में कलियुग है, इस मशीन के युग से हम मुंह नहीं मोड़ सकते । लेकिन हम को इस के लिये सामंजस्य स्थापित करना होगा और उत्पादन बढ़ाना होगा । मुझे याद है श्री ज्यप्रकाश नारायण जी का वह वाक्य कि हमें उत्पादन बढ़ाने में यह नहीं देखना है कि यह किस तरह से बढ़ेगा । हम नहीं कह सकते हैं कि यह मिलों द्वारा नहीं बढ़ेगा, न यही कह सकते हैं कि हाथ के उद्योग धंधों से नहीं बनेगा । हमें परिस्थितियों के अनुकूल उद्योग धंधों को बढ़ाना है, उत्पादन की वृद्धि करनी है । चाहे जिस मार्ग से हो हमें उत्पादन बढ़ाना

है । उत्पादन बढ़ाने की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिये । जब तक इसके लिये सामंजस्य स्थापित नहीं होता तब तक बाज़ार की दुश्वारी पैदा हो जाती है । हम किसी एक ही चीज़ के आगे घुटने नहीं टेक देंगे । मैंने खादी की प्रतिज्ञा ली है तो मैं उस पर चलता हूं । लेकिन मैं इसको पूरी आबादी पर इम्पोज कर दूं, जबरदस्ती लाद दूं, यह सम्भव नहीं है । साथ ही केवल मिलें ही चलेंगी और इन उद्योग धंधों में लगे हुए लोग भूख से मर जावेंगे, यह भी हम नहीं होने देंगे । हम ने अपने मामूली चीनी के व्यौपरि को विदेश के काम्पीटीशन से बचाने के लिये तरह तरह के संरक्षण दिये । तो इसी तरह इस को संरक्षण देने के लिये भी, उद्योग धंधों को संरक्षण देने के लिये भी, कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी । आज यह जो व्यवस्था की गयी है और यह जो आर्डर ईशु हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, जैसे कि हाथ की मेंहदी शादी की मिटी भी नहीं थी कि वैधव्य दिखाई देने लगा, इस तरह की बात हो गयी है । यह आर्डर लगा ही था कि प्रतिबन्ध लगें कि तब तक यह बिल उस आर्डिनेन्स को रद्द करने के लिये आ गया है ।

श्री गाडिगल : यह मेंहदी का क्या हुआ ?

श्री अलगू राय शास्त्री : यह आप क्या जानें क्या हुआ, आप यहां नहीं थे ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : यह आर्डिनेन्स क्या हाथ के लिये मेंहदी होता है ?

श्री अलगू राय शास्त्री : जी, हां, आर्डिनेन्स खूनी तो होता ही है ।

तो मैं यह कह रहा था कि कुछ दिन अभी बीते भी नहीं, अभी लोगों को उसकी याद है कि यह चीज़ आई है, वह प्रतिबन्ध थोड़ा सा ही हुआ कि जिसके द्वारा हम ने सोचा था कि कुछ सहायता हो गयी, कि शीघ्र ही यह बिल आ गया है जो उस दिशा में हम को एक क़दम भी आगे नहीं ले जाता है । इस तरह यह जो एक हाथ का उद्योग धंधा है उस को यह समाप्त कर देता है । अक्सर हम यह कहते आये हैं बराबर अनुरोध करते आये हैं कि.....

श्री गिडवानी : कोई सुनता ही नहीं है, क्या समझेंगे ।

श्री अलगू राय शास्त्री : सब समझेंगे, आप शान्ति से सुनिए ।

श्री गाडगिल : वह दूसरों के लिए कहते हैं, जनता के लिये, फार बिगर प्लैटफार्म ।

श्री अलगू राय शास्त्री : आप श्रीमान् जी मुझे इन बड़े बड़े लोगों से प्रोटैक्शन दीजिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अन्तर्बाधाओं की ओर ध्यान न दें और अपना भाषण जारी रखें ।

श्री अलगू राय शास्त्री : जैसे यह बिल तबाह करने वाला है, वैसे ही यह दो आदमी मुझे तबाह करने के लिये बैठे हुए हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि खद्दर के उद्योग धंधे के बारे में हम हमेशा सरकार का ध्यान आकर्षित करते आए हैं कि वह अपने विभागों में, तमाम कामों में, खद्दर का प्रयोग कर सकती थी । उधर सरकार का ध्यान नहीं गया, इससे उस उद्योग धंधे को काफी धक्का लगा है । हम यह आशा करते थे कि हमारी खादी के प्रोटैक्शन के लिये जो कुछ यहां व्यवस्था की गयी थी उससे कुछ उन्नति होगी । हम समझते थे कि उस उद्योग धंधे को उन्नत किया जायगा और उस को मदद मिलेगी । दान देकर, दान के रूप में या सहायता के रूप में, हम किसी उद्योग धंधे की रक्षा नहीं कर सकते । हम उद्योग धंधे की रक्षा कर सकते हैं अगर वह दुर्बल उद्योग धंधा है तो सबल उद्योग धंधे के मुक़ाबले में उसको कुछ अवकाश देकर, कुछ भूमि देकर, कुछ प्रस्थान देकर जिससे कि वह कुछ आगे बढ़ सके । इस तरीक़े पर हम यह नहीं समझते कि उसकी रक्षा हो

[श्री अलगू राय शास्त्री]

सकती है । इसके द्वारा आयी हुई आय को हम हैंडलूम इंडस्ट्री पर खर्च कर दें, वही एक सुझाव मुझे इस समय सामने आता है, अगर यह बिल पास होता है । इस हालत में सिवाय मेरे उस संशोधन के कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता । लेकिन मैं उसको सही रास्ता नहीं मानता । सही रास्ता तभी होगा जबकि सचमुच मिलों के उत्पादन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाय और करघे के उद्योग धंधे को पनपने और बढ़ने का अवसर दें ।

तो मैं इस बिल के उस भाग के विरुद्ध हूं जिस हद तक कि यह बिल उस आर्डिनेन्स को जो पहले था उसको यह रिपील कर रहा है । उस आदेश पत्र को, जिसके द्वारा कि प्रतिबन्ध लगाया गया था मिलों के कपड़े पर, जिस हद तक यह बिल रिपील करता है, उस में जहां तक यह बाधा डालता है, उसका मैं सर्वथा अस्वागत करता हूं । मैं चाहता हूं कि कोई न कोई प्रतिबन्ध अवश्य हो । इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिये बहुत शान्ति से सोचने की आवश्यकता है कि कहां तक हम हमारी जनता की जो आवश्यकता है, जो हमारी इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्त्ति में बाधक न हों और उनको कपड़े के अभाव में परेशान न होने दें । एक तरफ़ उसकी तरफ़ हम को ध्यान देना होगा । दूसरी तरफ़ अपने उस उद्योग धंधे को जो आज संरक्षण के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि मिलों की चीत्कार और चीख़ पुकार में, उसकी आवाज कारखानों में तूती की आवाज़ कौन सुनेगा, किन्तु वह हाथ के उद्योग धंधे वाले रहेंगे कहां और खोयेंगे क्या, तो उसके लिये हम को सामंजस्य स्थापित करने के लिये भी प्रयत्न करना है । तो इस दृष्टि से यह बिल स्वीकार नहीं होना चाहिये और इसको रिजैक्ट कर देना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु इसके साथ ही मैं सम्मानीय सदन के समक्ष उन विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन करूंगा जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में व्याप्त हैं और प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में उनका उल्लेख करूंगा ।

श्रीमान्, बम्बई राज्य में बुनकरों के बड़े-बड़े केन्द्र हैं और अधिकांश व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का आधार बुनाई उद्योग है । उदाहरणार्थ, मालगांव एक प्रमुख बुनाई उद्योग है । शोलापुर की गिनती भारत के बड़े बुनाई केन्द्रों में की जाती है । सदन में प्रस्तुत किये गये विधान पर विचार करने से हमें मालूम होता है कि उससे बुनकरों को कोई राहत नहीं मिलती है । जहां तक मेरे राज्य के बुनकरों का सम्बन्ध है धोतियों को संरक्षण देने से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा है क्योंकि वे धोतियां नहीं बुनते हैं । वे अधिकतर साड़ियां बुनते हैं और दक्षिण में लगभग सम्पूर्ण नारी वर्ग मिल में बनी हुई साड़ियों की अपेक्षा हाथ की बुनी हुई साड़ियों को ही अधिक पसन्द करता है । मेरा विचार है कि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मध्य भारत ।

श्री जी० एच० देशपांडे : मुझे यह मालूम नहीं है । श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में बुनकरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : उनकी सर्वत्र दयनीय स्थिति है ।

श्री जी० एच० देशपांडे : बाजार में समुचित मात्रा में वस्त्र उपलब्ध हैं किन्तु बुनकरों को कोई राहत नहीं है । वे बेकार हैं ।

इसलिये हमें अधिक अच्छा विधान निर्माण करना चाहिये जिससे ध्येय की पूर्ति की जा सके। प्रस्तुत विधान अपने आप में सुन्दर हो सकता है किन्तु जब तक उसमें आगे सारभूत परिवर्तन नहीं किया जायगा वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में विफल सिद्ध होगा। राज्य की सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से उन्हें सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि वे सर्वथा उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वे उनके हितों की देखभाल कर रहे हैं किन्तु जिस पद्धति से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं उससे बुनकर को लाभ नहीं पहुंच रहा है। जितने शीघ्र इस तथ्य को समझ लिया जाय उतना ही अच्छा है।

श्रीमान्, यदि आप धोतियों के उत्पादन के नियंत्रण पर आबद्ध हो चुके हैं और धोती बुनने वाले बुनकरों को सुविधाएं देना चाहते हैं तो सम्पूर्ण उपायों से इसे कीजिये। मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। आप साड़ियां बनाने पर भी नियंत्रण क्यों नहीं कर देते हैं ऐसा करने से उन बुनकरों को सहायता मिलेगी जो पीढ़ियों से साड़ियां बुनने का काम कर रहे हैं। यदि आप बुनकरों की सहायता करने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तो किसी यथार्थ कार्यवाही का अवलम्ब लीजिये। मेरे क्षेत्र के बुनकरों की शिकायतों को मैं इस सम्मानीय सदन के समक्ष कोई गम्भीर रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी बुनकरों के कष्टों का निवारण करने के लिये अविलम्ब ही कोई यथार्थ और सारभूत कार्य करेंगे।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : श्रीमान् यह अत्यन्त सरल विधेयक है और इस पर विस्तृत वाद-विवाद होने का एकमात्र कारण यह है कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस आशय की ओर इंगिति की गई है कि सरकार बुनाई उद्योग को सहायता पहुंचाना चाहती है और इसीलिये उसने मिलों द्वारा धोतियों के उत्पादन को नियंत्रित करने के आदेश पारित किये हैं।

किन्तु इसके पूर्व आरम्भ में ही, मैं इस बात की ओर संकेत कर देना चाहता हूं कि देशवासियों के हितों और उनके कल्याण की भावना को ध्यान में रखने वाले प्रत्येक देश की सम्वृद्धि उसके हाथ करघा उद्योग पर ही निर्भर है। सरकार ने कुछ समय पहले धोतियों के उत्पादन का नियंत्रण साठ प्रतिशत कर दिया था और उनका विचार था कि इस तरह के संरक्षण प्रदान करने से हाथ करघा उद्योग को पूर्ण सहायता मिल जायेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि नियंत्रण-आदेश पारित करने पर हमने जिन प्रतिक्रियाओं की सम्भावनाएं की थीं वे अपूर्व अवस्था में ही रह गई हैं।

श्रीमान् किसी भी मिल के लिये यह सम्भव है कि वह रंगीन धागे अथवा किनार का प्रयोग न कर प्रस्तुत विधेयक की अवहेलना कर सकता है। अनेक स्थितियों में ऐसा हुआ है। किसी भी एक विधान की सीमा रेखा में धोती अथवा साड़ी की परिभाषा को बांध देना असम्भव है। कुछ उच्च अधिकारियों का सुझाव है कि उक्त नियंत्रण तभी क्रियान्वित किये जा सकते हैं जबकि सरकार मिल मालिक के विरुद्ध कार्य करने को प्रस्तुत हो। किन्तु मैं यह कह दूं कि यह प्रश्न मिल मालिक बनाम हाथ करघे बुनकर नहीं है प्रत्युत यह समस्त मिल उद्योग और उपभोक्ताओं तथा हाथ करघे बुनकरों के हितों से सम्बन्धित है। उदाहरण के लिये, मैं यह कह सकता हूं कि नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप देश में अधिक लोगों को काम नहीं मिला है जिसकी हमें आशा थी और न ही अनेक क्षेत्रों में हाथ करघा उद्योग की सम्वृद्धि हुई है। यह इस

[डा० कृष्णस्वामी]

बात का संकेत है कि हम और सरकार दोनों ही इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । मैं यह नहीं कहता कि आन्तरिक संरक्षण का अर्थ-व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है किन्तु हमें इस बात की ओर भी सचेष्ट रहना चाहिये कि हाथ करघा बुनकर को आंतरिक संरक्षण से लाभ उठाने का अवसर मिल सके और वह ऐसा वस्त्र उत्पादन करे जो उपभोक्ता के लिये सन्तोषजनक सिद्ध हो ।

सभापति महोदय हमने काल्पनिक बातों पर विस्तृत चर्चा की है और यह उचित ही है कि अब हम मिल उद्योग पर विचार करें । मेरा अभिप्राय मिल मालिक से नहीं है । मैं मिल उद्योग के विषय में कह रहा हूं । मेरा विचार है कि हाथ करघा बुनकरों में दृढ़तर संगठन स्थापित करने के लिये मिल उद्योग के संगठन से लाभ उठाने का समय आ गया है । यदि हम आन्तरिक संरक्षण दें और मिलों को हाथ करघे के बुनकरों की उन्नति करने का अवसर दें तो निस्संदेह ही हाथ करघा बुनकरों के लिये एक नये बाजार की सम्भावना हो जायेगी । मैंने यह विचार सदन के समक्ष पहले भी प्रस्तुत किया था । हमें ऐसा आदेश पारित करना चाहिये जिसके अनुसार मिलों के लिये हाथ करघा बुनकरों को सूत का कुछ भाग देकर तैयार माल खरीदना अनिवार्य हो जाय ताकि माल को बेचने तथा हाथ करघा उद्योग की अन्य जोखिम का उत्तरदायित्व उन्हीं पर रहे । सभापति महोदय, यह सर्व-विदित तथ्य है कि बुनकर की अवस्था दयनीय है; उसकी अपनी सीमाएं हैं । जब तक माल को बेचने के लिये किसी उन्नत संगठन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हाथ करघा बुनकर को आंतरिक संरक्षण से लाभ नहीं हो सकता । यदि हम इस तरह की व्यवस्था के अभाव में केवल आन्तरिक संरक्षण तक ही सीमित रहें तो हम हाथ करघा बुनकर को वांछनीय सीमा तक सहायता करने से विरत रहेंगे और उपभोक्ता के लिये कीमत बहुत अधिक हो जायगी और सम्भवतः ग्राहक की रुचि में परिवर्तन हो जायगा ।

आखिरकार मिल उद्योग एक आवश्यक संगठन है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि लोक हितकारी राज्य में नियम निर्माण द्वारा मिलों को इस कार्य के लिये विवश क्यों नहीं कर दिया जाता कि वे हाथ करघा बुनकरों के लिये सूत का एक भाग रक्षित कर दें । हाथ करघा बुनकर को सूत दो, उससे तैयार माल प्राप्त करो और इन वस्तुओं को बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व मिल पर रखो । मिल के बुनकर और हाथ करघे के बुनकर का अनुपात १ और ४०० है । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सूती वस्त्र उद्योग में केवल मिल ही नहीं है किन्तु हाथ करघा बुनकर भी उसमें सम्मिलित हैं । मेरा यह विचार नहीं है कि नवीन व्यवस्था में हाथ करघा बुनकर का भविष्य अंधकारमय है । मेरा विचार है कि उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्ति में वे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं । लोग हाथ करघे की डिजाइन में सुझाव रखते हैं किन्तु मैं पूछता हूं जब तक हाथ करघा उद्योग में समुचित संगठन नहीं हो जाता उसकी डिजाइन में संशोधन का सुझाव व्यर्थ है ।

प्रस्तुत विधेयक से उन मिलों को अत्यधिक हानि पहुंची है जो अनुसूचित परिमाण से अधिक वस्त्र उत्पादन करते हैं । मैं विधेयक की पृष्ठ भूमि से अवगत नहीं हूं किन्तु फिर भी मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो मिलों में नियम और अनुशासन प्रयुक्त करने के लिये केवल मात्र दण्डात्मक उपाय का आश्रय लेने के प्रति अनिच्छुक हैं ।

सम्भवतः इस प्रकार के विधेयक का ऐसे मिल मालिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा

और वे सरकारी आदेश को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे। किन्तु यह कहना कि हम केवल आन्तरिक संरक्षण से हाथ करघा उद्योग की सहायता कर सकेंगे, यह तो अतिशयोक्ति होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमें हाथ करघा उद्योग को वस्तुतः अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो हमें कोई रचनात्मक और ठोस उपाय करना चाहिए जिससे इसमें नई आशा का संचार हो सके और यह तभी किया जा सकता है यदि हम मिल उद्योग को हाथ करघे के बुनकरों को सूत देने और उनका व्यापारी बनने के लिये विधि द्वारा या अन्यथा बाधित कर सकें। सम्भवतः नये सुधारों के दो या तीन वर्ष पश्चात् हम इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि उद्योग में वास्तविक रुचि के साथ साथ आन्तरिक संरक्षण की प्रणाली कैसा कार्य करती है और तब हम देश के छोटे और बड़े उद्योगों में अधिक सामंजस्य उत्पन्न कर सकेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि यह हाथ करघा उद्योग के प्रति सद्-भावना का प्रतीक है और भारत सरकार की हाथ करघा उद्योग में निरन्तर रुचि और सहानुभूति का द्योतक है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस विधेयक से हाथ करघा उद्योग की सारी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं। विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूं। कपड़ा आयुक्त ने जनवरी, १९५३ में सम्भवतः वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के निदेश से सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, १९४८ के अधीन एक कार्यपालक आदेश जारी किया था। कपड़ा आयुक्त के पास इस आदेश को पालन करवाने के लिये पर्याप्त अधिकार हैं, उसके पास केन्द्रीय उत्पाद विभाग है। और जहां तक मैं जानता हूं मद्रास राज्य में तो केन्द्रीय उत्पाद विभाग के पदाधिकारी मिलों में भी रहते हैं। फिर मिलें इस आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और ये पदा-धिकारी उनके अभ्यंश से अधिक उन्हें उत्पादन कैसे करने देते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता ? क्या इन उत्पाद पदाधिकारियों ने अपने उच्चाधिकारियों को यह नहीं बताया ? और कपड़ा आयुक्त ने उन मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अभियोग चलाने का विचार किया था किन्तु वे दण्डात्मक उपायों का आश्रय नहीं लेना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। सरकारी आदेश का पालन होना चाहिये। और कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में तो इन्हें करने के लिये एक विभाग भी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह बन्द कर दिया गया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं नहीं जानता कि कपड़ा आयुक्त के आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन करने वाले मिल-मालिकों के साथ नर्मी का व्यवहार क्यों किया गया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सब बातों का सन्तोषजनक रूप से स्पष्टीकरण करेंगे।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में उत्पादन के ६० प्रतिशत के सम्बन्ध में आदेश पारित करने का उल्लेख है। इसमें यह कहा गया है कि धोतियों का उत्पादन अप्रैल १९५१ और मार्च १९५२ के बीच के उत्पादन तक सीमित रखा जायेगा। सब जानते हैं कि इस अवधि में सबसे अधिक उत्पादन हुआ-था और माननीय मंत्री ने भी बताया था कि इस अवधि में ५०,००० गांठों का उत्पादन हुआ था। अतः उत्पादन को उस उत्पादन के ६० प्रतिशत तक सीमित करने से हाथ करघा उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य की सूचना के हेतु यह बतलाना चाहता हूं कि मई १९५२ से पूर्व सरकार ने यह आग्रह किया था कि अधिक चौड़े करघों के ५० प्रतिशत पर केवल साड़ियां और धोतियां ही तैयार की जायें। इस समय तो हम उत्पादन को सीमित करना चाहते हैं, किन्तु एक समय ऐसा भी था जब हम यह चाहते थे कि साड़ियों और धोतियों का अधिक से अधिक उत्पादन हो।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, तथापि, मेरा यह कहना ठीक ही है कि इससे हाथ करघा उद्योग को कोई लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि उत्पादन इतना अधिक था कि इसे सीमित करने के आदेश से भी हाथ करघा उद्योग को कोई सहायता नहीं मिल सकी।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं। हाथ करघा विकास अधिनियम के द्वारा जिसे कि अप्रैल १९५३ में पारित किया गया था, सभी कपड़ों पर उपकर लेने का अधिकार है। जब संसद् ने इतने अधिकार दिये हुए थे और विशेष रूप से दक्षिण से धोतियों और साड़ियों के रक्षण की इतनी प्रबल मांग थी तो मैं नहीं जानता कि मंत्रालय ने केवल धोतियों के उत्पादन पर रोक लगाने का यह आदेश पारित करना ही उचित क्यों समझा। वे संसद् द्वारा दी हुई इन शक्तियों से लाभ उठा कर साड़ियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही आदेश दे सकते थे।

मैं अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर १९५२ के भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े देता हूं। अक्तूबर १९५२ में मिलों में कुल ३७८८ लाख गज का उत्पादन हुआ। इसमें से ८८६ लाख गज धोतियों और १०९२ लाख गज़ रंगीन कपड़े का उत्पादन हुआ। रंगीन कपड़े में कमीजों के कपड़े के साथ साड़ियां भी हो सकती हैं। नवम्बर १९५२ में कुल उत्पादन ३९३३ लाख गज का हुआ। इसमें ७९२ लाख गज धोतियों और १२४४ लाख गज रंगीन कपड़े का उल्लेख है। दिसम्बर १९५२ में उत्पादन और भी बढ़ गया। ४४१९ लाख गज कपड़े का उत्पादन हुआ जिसमें ९०२ लाख गज़ धोतियां और १३४८ लाख गज़ रंगीन कपड़ा था। १९५३ के धोतियों और रंगीन कपड़े के उत्पादन के आंकड़े आंकड़ों के इस नवीनतम अंक में भी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य को धोतियों और साड़ियों के उत्पादन के आंकड़े चाहियें तो मैं उन्हें ये दे दूंगा। जिन आंकड़ों को वह नहीं समझते उनके सम्बन्ध में अनुमान क्यों लगा रहे हैं?

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अधिक समय चाहिये और सदन में गणपूर्ति भी नहीं है। अतः मैं कल १–३० प० म० तक सदन की बैठक को स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार २५ नवम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।